


[illegible]

 सच्चायीव निर्योजन खण्ड लखनऊ,
नगर एवं ग्राम निर्योजन विभाग,
ऊतार प्रदेश

सायबरेली विकास प्राधिकरण, सायबरेली


www.ck12.org - All rights reserved. www.ck12.org

For more information contact:
 Registered Office: 1-25, York Road, London, SE14 6BE.
 Tel: 020 7323 4848. Fax: 020 7323 4899. Email: info@imeche.org

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

12) भारतीय जनता पार्टी विधान सभा के अध्यक्ष थे। उनका पद क्यों संपन्न हो गया? इसका कारण क्या है? (10)

रायबरेली महायोजना-2031



रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली एवं

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

सलाहकार – वी० के० सुप्रीम कन्सल्टेंट्स प्रा० लि०., जयपुर

रायबरेली महायोजना-2031



रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली
एवं

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

सलाहकार – वी.के.सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि०., जयपुर

प्राक्कथन

रायबरेली नगर, लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत आने वाला जिला है, जोकि राजधानी लखनऊ से 82 कि०मी० की दूरी पर स्थित एवं मध्य आकार का मिडीवियल नगर है। लम्बे समय से यह नगर राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है, इसलिए नगर में शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर सामान्य मध्यम आकार के नगरों से अच्छा है। रायबरेली नगर राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व रेलवे मार्ग द्वारा देश के विभिन्न नगरों से जुड़ा हुआ है। रायबरेली नगर के भौतिक आकार को नियोजित करने हेतु वर्ष-1973 में शासन के आदेश संख्या 1738/XXX/VII-III-64 MKV-73 दिनांक 28 अगस्त, 1973 द्वारा विनियमित क्षेत्र के गठन किया गया था, विनियमित क्षेत्र द्वारा रायबरेली महायोजना-2001 तैयार की गयी, जिसे शासनादेश संख्या-1214/37-3/19/2001 दिनांक 26.06.1976 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। विकास की बढ़ती सम्भावनाओं के दृष्टिगत वर्ष 1976 में शासनादेश संख्या 5685/37-2-33 डी.ए.72 दिनांक 30.10.1976 द्वारा विनियमित क्षेत्र के 83 ग्रामों तथा नगर पालिका क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया। रायबरेली महायोजना-2001 के कालातीत हो जाने के फलस्वरूप रायबरेली महायोजना-2021 तैयार की गयी जिसे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-5563/8-3-2007-4 महायोजना/2006 दिनांक 11.02.2008 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत रायबरेली महायोजना-2031 तैयार करने हेतु उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा निविदा के माध्यम से सलाहकार फर्म वी०के०सुप्रीम कन्सलटेन्ट, जयपुर, राजस्थान का चयन किया गया। सम्बन्धित फर्म द्वारा तैयार की गयी रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2021 को सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक में दिये गये सुझावों के आलोक में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) को रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। तदक्रम में रायबरेली विकास प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.05.2022 में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) पर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) पर दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक जनसामान्य/हितबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये, जिसमें कि कुल 138 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की शासन द्वारा गठित सुनवाई समिति द्वारा दिनांक 09.09.2022 एवं 17.09.2022 तक सुनवाई पूर्ण की गयी, प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सुनवाई समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में रायबरेली विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2022 द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 को अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 06.01.2023 को शासकीय समिति द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का परीक्षण करते हुए शासनादेश संख्या-2752/आठ-3-22-06 महा./2014 दिनांक 21.10.2022 द्वारा जारी 42 बिन्दुओं की चेकलिस्ट के अनुसार रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में रायबरेली विकास प्राधिकरण के पत्रांक 769/मान०अनु०/2022-23/रा०वि०प्रा०/23 दिनांक 07.02.2023 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन को रायबरेली महायोजना-2031 की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 09.06.2023 को शासकीय समिति के समक्ष रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण किया गया। शासकीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के सम्बन्ध में निर्गत कार्यवृत्त के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 11.08.2023 को रायबरेली विकास प्राधिकरण

की 77वीं बोर्ड बैठक द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 को शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। तदक्रम में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2023 को सम्पन्न बैठक व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के पत्रांक 76 दिनांक 10.10.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में महायोजना मानचित्र/प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 09.10.2023 को आयोजित शासकीय समिति के समक्ष रायबरेली महायोजना-2031 का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं शासकीय समिति द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 को शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस महायोजना को तैयार करने में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कन्सलटेन्ट्स का कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है। आशा है कि जी.आई.एस. आधारित रायबरेली महायोजना-2031 रायबरेली विकास क्षेत्र के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास में तेजी प्रदान करेगी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों हेतु भी सहायक रहेगी।

हर्षिता माथुर
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली

डा0 रोशन जैकब
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ/अध्यक्ष, रायबरेली
विकास प्राधिकरण, रायबरेली

विषय सूची

अध्याय—1	1
उद्भव एवं विकास	1
1.1 स्थिति	1
1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	1
1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क	1
1.4 भौगोलिक स्थिति	2
1.5 जलवायु	3
1.6 मेला एवं त्योहार	3
अध्याय—2	4
महायोजना की आवश्यकता	4
2.1 विकास क्षेत्र	4
2.2 नगरीय विकास	4
2.3 रायबरेली महायोजना—2031	5
2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता	6
2.5 महायोजना की प्रक्रिया	7
अध्याय—3	8
वर्तमान अध्ययन	8
3.1 जनसंख्या	8
3.2 लिंगानुपात	9
3.3 साक्षरता दर	9
3.4 कार्यशील जनसंख्या	9
3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण	10
3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण	11
3.7 पारिवारिक संरचना	12
3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण	12
3.9 प्राथमिक क्रिया	12
3.10 द्वितीयक क्रिया	13
3.11 तृतीयक क्रिया	13
3.12 भौतिक अवसंरचना	14
3.12.1 जलापूर्ति	14
3.12.2 जल निकासी	15
3.12.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	15
3.12.4 बिजली	17
3.12.5 डाक एवं संचार	18
3.12.6 अन्य सुविधायें	18

3.12.6.1 पुलिस थाना	18
3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना	20
3.13.1 शिक्षण सुविधायें	20
3.13.2 स्वास्थ्य सुविधायें	20
3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधायें	21
3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल	21
3.13.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें	22
3.13.6 अग्निशमन	22
अध्याय-4	23
पर्यटन प्रोफाइल	23
4.1 रायबरेली में पर्यटन/पर्यटन गतिविधियां/पर्यटक प्रवाह/प्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण	23
4.2 पर्यटन नीति	24
4.3 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं	24
अध्याय-5	26
पर्यावरण रूपरेखा	26
5.1 जलीय संरचना	26
5.2 शहर में प्रदूषण स्तर	28
5.3 आपदा प्रबंधन	28
अध्याय-6	30
वर्तमान भू-उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन	30
6.1 वर्तमान भू-उपयोग-2021	30
6.1.1 आवासीय भू-उपयोग	32
6.1.1.1 परिवारों का आकार	32
6.1.1.2 वर्तमान आवासीय स्थिति	32
6.1.1.3 मलिन बस्तियां	33
6.1.2 व्यावसायिक	35
6.1.3 औद्योगिक	35
6.1.3.1 लघु उद्योग	36
6.1.3.2 बृहद् उद्योग	37
6.1.4 कार्यालय	40
6.1.5 सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक, सामुदायिक सुविधायें, उपयोगिताएं एवं सेवायें	40
6.1.5.1 शैक्षणिक	40
6.1.5.2 स्वास्थ्य सुविधायें	42
6.1.5.3 अग्निशमन केन्द्र	44
6.1.5.4 डाक तार एवं दूरसंचार सेवायें	44
6.1.5.5 विद्युत आपूर्ति	46
6.1.6 जल आपूर्ति	48

6.1.8	सीवरेज एवं जल निकासी	50
6.1.9	ठोस कचरा निष्पादन	53
6.1.10	पार्क, खुले स्थल एवं मनोरंजन	54
6.1.11	यातायात एवं परिवहन	54
6.1.12	ऐतिहासिक भवनों/ क्षेत्रों हेतु प्राविधान	55
6.2	वर्तमान महायोजना 2021 का विश्लेषण/तुलनात्मक अध्ययन	58
6.2.1	आवासीय	59
6.2.2	व्यवसायिक	59
6.2.3	औद्योगिक	60
6.2.4	कार्यालय	60
6.2.5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	60
6.2.6	यातायात एवं परिवहन	61
6.2.7	पार्क एवं खुले स्थल	61
6.2.8	अन्य (जल संसाधन एवं बाग)	61
6.2.9	शासन द्वारा महायोजना-2021 में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन	62
6.3	महायोजना 2021 से विचलन की स्थिति	63
अध्याय-7		65
नियोजन की समस्यायें		65
अध्याय-8		67
महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य		67
8.1	दृष्टि	67
8.2	उद्देश्य	67
अध्याय-9		69
आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण		69
9.1	जनसंख्या प्रक्षेपण	69
9.2	जनसंख्या घनत्व	72
9.3	जनसंख्या वृद्धि दर	72
9.4	प्रवासन	74
9.5	आवास प्रक्षेपण	74
9.6	रायबरेली विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता	75
9.7	वर्षा जल निकासी	75
9.8	सीवेज / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	77
9.9	बिजली	77
9.9.1	बिजली के लिए प्रक्षेपण	77
9.10	डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ	78
9.10.1	विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान	78
9.11	शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता	78

9.11.1	रायबरेली में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान	78
9.12	स्वास्थ्य सुविधाएं	79
9.12.1	रायबरेली विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण	79
9.13	मनोरंजन सुविधाएं	80
9.13.1	रायबरेली विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण	80
9.14	फायर स्टेशन	81
9.14.1	रायबरेली विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण	81
9.15	अन्य सुविधायें	81
अध्याय—10		82
भू-उपयोग प्रस्ताव		82
10.1	नगर के विकास/विस्तार की दिशा	82
10.2	भू-उपयोग प्रस्ताव	82
10.2.1	आवासीय	84
10.2.2	निर्मित क्षेत्र	85
10.2.3	व्यवसायिक	85
10.2.3.1	नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक	85
10.2.3.2	थोक व्यापार/भण्डार	86
10.2.3.3	बाजार स्ट्रीट	86
10.2.4	कार्यालय	87
10.2.5	औद्योगिक	88
10.2.5.1	लघु उद्योग	88
10.2.5.2	वृहद् उद्योग	88
10.2.6	सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	89
10.2.6.1	शैक्षणिक/संस्थागत	89
10.2.6.2	चिकित्सालय	89
10.2.6.3	सामुदायिक सुविधायें	89
10.2.6.4	विद्युत् उपकेन्द्र/डाकघर	90
10.2.6.5	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/ठोस अपशिष्ट केन्द्र	90
10.2.7	यातायात एवं परिवहन	90
10.2.7.1	बस टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर	90
10.2.7.2	रेलवे नोटिफाइड एरिया	91
10.2.7.3	वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग	91
10.2.8	पार्क एवं खुले स्थल	91
10.2.8.1	डिस्ट्रिक्ट पार्क	91
10.2.8.2	जोनल पार्क	91
10.2.8.3	पार्क	92
10.2.8.4	मनोरंजन पार्क	92

10.2.9 ग्रीन बेल्ट	92
10.2.10 हाईवे फैसेलिटी जोन	92
10.2.11 ग्रामीण आबादी	93
10.2.12 प्रतिबंधित जोन	93
10.2.13 अन्य भू-उपयोग	93
10.2.13.1 कृषि	93
10.2.13.2 अन्य	94
10.2.13.3 राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्र	95
10.2.13.4 प्रस्तावित भू-उपयोग एवं भू-विकास नीतियाँ	95
10.2.13.5 नगरीय प्रभार शुल्क	97
10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	97
10.2.15 वर्षा के पानी का निकास	98
10.2.16 नदी केंद्रित विकास	98
10.2.17 हेरिटेज	100
10.2.18 सौंदर्यीकरण एवं सुधार	101
10.2.19 अन्य भू-उपयोग	101
10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन	101
10.3.1 आवास नीति	101
10.3.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति	103
10.3.3 सौर ऊर्जा	103
10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग	103
10.3.5 फिल्म नीति	105
10.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी	105
10.3.6.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन	106
10.3.6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा ईकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन	106
10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति	107
10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति	107
10.3.9 अन्य	108
10.3.9.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति	108
10.3.9.2 हाईवे फैसेलिटी	108
10.3.9.3 बाजार स्ट्रीट	109
10.3.9.4 ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022	109
10.3.9.5 हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) नीति, 2022	110
अध्याय-11	114
जोनिंग रेगुलेशन्स	114
11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य	114

11.1.2	जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं	114
11.1.3	विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ	115
11.1.4	प्लोटिंग उपयोग	116
11.1.5	प्रभाव शुल्क	117
11.1.6	अनुज्ञा की प्रक्रिया	119
11.1.7	अन्य अपेक्षाएं	119
11.1.8	परिभाषाएं	120
11.2.1	आवासीय	121
11.2.2	व्यवसायिक	121
11.2.3	औद्योगिक	123
11.2.4	कार्यालय	123
11.2.5	सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगितायें एवं सेवायें	124
11.2.6	यातायात एवं परिवहन	128
11.2.7	पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ा-स्थल	129
11.2.8	कृषि	130
11.2.9	अन्य परिसर	130
11.2.10	अस्थायी क्रियाएँ	131
11.3	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	131
11.4	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता	133
11.5	भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण	138
अनुलग्नक-1		139
दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची		139
अनुलग्नक-1क		140
दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची:-		140
अनुलग्नक-2		141
आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची		141
अनुलग्नक-3		142
व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची		142
अनुलग्नक-4		144
विकास क्षेत्र, रायबरेली		144
अनुलग्नक-5		147
रायबरेली विकास क्षेत्र में अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों की सूची		147

मानचित्र सूची

मानचित्र-1	2
रायबरेली नगर की क्षेत्रीय स्थिति	2
मानचित्र-2	19
रायबरेली नगर में पुलिस थाने	19
मानचित्र संख्या-3	27
जलीय संरचना	27
मानचित्र-4	31
वर्तमान भू-उपयोग-2021	31
मानचित्र-5	39
रायबरेली नगर में औद्योगिक क्षेत्र	39
मानचित्र-6	41
रायबरेली नगर में शिक्षा केंद्र	41
मानचित्र-7	43
रायबरेली नगर में स्वास्थ्य सुविधायें	43
मानचित्र-8	45
रायबरेली नगर में डाकघर	45
मानचित्र-9	47
रायबरेली नगर में विद्युत प्रसारण तंत्र	47
मानचित्र-10	49
रायबरेली नगर में जल आपूर्ति	49
मानचित्र-11	52
रायबरेली नगर में जल निकासी	52
मानचित्र-12	56
ऐतिहासिक भवन/क्षेत्र	56
मानचित्र-13	71
शहर के विकास की प्रवृत्ति	71
मानचित्र संख्या-14	76
वर्षा जल निकासी	76

तालिकाओं की सूची

तालिका-1	8
रायबरेली विकास क्षेत्र में नगर की जनसंख्या-2011	8
तालिका-2	10
रायबरेली महायोजना में श्रमिकों की संख्या एवं सहभागिता दर	10
तालिका-3	10
रायबरेली नगर में श्रमिक (2011)	10
तालिका-4	11
रायबरेली नगर में श्रमशक्ति दशकवार	11
तालिका-5	12
रायबरेली नगर में श्रमिक (2001)	12
तालिका-6	12
रायबरेली नगर में परिवारों का आकार	12
तालिका-7	13
रायबरेली नगर में आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण	13
तालिका-8	14
जल आपूर्ति विवरण	14
तालिका-9	14
जल आपूर्ति का स्त्रोत	14
तालिका-10	15
जल निकासी	15
तालिका-11	16
ठोस अपशिष्ट उत्पादन विवरण	16
तालिका-12	16
ठोस अपशिष्ट पृथक्कीकरण	16
तालिका-13	16
ठोस कचरा का निष्पादन	16
तालिका-14	17
विद्युत की मांग व आपूर्ति	17
तालिका-15	17
विद्युत की मांग व आपूर्ति	17
तालिका-16	18
विद्युत सब-स्टेशन का विवरण/क्षमता	18
तालिका-17	18
पुलिस थाना की सूची	18

तालिका-18	20
शैक्षणिक सुविधायें	20
तालिका-19	21
स्वास्थ्य सुविधायें	21
तालिका-20	22
अग्निशमन केन्द्रों की सूची	22
तालिका-21	24
पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं	24
तालिका-22	26
जलीय संरचना	26
तालिका-23	28
वायु प्रदूषण	28
तालिका-24	28
जल प्रदूषण	28
तालिका-25	30
वर्तमान भू-उपयोग-2021	30
तालिका-26	32
रायबरेली नगर में परिवारों का आकार	32
तालिका-27	33
रायबरेली नगर में स्वामित्व की स्थिति	33
तालिका-28	33
आवासों की स्थिति	33
तालिका-29	33
आवासीय ईकाइयों का निर्माण	33
तालिका-30	34
मलिन बस्तियों की जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या व जनसंख्या विवरण	34
तालिका-31	36
रायबरेली नगर में औद्योगिक विवरण	36
तालिका-32	36
रायबरेली नगर में पारंपरिक उद्योग	36
तालिका-33	37
सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सूची	37
तालिका-34	38
वृहद उद्योगों की सूची	38
तालिका-35	58
रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग	58
तालिका-36	59

रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग जी.आई.एस के अनुसार	59
तालिका-37	62
रायबरेली महायोजना-2021 के सापेक्ष हुये विकास	62
तालिका-38	64
रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावों के विपरीत हुआ अनाधिकृत विकास	64
तालिका-39	69
नगरीय जनसंख्या प्रक्षेपण	69
तालिका-40	69
ग्रामीण जनसंख्या प्रक्षेपण	69
तालिका-41	70
जनसंख्या अनुमान-रायबरेली नगर	70
तालिका-42	73
रायबरेली नगर महापालिका की जनसंख्या वृद्धि (1901-2011)	73
तालिका-43	74
आवास प्रक्षेपण	74
तालिका-44	83
प्रस्तावित भू-उपयोग 2031 (हेक्टेयर)	83

चित्रो की सूची

चित्र-1	8
विकास क्षेत्र में रायबरेली नगर की जनसंख्या-2011	8
चित्र-2	9
लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष	9
चित्र-3	11
रायबरेली नगर में श्रमशक्ति	11
चित्र-4	72
जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	72

अध्याय-1

उद्भव एवं विकास

1.1 स्थिति

रायबरेली नगर स्वनामित तहसील एवं जनपद का मुख्यालय है। नगर सई नदी के तट पर 26°14 उत्तरी अक्षांश तथा 81°14 पूर्वी देशान्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रारम्भ में स्थित है तथा उत्तर रेलवे के लखनऊ-हावड़ा मुख्य लाईन पर स्थित है। रायबरेली नगर, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं अमेठी से सम्बद्ध है। दक्षिण पूर्व में लखनऊ से 77 कि०मी०, पूर्व में उन्नाव से 134 कि०मी०, पूर्व-पश्चिम में प्रयागराज से 127 कि०मी०, पश्चिम-उत्तर में प्रतापगढ़ से 98 कि०मी०, पश्चिम में सुल्तानपुर से 90 कि०मी० तथा उत्तर में फतेहपुर से 40 कि०मी० दूरी पर स्थित है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास


रायबरेली नगर को भर राजाओं द्वारा बसाया गया था जिससे इसका पुराना नाम भरौली या बरौली था। वर्तमान नगर दो मुख्य बस्तियों रायबरेली खास तथा जहाँनाबाद का सम्मिलित रूप है। नगर की दूसरी बस्ती जहाँनाबाद को सूबेदार जहाँनखान द्वारा बसाया गया था जिसके द्वारा निर्मित भवन, रंगमहल (प्रसाद) तथा मकबरा के भग्नावशेष आज भी जहाँनाबाद में स्थित हैं। रायबरेली नगर में बाद में सुल्तान इब्राहिम शाह ने अपने शासनकाल में एक विस्तृत एवं मजबूत किले का निर्माण कराया था जिसमें एक विशाल बावड़ी भी है। स्वतंत्रता के बाद आई०टी०आई० एवं स्पिनिंग मिल के विकास से नगर से दूर अन्य मार्गों के विकास की राह प्रशस्त हुई एवं एन०आई०एफ०टी० जैसी तकनीकी संस्था एवं चिकित्सीय संस्थान (AIIMS) प्रदर्शित है।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

क्षेत्रीय सम्बद्धता की दृष्टि से रायबरेली नगर देश के प्रमुख केन्द्रों से रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा भली-भाँति सम्बद्ध है जिसके परिणाम स्वरूप पिछले तीन-चार दशकों में नगर का तीव्र गति से विकास परिलक्षित है, जिसका विवरण मानचित्र-1 में दर्शाया गया है। यह

नगर वर्ष 2001 में 169285 जनसंख्या से क्रमिक बढ़कर होकर वर्ष 2011 में 191316 जनसंख्या को समाहित कर 5012 हेक्टेयर क्षेत्रफल नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है।

मानचित्र-1
रायबरेली नगर की क्षेत्रीय स्थिति



1.4 भौगोलिक स्थिति

नगर के पश्चिम दिशा में सई नदी प्रवाहित हो रही है जिसके दोनों किनारों पर कुछ क्षेत्र नीचा है। नगर का सामान्य दबाव नदी की ही तरफ है। रायबरेली नगर का अधिकतम तापमान 48.9° सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम तापमान 1.67° सेन्टीग्रेट तक पहुँच जाता है। नगर जून माह में भीषण गर्म तथा जनवरी में सबसे अधिक ठण्डा रहता है। नगर का जलस्तर सामान्यतः 18 मीटर है तथा भूमिगत जल की मात्रा एवं गुणवत्ता अच्छी है। यहाँ की मिट्टी दोमट एवं लूमी है तथा औसत वर्षा 95.5 सेन्टीमीटर है। हवाओं का रुख उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर रहता है। समस्त विकास क्षेत्र की जलवायु एवं भौगोलिक स्वरूप इसी प्रकार का है।

1.5 जलवायु

नगर की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म-शुष्क तथा शरद ऋतु में शीत युक्त एवं दक्षिणी-पश्चिम मानसून काल को छोड़कर सामान्यतः शुष्कता लिये रहती है। वर्षा का अधिकांश भाग मानसून काल में प्राप्त होता है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा भी इस क्षेत्र में वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 923 मि.मी. है। जनवरी सबसे ठण्डा माह होता है। इस माह में औसत दैनिक तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ के कारण शीत लहर चलती है तो तापमान हिमांक बिन्दु के निकट पहुंच जाता है। मई और जून में सर्वाधिक गर्म मौसम होता है। इस काल में अधिकतम दैनिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस काल में शुष्क एवं धूल भरी हवाएँ चलती हैं जिससे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है।

1.6 मेला एवं त्योहार

रायबरेली के प्रमुख त्योहारों में रामनवमी, नवरात्रि, नागपंचमी, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी, तीज, दशहरा, करवाचौथ, दिवाली, होली, शिवरात्रि और कई अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रायबरेली में चन्दापुर कोठी स्थित शिव मन्दिर में स्थानीय मेले का आयोजन होता है। रायबरेली में मुख्यतः कार्तिक मेले का आयोजन होता है।

अध्याय-2

महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

रायबरेली नगर के भौतिक आकार को नियोजित स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया वर्ष 1973 में शासन के आदेश संख्या 1738/XXX/VII-III-64MKV-73 दिनांक 28 अगस्त, 1973 द्वारा विनियमित क्षेत्र के गठन के साथ प्रारम्भ कर दी गई थी। तथापि वर्ष 1972 में ही इस विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ने एक सर्वेक्षण खण्ड की स्थापना रायबरेली नगर के लिए की गई थी। रायबरेली सर्वेक्षण खण्ड ने विनियमित क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र की महायोजना तैयार की तथा उन पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई के उपरान्त वर्ष 1975 में अन्तिम रूप देकर शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया था। उक्त महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए बनाई गई थी जिसे उ०प्र० शासन ने अपने आदेश संख्या 1214/37-3-/19/नि०का०वि०/76, दिनांक 26.6.1976 द्वारा स्वीकृत किया गया था। विकास की बढ़ती सम्भावनाओं के चलते वर्ष 1976 में शासन द्वारा आदेश संख्या 5685/37-2-33 डीए-72, दिनांक 30.10.1976 द्वारा विनियमित क्षेत्र के 83 ग्राम तथा नगर पालिका क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है। रायबरेली महायोजना-2001 कालातीत हो जाने के उपरान्त शासन द्वारा रायबरेली महायोजना-2021 तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये तत्क्रम में रायबरेली महायोजना-2021 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अनुभाग-3 उ०प्र० ने अपने आदेश संख्या:- 5563/8-3-2007-4 महायोजना/2006, दिनांक 11.02.2008 द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह महायोजना अपने स्वीकृत तिथि से प्रभावी हुई थी। विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 213.81 वर्ग किलोमीटर है। शासन द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत रायबरेली महायोजना-2021 को पुनरीक्षित करते हुए रायबरेली महायोजना-2031 तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.2 नगरीय विकास

रायबरेली नगर को भर राजाओं द्वारा बसाया गया था जिसका पौराणिक नाम भरौली या बरौली था। इस नगर की दो मुख्य बस्तियां रायबरेली खास तथा जहानाबाद है।

रायबरेली नगर में बाद में सुल्तान इब्राहिम शाह ने एक बड़े किले का निर्माण कराया जिसमें एक विशाल बाबड़ी भी सम्मिलित है। रायबरेली नगर की दूसरी बस्ती जहानाबाद है। जहानाबाद में निर्मित रंगमहल व मकबरा आदि आज भी भग्नावेश स्थिति में है। स्वतंत्रता के पश्चात आई.टी.आई. एवं स्पिन मिल का निर्माण मुख्य शहर से दूर व जिसके कारण शहर के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तत्पश्चात एन.आई.एफ.टी. (निफ्ट) एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) का निर्माण हुआ। रायबरेली में नगरीय विकास में रायबरेली विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अमोल विहार योजना, मलिकमऊ आवासीय योजना, मलिकमऊ विस्तार योजना सुल्तानपुर रोड, अमरेशपुरी आवास योजना, इंदिरा नगर जेल रोड, जवाहर विस्तार योजना सुल्तानपुर रोड, प्रगतिपुरम आवास योजना, स्वराज नगर एकता विहार कॉलोनी, अहिया रायपुर योजना लखनऊ रोड पर महत्वपूर्ण आवासीय योजना है। इसके अतिरिक्त उत्तर आवास विकास परिषद द्वारा इंदिरा नगर योजना तथा फिरोजगाँधी योजना विकसित की गयी है। रायबरेली नगर के नगरीय विकास की प्रगति को मानचित्र-13 में वर्ष 1991, 2001, 2011 तथा 2021 में क्रमिक रूप से दर्शाया गया है।

2.3 रायबरेली महायोजना-2031

महायोजना एक जी0आई0एस0 आधारित दस्तावेज है तथा इसका मुख्य लक्ष्य जनसाधारण की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन स्तर को सुगम, सरल एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उक्त दस्तावेज में भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नगर के विकास को दिशा प्रदान करना है। महायोजना-2031 में दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं यथा जलापूर्ति, जल मल निकासी, वर्षा जल निकास, विद्युत आपूर्ति, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं व अन्य सामुदायिक सुविधाओं एवं यातायात व्यवस्था का आंकलन कर प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना है तथा जनसामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

वर्ष 2021 में महायोजना के कालातीत हो जाने के कारण वर्तमान महायोजना का विस्तृत परीक्षण कर अमृत योजना के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के निर्देशन में जी०आई०एस० आधारित रायबरेली महायोजना-2031 तैयार करने हेतु वी०के० सुप्रीम कन्सलटेन्ट प्रा०लि० जयपुर को सलाहकार (कन्सल्टेंट) का चयन किया गया। रायबरेली नगर की महायोजना-2021 को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं:-

1. रायबरेली महायोजना-2021 की अवधि पूर्ण हो जाने की दशा में पुनरीक्षित किये जाने हेतु रायबरेली महायोजना-2031 बनाया जाना आवश्यक हो गया।
2. रायबरेली महायोजना-2021 रायबरेली नगर पालिका परिषद की सीमा सहित 100 ग्रामों हेतु तैयार की गई थी। वर्तमान में रायबरेली महायोजना-2031 हेतु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र एवं 99 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति के आधार पर सुस्पष्ट भू-उपयोग वर्गीकृत किये जाने हेतु विकास की दृष्टि से आवश्यक है।
3. नगर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में नगरीयकरण के असन्तुलित विस्तार के साथ-साथ विरल रूप में नव विकसित आवासीय उपनिवेशों की नगर केन्द्र से निरन्तर बढ़ती हुई दूरी महायोजना-2021 के अनुसार आरक्षित उपकेन्द्रों के अविकसित रह जाने से आवासीय क्षेत्रों से कार्यस्थलों की दूरी बढ़ गई परिणामस्वरूप यातायात भार एवं वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि ने मार्ग संरचना को जहाँ एक ओर संकुचित कर बाधित कर दिया वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों पर समुचित अंकुश के अभाव में महायोजना के हुए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण ने सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था के संजाल को अव्यवस्थित कर दिया। इस समस्या के कारण जहाँ केन्द्रीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य सघन होते गए वहीं सेवाओं एवं सुविधाओं के आधारभूत संरचनात्मक ढाँचे पर अत्यधिक दबाव ने अप्रभावी एवं अपर्याप्त बना दिया है जिससे नागरिकों के जीवन को असुविधाजनक बना दिया है तथा प्रदूषण जैसी समस्याओं ने हिंसक रूप धारण कर लिया है।

2.5 महोयाजना की प्रक्रिया

भारत सरकार के अमृत मिशन 2015 के अन्तर्गत जी.आई.एस आधारित भारत के 500 शहरों की महायोजनाएँ बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 59 शहरों का चयन किया गया है, रायबरेली शहर भी उनमें से एक है। तत्क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा ई-निविदा के माध्यम से वी०के०सुप्रीम कन्सल्टेन्ट्स, जयपुर को सलाहकार के रूप में चयनित किया गया। चयनित सलाहकार के माध्यम से रायबरेली महायोजना-2031 का प्रारूप तैयार करवाया गया जिसका प्रस्तुतीकरण शासकीय समिति के समक्ष दिनांक 13.11.2021 एवं 17.11.2021 को किया गया। शासकीय समिति के अनुमोदन उपरांत उक्त प्रारूप महायोजना का रायबरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुतीकरण किया गया, गहन विचार विमर्श के पश्चात महायोजना प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया। तदोपरांत उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अनुसार महायोजना प्रारूप की प्रदर्शनी दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक जनसामान्य की आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु लगायी गयी। उक्त प्रदर्शनी में कुल 138 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। शासनादेश संख्या-4816 (1)/9-आ-3-2003-9 महा०/2002 दिनांक 20 दिसम्बर 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 09.09.2022 एवं दिनांक 17.09.2022 को सभी आपत्तिकर्ताओं/सुझावकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया। सुनवाई समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं को सुनने के उपरांत लिए गये निर्णयों के आधार पर रायबरेली महायोजना-2031 को तैयार किया गया है। रायबरेली विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2022 द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का दिनांक 09.06.2023 को शासकीय समिति एवं दिनांक 08.08.2023 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। उपरोक्त बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये टेम्पलेट के अनुसार महायोजना प्रतिवेदन तैयार कराकर शासन को प्रेषित किया गया।

अध्याय-3

वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

रायबरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रायबरेली नगर समूह तथा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों का क्षेत्र सम्मिलित है। रायबरेली विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 265717 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है। जिसमें नगर क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 191316 तथा ग्रामीण जनसंख्या लगभग 74401 है। जैसा कि तालिका-1 से स्पष्ट है कि विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत नगरीय है तथा शेष 28 प्रतिशत ग्रामीण है।


तालिका-1
रायबरेली विकास क्षेत्र में नगर की जनसंख्या-2011

क्रमांक	क्षेत्र	जनसंख्या 2011	प्रतिशत
1	2	3	4
2	नगर समूह	191316	72
3	ग्रामीण	74401	28
कुल योग		265717	100.00

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

चित्र-1


विकास क्षेत्र में रायबरेली नगर की जनसंख्या-2011



3.2 लिंगानुपात

रायबरेली नगर में वर्ष 2011 में जनसंख्या का लिंगानुपात 915 स्त्री प्रति हजार पुरुष हैं। वर्ष 2001 में यह लिंगानुपात 905, वर्ष 1991 में यह लिंगानुपात 851 स्त्री प्रति हजार पुरुष हैं। वर्ष 1981 में 816 स्त्री प्रति हजार पुरुष था, रायबरेली नगर में इन दशक वर्षों में लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका विवरण चित्र-2 में दर्शाया गया है। लिंगानुपात की बढ़ती संख्या एक स्वस्थ प्रवृत्ति है।

चित्र-2
लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष



स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1981-2011

3.3 साक्षरता दर

रायबरेली नगर की साक्षरता दर वर्ष 1981, 1991, 2001, 2011 तथा 2021 में साक्षरता दर प्रक्षेपण बढ़कर क्रमशः 54.26, 66.99, 78.28, 72.68 तथा 76.21 रही है जो नगर में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को दर्शित करता है तथा नगर में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के स्तर को भी दर्शाता है।

3.4 कार्यशील जनसंख्या

विकास के आधार स्तम्भ के रूप में मानी जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार का प्रमुख स्थान है। नगर का आर्थिक आधार इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर

करता है और किसी भी नगर के आधार की मजबूती के सापेक्ष ही उसका सुदृढ़ भौतिक विकास भी निर्भर करता है। नगर के आर्थिक आधार के निर्धारण में प्रयुक्त प्रमुख मापदण्डों में कुल नगरीय जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारिता का प्रतिशत तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2
रायबरेली महायोजना में श्रमिकों की संख्या एवं सहभागिता दर

क्र.स.	वर्ष	श्रमिकों की संख्या	सहभागिता दर (प्रतिशत में)
1	1991	35021	26.95
2	2001	43215	25.52
3	2011	60578	31.66

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1991-2011

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर में श्रमिकों की जनसंख्या 35021 है जो कुल जनसंख्या का 26.95 प्रतिशत है। जो वर्ष 2001 में घटकर 25.52 प्रतिशत रह गयी जिसकी कुल जनसंख्या 43215 है व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर में श्रमिकों की जनसंख्या 60578 है जो बढ़कर 31.66 प्रतिशत हो गयी है। नगर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये औद्योगिक विकास को त्वरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

रायबरेली में वर्ष 2011 में कुल 60578 श्रमिक थे जिनमें से 1.09 प्रतिशत कृषक थे तथा 3379 (5.56 %) कृषि श्रमिक, 4441 (7.33 %) औद्योगिक श्रमिक तथा 51654 (85.27 %) अन्य गतिविधियों/सेवाओं में कार्यरत थे जिनका विवरण तालिका संख्या-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3
रायबरेली नगर में श्रमिक (2011)

श्रमशक्ति	कुल श्रमिक	कृषक	प्रतिशत	कृषि श्रमिक	प्रतिशत	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत
मुख्य श्रमिक	47798	902	3.70	1864	3.90	3191	6.68	41841	87.54
सीमान्त श्रमिक	12780	247	1.93	1515	11.85	1250	9.78	9813	76.78
कुल	60578	1149	1.90	3379	5.58	4441	7.33	51654	85.27

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण


2011 की जनगणना के अनुसार रायबरेली में कुल श्रमिक 60,578 व्यक्ति थे, जिनमें से 48,761 पुरुष व 11,817 महिला श्रमिक थी। रायबरेली नगर में मुख्य श्रमिक 47,798 थे जो 78.90 प्रतिशत है, जिनका विवरण तालिका-4 में दर्शाया गया है। भारतीय जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वे श्रमिक हैं जो किसी भी गतिविधि में एक वर्ष में 6 माह से अधिक समय तक काम करते हैं जिसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिकों में कृषक, खेतीहर मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक शामिल हैं। अन्य श्रमिकों में राजकीय कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने और बागान में काम करने वाले श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, आर्थिक गतिविधियों में लगे व्यक्ति शामिल हैं। रायबरेली नगर में सीमांत कार्यकर्ता 12780 व्यक्ति थे, जिनमें से 8514 पुरुष थे और 4266 महिलाएं थी। सीमांत श्रमिक वे श्रमिक हैं जो एक वर्ष में 6 महीने से कम समय तक काम करते हैं। इसमें कृषक व कृषि गतिविधियों में लगे श्रमिक सम्मिलित हैं। जबकि गैर-श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो पूरे वर्ष के दौरान किसी भी आर्थिक/उत्पादक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं, जिनकी जनसंख्या 130738 व्यक्ति थी, जिनमें से 51142 पुरुष व 79596 महिलाएं हैं।

तालिका-4
रायबरेली नगर में श्रमशक्ति दशकवार

क्षेत्र	कुल श्रमिक			मुख्य श्रमिक			सीमान्त श्रमिक		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011	1991	2001	2011
रायबरेली नगर	35021	43215	60578	34281	37565	47798	740	5650	12780

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1991-2011

चित्र-3
रायबरेली नगर में श्रमशक्ति



स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1991-2011

तालिका-5
रायबरेली नगर में श्रमिक (2001)

श्रमशक्ति	कुल श्रमिक	कृषक	प्रतिशत	कृषि श्रमिक	प्रतिशत	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत
मुख्य श्रमिक	37565	921	3.70	756	02.01	2040	5.43	33848	90.11
सीमान्त श्रमिक	5650	151	2.67	826	14.64	812	14.37	3860	68.52
कुल	43215	1072	2.48	1583	3.66	2852	6.60	37708	87.26

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2001

3.7 पारिवारिक संरचना

1991 में रायबरेली नगर की जनसंख्या 129904 थी और कुल भवनों की जनसंख्या 23627 थी जबकि परिवार का आकार 5.49 व्यक्ति था जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 5.79 व्यक्ति व जनसंख्या 1,69,333 थी। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 1,91,316 और कुल परिवार 35,197 थे, परन्तु परिवार का आकार घटकर 5.43 रह गया। अतः 2011 में परिवार के आकार में थोड़ा ह्रास हुआ है जिसे तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6
रायबरेली नगर में परिवारों का आकार

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	परिवारों का आकार
1	1991	129904	23627	5.49
2	2001	169333	29196	5.79
3	2011	191316	35197	5.43

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1991-2011

3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

मानवीय गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.9 प्राथमिक क्रिया

प्राथमिक गतिविधियों से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें कृषि आधारित गतिविधियाँ तथा खेतिहर श्रमिक सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में बागवानी और खनन, मत्स्य पालन, डेयरी और मुर्गीपालन जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। रायबरेली नगर में 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक गतिविधियों में कुल 902 व्यक्ति काम करते थे

जिनमें से पुरुष 803 तथा 99 महिलाएँ कार्यरत थी। इसी तरह कुल 1864 व्यक्ति कृषि श्रमिक के रूप में काम रहे थे जिनमें से 1613 पुरुष 251 महिलायें हैं।

3.10 द्वितीयक क्रिया

द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन से सम्बन्धित वे गतिविधियां सम्मिलित हैं जिसमें मुख्यतः औद्योगिक, निर्माण आदि गतिविधियों में कच्चे माल का स्वरूप बदलकर अन्तिम रूप से उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएँ शामिल हैं। रायबरेली में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 3991 व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत थे जिनमें से 2429 पुरुष तथा 762 महिलाएँ सम्मिलित हैं।

3.11 तृतीयक क्रिया

अर्थव्यवस्था में सेवा के क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग, सुरक्षा, विनिमय, संचार और परिवहन जैसी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रायबरेली में इस क्षेत्र में कुल 41841 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से 35402 पुरुष तथा 6439 महिलायें सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से रायबरेली नगर में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से विदित होता है कि रायबरेली नगर एक तृतीयक क्रियाओं से सम्बन्धित सेवाओं वाला नगर है।

रायबरेली में वर्ष 2001 एवं 2011 में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7
रायबरेली नगर में आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

वर्ष	कृषक	प्रतिशत	कृषि श्रमिक	प्रतिशत	औद्योगिक श्रमिक	प्रतिशत	अन्य श्रमिक	प्रतिशत
2001	921	2.45	756	2.01	2040	5.43	33848	90.11
2011	902	1.89	1864	3.90	3191	6.68	41841	87.54

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2001-2011

3.12 भौतिक अवसंरचना

3.12.1 जलापूर्ति

वर्तमान में रायबरेली नगर में उत्तर प्रदेश जल निगम (UPJN) निर्माण एवं नयी परियोजनाओं के लिये जिम्मेदार हैं और एन.पी.पी. जल प्रणाली के वितरण, संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार है और इसकी योजनाएं यू.पी.जे.एन. द्वारा सौंपी गई है। जनगणना पुस्तिका वर्ष 2011 के अनुसार कुल 37957 भवनों में से 12,418 (36.57 प्रतिशत) भवनों में उपचारित स्रोत से पीने के जल की आपूर्ति की जाती है। 2,027 (5.97) प्रतिशत भवनों को अनुपचारित स्रोतों से नल का पानी मिल रहा है। 11628 (34.34) प्रतिशत परिवारों में उपचारित नल के पानी की आपूर्ति नहीं है लेकिन वह परिवार हैंडपंप पर निर्भर है क्योंकि क्षेत्र में जल का स्तर ऊँचा है और 7,460 (21.97 प्रतिशत) परिवारों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में बोरवेल है। नगर पालिका परिषद के आंकड़ों के अनुसार नगर में 35.06 एम.एल.डी. जल की आपूर्ति की जाती है, नगर में कुल 19 उच्च जलाशय स्थित हैं जिसकी प्रति टंकी की 100000 लीटर क्षमता है। नगर की कई मलिन बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में नगरपालिका द्वारा पीने योग्य जल की आपूर्ति नहीं है। नगर में जल आपूर्ति विवरण तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8
जल आपूर्ति विवरण

वार्ड	आपूर्ति की गयी पानी की मात्रा (एम.एल.डी.)	प्रतिदिन आपूर्ति का समय	कुल कनेक्शन	प्रति व्यक्ति खपत प्रति दिन	कुल क्षेत्र (वर्गमीटर)	पैमाइश हासिल की प्रतिशत
1 से 34	35.06	4.30	39800	135	49	71

स्रोत : नगर पालिका परिषद रायबरेली-2020

तालिका-9
जल आपूर्ति का स्रोत

वार्ड	नल का पानी		अन्य जल स्रोत			
	उपचारित स्रोत से	अनुपचारित स्रोत	कुआं	हैंडपंप	नलकूप	तालाब/झील
1 से 34	—	—	—	3372	65	—

स्रोत : नगर पालिका परिषद रायबरेली-2020

135 एल.पी.सी.डी. पर कुल 35.06 एम.एल.डी. की आपूर्ति के साथ 71 प्रतिशत परिवार पाइप के पानी से जुड़े हैं। नगर के घरेलू कनेक्शन में अंतर है, फिर भी नगर पारंपरिक आपूर्ति विधियों पर निर्भर है जैसे 65 परिवार नलकूप का उपयोग कर रहे हैं। 3372 परिवार हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं, जिसका विवरण तालिका-9 में दर्शाया गया है। नगर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है फिर भी सुबह और शाम के समय विपरीत एक दिन में 4.30 घंटों ही पानी की आपूर्ति होती है। वर्तमान में नगर में कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है।

3.12.2 जल निकासी

जनगणना पुस्तिका वर्ष 2011 के अनुसार कुल 33957 परिवारों में से 13,675 जो कि 40.27 प्रतिशत परिवार पूरी तरह बंद नलों से सम्बद्ध हैं। 16882 परिवार जो कि 49.72 प्रतिशत परिवार खुले नलों से सम्बद्ध हैं, जबकि 3400 परिवारों के घरों में जल निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसका विवरण तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका-10
जल निकासी

कुल परिवार	खुले नाले	ढके हुए नाले	कोई व्यवस्था नहीं
33957	16882	13675	3400

स्रोत : नगर पालिका परिषद रायबरेली-2020

3.12.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 65 मैट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, घरेलू कचरा नगर में कचरा करने का प्रमुख स्रोत है। जिसका विवरण तालिका-11 में दर्शाया गया है। नगर में घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से होने वाले कचरे को व्यवस्थित रूप से संग्रह करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बायो-मेडिकल अपशिष्ट भी घरेलू अपशिष्ट में मिश्रित हो जाता है। इस मिश्रण से घातक भूमि एवं जल प्रदूषण की संभावनाएं हैं। इस प्रकार डाले गये कूड़े के सड़ने से जहाँ एक ओर मिथेन एवं ईथेन गैस निकल कर वातावरण को प्रदूषित करती है, वहीं कूड़े एवं अपशिष्ट से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। नगर पालिका परिषद रायबरेली के आंकड़ों के अनुसार ठोस कचरा घर-घर नहीं उठाया जाता है। नगर में मात्र एक डम्पिंग साईट है जो जगदीशपुर मार्ग पर पी.ए.सी के सामने स्थित है। कुछ

लोग अपना कूड़ा-कचरा संग्रहण केन्द्रों पर डाल देते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारी रिक्शे के द्वारा कचरे को एक जगह एकत्र कर देते हैं। एकत्र कचरा संग्रहण केन्द्र पर डाल देते हैं जबकि टिप्पर के माध्यम से यह कचरा निस्तारण स्थल अथवा डंपिंग साईट पर एकत्र किया जाता है। कचरा निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद के अपने 8 टिप्पर, 15 डम्पर और 7 अन्य वाहन हैं। जिसका विवरण तालिका-13 में दर्शाया गया है। नगर में उत्पन्न होने वाले कूड़े का लगभग 60% ही निस्तारण हो पाता है, तथा स्लम एवं अनाधिकृत क्षेत्रों में कचरा निस्तारण की समस्या और भी जटिल है। जिसका विवरण तालिका-11 में दर्शाया गया है।

नगर में घरेलू कूड़ा ही कूड़े का मुख्य स्रोत है। भावी ठोस कचरा निस्तारण की आवश्यकताओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग अथवा विशेषज्ञों से नगर के लिए अलग प्लान तैयार किये जाने का प्रस्ताव है जोकि महायोजना में समावेश किया जा सकेगा, जिसका विवरण तालिका-12 व 13 में दर्शाया गया है।

तालिका-11
ठोस अपशिष्ट उत्पादन विवरण

वार्ड	प्रतिदिन कचरा	औसत संग्रह	कुलघर डोर कचरा संग्रहण	सेनेटरी लैंड का कुल क्षेत्रफल	जनशक्ति	कुल लैंडफिल साईट
1 से 34	65 टन	65 टन	0	0.8	587	1

स्रोत : नगर पालिका परिषद, रायबरेली-2020

तालिका-12
ठोस अपशिष्ट पृथक्कीकरण

डिग्रेडेबल	वायोडिग्रेडेबल	अस्पताल का कचरा	अन्य
40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	—	—

स्रोत : नगर पालिका परिषद, रायबरेली-2020

तालिका-13
ठोस कचरा का निष्पादन

वाहनों का प्रकार	ट्रक/लारी	टिप्पर	डम्पर/प्लेसर	त्रिपहिया वाहन	अन्य
30	—	8	15	—	7

स्रोत : नगर पालिका परिषद, रायबरेली-2020

3.12.4 बिजली

वर्तमान में नगर में 7 सबस्टेशन विद्यमान है जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) नगर में विद्युत के वितरण के लिये जिम्मेदार है। नगर के विद्युत बोर्ड के अनुसार नगर में प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जाती है और औसत विद्युत की कमी 25 प्रतिशत दर्ज की गयी है। रायबरेली नगर में 2 प्रमुख स्रोत विद्युत वितरण कर रहे हैं जो त्रिपुला एवं अमावां क्षेत्र में स्थापित हैं। वर्ष 2019-2020 की विद्युत वितरण संभाग-1, सुपर मार्केट, रायबरेली विभागी सूचना के अनुसार नगर में 36267 घरेलू, 239 औद्योगिक, 6145 व्यवसायिक तथा 234 अन्य संयोजन कनेक्शन है। जिसे तालिका-14, 15 व 16 में दर्शाया गया है।

तालिका-14
विद्युत की मांग व आपूर्ति

विद्युत स्रोत	दूरी	कुल विद्युत की मांग (मेगावाट)	कुल विद्युत की आपूर्ति (मेगावाट)	कुल खपत (MKWH)
132 केवी एस/एस त्रिपुला	10	310523	310523	285682
132 केवी एस/एस अमावां	10			

स्रोत : विद्युत वितरण संभाग-1, वर्ष-2019-2020

तालिका-15
विद्युत की मांग व आपूर्ति

प्रकार	आवासीय	व्यवसायिक	उद्योग	कृषि	अन्य	कुल
कनेक्शन की संख्या	36267	6145	239	0	234	42885
विद्युत की खपत की संख्या (KWH)	100009365	22539222.48	57216484.68	0	12110800.9	191875873.1

स्रोत : विद्युत वितरण संभाग-1, वर्ष-2019-2020

तालिका-16
विद्युत सब-स्टेशन का विवरण/क्षमता

सब-स्टेशन का नाम	क्षमता	अधिकतम भार
33/11 के.वी. अमावां	10 एम.वी.ए.	8.5 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. आचार्य द्विवेदी नगर	10 एम.वी.ए.	4.1 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. तिलियाकोट	20 एम.वी.ए.	17.4 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. प्रगतिपुरम	10 एम.वी.ए.	8.6 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. इंदिरा नगर	20 एम.वी.ए.	12.2 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. गोरा बाजार	15 एम.वी.ए.	9.1 एम.वी.ए.
33/11 के.वी. आई.टी.आई.	20 एम.वी.ए.	12.4 एम.वी.ए.

स्रोत : विद्युत वितरण संभाग-1, वर्ष-2019-2020

3.12.5 डाक एवं संचार

वर्तमान में नगर में 1 मुख्य डाकघर, 7 उप-डाकघर, 2 प्रशासनिक कार्यालय, 8 शाखा डाकघर स्थापित है। नगर में दूरसंचार केन्द्रों में 12000 दूरभाष कनेक्शन हैं, परन्तु वर्तमान में नगर में 300 लैण्डलाइन दूरभाष कनेक्शन क्रियाशील हैं।

3.12.6 अन्य सुविधायें

3.12.6.1 पुलिस थाना


रायबरेली नगर में एक कोतवाली तथा एक थाना (मिल एरिया) के साथ 4 पुलिस चौकी क्रमशः सिविल लाईन्स, इन्दिरा नगर, किला एवं जहाँनाबाद क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर 85000 व्यक्तियों के लिये एक थाना तथा 42500 व्यक्तियों के लिये एक पुलिस चौकी उपलब्ध है जो पर्याप्त नहीं है। जिसे तालिका-17 तथा मानचित्र संख्या-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-17
पुलिस थाना की सूची

पुलिस थाना का नाम	संख्या	क्षेत्र का नाम
कोतवाली	1	नगर रायबरेली
थाना	1	मिल एरिया
पुलिस चौकी	1	सिविल लाईन्स
पुलिस चौकी	1	इन्दिरा नगर
पुलिस चौकी	1	किला
पुलिस चौकी	1	जहाँनाबाद

स्रोत : पुलिस विभाग, रायबरेली-2019

मानचित्र-2 रायबरेली नगर में पुलिस थाने



स्रोत: पुलिस विभाग 2019

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

3.13.1 शिक्षण सुविधायें

रायबरेली विकास क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में फिरोज गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि रतापुर में स्थित है जिसकी स्थापना 2004 में की गयी थी। राष्ट्रीय इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि दूरभाष नगर में स्थापित है। वर्ष-2021 के सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत 158 प्राथमिक विद्यालय, 82 माध्यमिक, 8 डिग्री कॉलेज/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तथा 49 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय रायबरेली विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसे तालिका-18 में दर्शाया गया है।

तालिका-18
शैक्षणिक सुविधायें

क्र. स.	शैक्षणिक संस्थायें	संख्या
1	प्राथमिक स्कूल	158
2	माध्यमिक स्कूल	82
3	उच्च माध्यमिक स्कूल/इण्टर कॉलेज	49
4	डिग्री कॉलेज/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज	8

स्रोत : शिक्षा विभाग, यू.डी.आई.एस.ई वर्ष -2018 एंव प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष -2020

3.13.2 स्वास्थ्य सुविधायें

किसी भी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधायें नगरीय विकास के सूचकांक को इंगित करती है। रायबरेली नगर में बहुत से अस्पताल व क्लिनिक के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली नगर में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 5 सामान्य चिकित्सालय, 01 यूनानी, 31 डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र, 11 पारिवारिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, 8 मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर, 7 एलोपैथी, 14 आयुर्वेदिक अस्पताल/स्वास्थ्य क्लिनिक उपलब्ध हैं। अस्पतालों में जिला अस्पताल, देवानन्दपुर अस्पताल, राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल, अवध अस्पताल, ज्योतिराज अस्पताल

आदि प्रमुख है। नगर में राजकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत विवरण तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका-19
स्वास्थ्य सुविधायें

स्वास्थ्य सुविधायें	संख्या
सामान्य चिकित्सालय	5
यूनानी	1
डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र	31
परिवार स्वास्थ्य/कल्याण केन्द्र	11
मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर	8
आयुर्वेदिक	14
एलोपैथी	7

स्रोत: मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली वर्ष 2018-2019 एवं प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष -2020

3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधायें

नगर में बढ़ते व्यवसायिकरण एवं भूमि मूल्य के कारण नियोजित पार्क एवं खुले स्थलों आदि पर जहाँ अधिक दबाव बढ़ जाता है वहीं दूसरी तरफ विकासशील क्षेत्र में भी पार्क एवं खुले स्थलों के अन्तर्गत खुले क्षेत्र कम छोड़ना तथा उनका अन्य उपयोगों में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पार्क एवं खुले स्थलों के क्षेत्र में कमी आने से स्वस्थ जीवन निर्वाह के स्तर में गिरावट आती है। रायबरेली नगर में वर्तमान में पार्क एवं खुले स्थलों हेतु 191.34 हेक्टेयर क्षेत्र जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.57 प्रतिशत है। रायबरेली विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद ने अपने नियोजित पार्क एवं खुले स्थल उपलब्ध कराये हैं परन्तु इनका उपयोग पुराने नगर के निवासियों के लिए दूरस्थ स्थिति के कारण समुचित नहीं हो पा रहा है। मनोरंजन सुविधाओं के अन्तर्गत नगर निवासियों हेतु 01 स्टेडियम जिसे 'पंडित मोतीलाल नेहरू' के नाम से जाना जाता है, नगर में 06 सिनेमा हॉल, 06 पुस्तकालय एवं 01 वाचनालय उपलब्ध है। नगर के घने बसे पुराने क्षेत्र एवं नियोजित क्षेत्रों में इनका पूर्ण अभाव है।

3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल

रायबरेली नगर में दूरभाष केन्द्र मार्ग पर अभयदाता मन्दिर, हनुमान मन्दिर, श्री मन्शा देवी जी का मन्दिर रेलवे स्टेशन मार्ग पर एवं श्री जगमोहनेश्वर धाम सुपर मार्केट के पास (चन्दापुर भवन परिसर में) तथा सई ब्रिज के पास भारत माता मन्दिर आदि प्रमुख है।

उपरोक्त के अतिरिक्त रायबरेली नगर में दीवान ए—शाह मस्जिद, नूर मस्जिद, तकिया किलन आदि प्रमुख हैं।

3.13.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें

फिरोज गाँधी ऑडीटोरियम फिरोज गाँधी डिग्री कॉलेज में स्थित है। रायबरेली में सिविल लाईन क्षेत्र में प्रदर्शनी एवं मेला स्थल है जहाँ पर वर्षभर प्रदर्शनी, मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं। रायबरेली में चन्दापुर कोठी के पास भी मेले, कार्तिक मेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं।

3.13.6 अग्निशमन

रायबरेली नगर में कुल 1 अग्निशमन केन्द्र है जो कचहरी रोड पर स्थित है जो नगर और आसपास की तहसील में आग की दुर्घटनाओं से निपटने में मदद करता है। जिसे तालिका-20 में दर्शाया गया है।

तालिका-20
अग्निशमन केन्द्रों की सूची

अग्निशमन केन्द्र का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
रायबरेली नगर	22050

स्रोत: मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रायबरेली-2021

अध्याय-4

पर्यटन प्रोफाइल

4.1 रायबरेली में पर्यटन/पर्यटन गतिविधियां/पर्यटक प्रवाह/फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

डलमऊ—पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित डलमऊ रायबरेली जिले का ऐतिहासिक स्थल है। इस शहर के आकर्षणों में डल राजा का किला, बड़ा मठ और महेश गिरी मठ प्रमुख हैं। डलमऊ में नवाब शुजाउद्दौला का इब्राहिम शारिक महल भी है। पर्यटक आल्हा ऊदल की बैठक देखने के साथ-साथ डलमऊ पम्प नहर पर चहल कदमी का आनन्द ले सकते हैं।

इन्दिरा उद्यान—इन्दिरा गाँधी मेमोरियल बायोटेक्निकल गार्डन को 1986 में स्थापित किया गया था। 57 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला यह सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान केवल पौधों, फूलों और बगीचों के लिये ही नहीं है। बल्कि अनुसंधान करने वालों, वैज्ञानिकों और पौधों के बारे में और जानने वालों के लिये एक शैक्षणिक संस्थान भी है। यह गार्डन कई औषधीय और सजावटी पौधों का घर है। यहाँ पर ग्रीनहाउस के अलावा रॉक गार्डन, रोज गार्डन, मौसमी गार्डन और जलीय गार्डन भी है।

समसपुर पक्षी अभ्यारण्य—जिले के रोहनिया विकास खंड में स्थित है, लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर लगभग 122 किलोमीटर दूर 799.371 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र पर 1987 में स्थापित किया गया था। ऊंचाहार निकटतम रेलवे स्टेशन है और निकटतम हवाई अड्डा फुरसतगंज है। इस यात्रा की सबसे अच्छी अवधि नवम्बर से मार्च तक है। पक्षियों की 250 से अधिक किस्में देखी जा सकती है जो ग्रेलैंग हंस, पिन टेल, आम तील, विजन, शोवलेर, सुर्खाब आदि शामिल है जो 5000 कि.मी. की दूरी से यहाँ आते है। स्थानीय पक्षियों कंधी बतख, तील, स्पॉट विधेयक, चम्मच विधेयक, किंग फिशर, गिद्ध आदि। समसपुर झील में मछली के 12 किस्में पाई जाती है।

बेहटा का पुल—बेहटा पुल रायबरेली के उस बाहरी इलाके में स्थित है जहाँ पर शारदा नहर और सई नदी एक दूसरे को काटती है। इस जगह पर शारदा नहर सई नदी

पार कर एक जलसेतु का निर्माण करती है। उक्त के अतिरिक्त जनपद रायबरेली में शिवगढ़ पैलेस एवं भुवनेश्वर महादेव मंदिर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है।

उपरोक्त विवरण उप निदेशक पर्यटन विभाग उ०प्र० लखनऊ/कानपुर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार है।

4.2 पर्यटन नीति

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश नयी पर्यटन नीति 2022-23 के अनुसार पर्यटन इकाईयों एवं हेरिटेज होटलों की स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में छूट का प्राविधान किया गया है। अतः नगर में होटल सहित गेस्ट हाउस, मॉल आदि के निर्माण हुये हैं तथा भविष्य के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि वाणिज्य एवं सामाजिक सुविधाओं में आरक्षित की गयी है, जहां पर पर्यटन इकाईयों की स्थापना की जा सकती है।

4.3 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं

पर्यटन विभाग की जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं निम्न है, जिनका विवरण तालिका-21 में निम्नसार है।

तालिका-21

पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	योजना का स्वीकृत वित्तीय वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति (रु० लाख)
1.	जनपद रायबरेली में इन्दिरा गांधी स्मारक वानस्पतिक उद्यान के अन्तर्गत ईको पर्यटन विकास कार्य।	2022-23	175.00
2.	जनपद रायबरेली स्थित समसपुर पक्षी बिहार का ईको टूरिज्म विकास।	2022-23	120.77
3.	जनपद रायबरेली, डलमऊ तहसील में गंगा नदी के तट पर निर्मित शिव मन्दिर का पर्यटन विकास।	2022-23	121.30
4	जनपद रायबरेली के शंकरपुर (जगतपुर)		

	स्थित राना बेनी माधव सिंह की कार्य स्थलीय स्मृति स्थल का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थलों का विकास।	2022-23	27.29
5	जनपद रायबरेली के ब्लॉक अमावा सीतारामन जनई स्थित राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ स्थल का पर्यटन विकास।	2021-22	59.64
6	जनपद रायबरेली के ग्राम शिवगढ़ में स्थित राम जानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	2022-23	81.72
7	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सरैनी, ग्राम सभा पल्टी खेड़ा में सोहलेशवर मंदिर का सौन्दर्यीकरण/ पर्यटन विकास।	2022-23	88.76
8	जनपद रायबरेली के गदियानी में औघड़नाथ मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास।	2022-23	87.71
9	जनपद रायबरेली के ग्रामसभा चन्दापुर स्थित मुडावीर बाबा मंदिर, मिदुअवीर बाबा, महारानी का थान, श्री हरदेव बाबा स्थल और बड़े बाबा स्थल का पर्यटन विकास।	2022-23	99.37
10	जनपद रायबरेली के ग्रामसभा जानेई स्थित सर्प यज्ञ स्थल का पर्यटन विकास।	2022-23	78.36
11	जनपद रायबरेली के महाराजगंज स्थित झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।	2022-23	41.71

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश

अध्याय-5

पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना


रायबरेली नगर में वर्तमान शहर के दक्षिण में तथा विकास क्षेत्र के मध्य में से सई नदी प्रवाहित होती हुई पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त नगर के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर शारदा नहर प्रवाहित होती है। रायबरेली नगर में ये दो महत्वपूर्ण जलीय संरचनाओं के अतिरिक्त विद्यमान/राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाबों/पोखरों/जलाशयों आदि को यथासंभव मानचित्र संख्या-3 एवं आंकड़ों के रूप में तालिका-22 में दर्शाया गया है।

तालिका-22
जलीय संरचना

श्रेणी	उप-श्रेणी	क्षेत्रफल (हे०)	प्रतिशत
जल निकाय	राजस्व तालाब	374.45	46.53
	कैनाल	117.51	14.60
	नदी/नाला/वाटर बॉडीज	312.86	38.87
	कुल	804.82	100

मानचित्र संख्या-3

जलीय संरचना



5.2 शहर में प्रदूषण स्तर

रायबरेली नगर उच्च वायु और जल प्रदूषण से ग्रस्त है जो मुख्य रूप से यातायात के भारी प्रवाह और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण एवं घरेलू सीवेज के शोधन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर में 3 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है जो कि टाउन हॉल कॉलोनी, खोयामंडी और अमावां रोड पर स्थित है। जिसे तालिका-23 में दर्शाया गया है। पानी की गुणवत्ता की निगरानी हेतु 2 सैंपलिंग स्टेशन जो कि, डलमऊ के पास और सुमेरपुर से की जाती है जिसे तालिका-24 में दर्शाया गया है।

तालिका-23
वायु प्रदूषण

क्र.स.	नगर का नाम	स्थान	श्रेणी	मात्रा (माइक्रोग्राम)			
				पी.एम.10	एस.ओ.2	एन.ओ.2	ए.क्यू.आई
1	रायबरेली नगर	टाउनहॉल कॉलोनी	आवासीय	89	6	11.2	89
		खोयामंडी तिराहा, लखनऊ रोड	व्यवसायिक	109.9	9.3	15.4	107
		अमावां रोड	औद्योगिक	111	6	11.3	107

स्रोत : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश-2021

तालिका-24
जल प्रदूषण

क्र.स.	जिला	नदी	कोड न.	नमूना	डीओ	बीडीओ	कुल कोलीफॉर्म	फिकल कोलीफॉर्म	श्रेणी
1	रायबरेली नगर	गंगानदी	1147	डलमऊ, रायबरेली	10.1	3.5	2700	1400	डी
2	रायबरेली नगर	झील	2499	सुमेरपुर	7.8	4.3	7000	4600	डी

स्रोत : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश-2021

5.3 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन में बाढ़, सूखा, आग एवं भूकम्प से जान-माल को होने वाली संभावित हानि से बचाव हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित है। प्रतिवर्ष प्रथम 3 आपदाओं के सम्बन्ध में उक्त प्रकोष्ठ द्वारा जान-माल की हानि से बचाव हेतु प्रबंधन/कार्यवाही की जाती है।

रायबरेली शहर भूकम्पीय क्षेत्र-3 में आता है, जिसमें रिक्टर स्केल के अनुसार 5 या 5 से अधिक तीव्रता की भूगर्भीय गतिविधि होने से अत्यधिक क्षति संभावित है। इस संबंध में देश में समय-समय पर आये भूकम्पों की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। अतः इस शहर में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण, नगर निगम तथा आपदा प्रबन्धन विभागों को इस सम्बन्ध में सतत् प्रचार-प्रसार करना चाहिए ताकि जान-माल की कम से कम क्षति हो। भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालन उपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।

अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवन निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी भवन, जो पूर्व में बन चुके हैं निर्माणाधीन हैं, मानचित्र स्वीकृत हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु वर्तमान में वह अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।

रायबरेली नगर में मुख्य शमन अधिकारी के अधीन 6 अग्निशमन केन्द्र आते हैं जिनमें से विकास क्षेत्र में 1 रायबरेली नगर में स्थित है। ये अग्निशमन केन्द्र कचहरी रोड में स्थित है जो विकास क्षेत्र में आग की दुर्घटनाओं से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

अध्याय-6

वर्तमान भू-उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू-उपयोग-2021

रायबरेली नगर में विभिन्न भू-उपयोग के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि नगर में आवासीय विकास तीव्र गति से हुआ है और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार जलापूर्ति, सीवरज, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, विद्युत आपूर्ति आदि में वृद्धि एवं सुदृढीकरण न हो पाने के कारण इन सुविधाओं का अभाव है तथा जीवन स्तर की गुणवत्ता में गिरावट आई है।


उपरोक्त के अतिरिक्त अनियंत्रित भौतिक विस्तार का प्रतिकूल प्रभाव यातायात एवं परिवहन सुविधाओं पर भी पड़ा है क्योंकि मार्गों पर अतिक्रमण एवं अव्यवस्थित यातायात प्रणाली से अत्यधिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है इन्हीं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भू-उपयोग का विश्लेषण कर प्रस्तावित भू-उपयोग के माध्यम से जिन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास ही इस महायोजना का मुख्य ध्येय है। वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र-4 एवं आंकड़ों के रूप में तालिका-25 दर्शाया गया है।

तालिका-25
वर्तमान भू-उपयोग-2021

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	क्षेत्रफल (%)
आवासीय	1300.55	51.48
व्यवसायिक	62.06	2.46
औद्योगिक	208.25	8.24
कार्यालय	135.8	5.38
सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधायें	124.62	4.93
पार्क एवं खुले स्थल	191.34	7.57
यातायात/रेलवे	413.33	16.36
अन्य	90.28	3.57
योग	2526.23	100
ग्रामीण आबादी	1138.8	
रिक्त भूखण्ड	489.908	
कृषि	16815.06	
कुल योग	20970	

स्रोत : जी.आई.एस सर्वे 2021

मानचित्र-4
वर्तमान भू-उपयोग-2021



स्रोत: जीआईएस सर्वे 2021

6.1.1 आवासीय भू-उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 45,143 भवन आवासीय उपयोग में है जबकि 1215 भवनों का उपयोग आवासीय और अन्य उपयोग (मिश्रित उपयोग) जो कि आवासीय क्षेत्र और मिश्रित वाणिज्यिक क्षेत्र के लिये किया जा रहा है। वर्ष 2020 में रायबरेली नगर में आवासीय उपयोग हेतु 1300.55 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जो कुल विकास क्षेत्र का 51.48 प्रतिशत है जो कि आवासीय उपयोग के तहत वृद्धि सबसे अधिक रही है जिसका मुख्य कारण रायबरेली विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद द्वारा की गयी नियोजित और विकसित कॉलोनियाँ है एवं इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा अनियंत्रित रूप से अनियोजित विकास किया गया है।

6.1.1.1 परिवारों का आकार

1991 में रायबरेली नगर की जनसंख्या 129904 थी और कुल परिवारों की संख्या 23627 थी जबकि परिवार का आकार 5.49 व्यक्ति था जो कि वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या 169333 और कुल परिवारों की संख्या 29196 थी और बढ़कर परिवारों का आकार 5.79 हो गया। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 1,91,316 और कुल परिवार 35,197 थे, परन्तु परिवार का आकार घटकर 5.43 रह गया। अतः 2011 में परिवार के आकार में थोड़ा ह्रास हुआ है जिसे तालिका-26 में दर्शाया गया है।

तालिका-26
रायबरेली नगर में परिवारों का आकार

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	परिवारों का आकार
1	1991	129904	23627	5.49
2	2001	169333	29196	5.79
3	2011	191316	35197	5.43

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1991-2011

6.1.1.2 वर्तमान आवासीय स्थिति

वर्तमान आवासीय स्थिति एवं आवासों में वृद्धि और वर्तमान आवासीय आवश्यकताओं के उन्नयन को भी दर्शाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायबरेली नगर में 35,197 कुल परिवार हैं जिनमें से 80.2 प्रतिशत अपने ही (निजी) घर में रहते हैं। 17

प्रतिशत परिवार किराये के मकानों में रहते हैं और 2.8 प्रतिशत परिवार अन्य श्रेणी में रहते हैं। जिसे तालिका-27 में देखा जा सकता है। आवास की वर्तमान स्थिति तालिका-28 में दर्शायी गयी है, जो यह बताती है कि रायबरेली नगर में घरों की स्थिति अच्छी है तथा तालिका-29 में आवासीय ईकाइयों के निर्माण की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-27
रायबरेली नगर में स्वामित्व की स्थिति

क्र.स.	स्वामित्व की स्थिति	प्रतिशत
1	कुल	100
2	स्वामित्व (निजी)	80.2
3	किराये पर	17
4	अन्य	2.8

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

तालिका-28
आवासों की स्थिति

क्र.स.	नगर का नाम	कुल आवासों की स्थिति (प्रतिशत में)			
		कुल	अच्छी स्थिति	रहने योग्य	जीर्ण-शीर्ण
1	रायबरेली नगर	100	65	30.5	4.5

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

तालिका-29
आवासीय ईकाइयों का निर्माण

क्र.स.	नगर का नाम	आवासीय कमरों की संख्या (प्रतिशत में)						
		विशेष कमरा नहीं	एक कमरा	दो कमरें	तीन कमरे	चार कमरे	पांच कमरे	छः से अधिक
1	रायबरेली नगर	2.9	26	32.5	18.3	12.7	3.8	3.8

स्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

6.1.1.3 मलिन बस्तियां

नगर के बाहरी क्षेत्र में विकल्प के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवासीय सुविधा के अभाव के कारण नगर में अनाधिकृत एवं मलिन बस्तियों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों को जीवनयापन के प्रयासों हेतु अनेक समस्याएँ विद्यमान होती हैं। प्रत्येक मलिन बस्तियाँ अपने मूल स्थान, आकार और जनसांख्यिकीय विशेषताओं में अलग होती हैं जैसे की इनकी, आर्थिक स्थिति, स्वच्छता की स्थिति इत्यादि। इस क्षेत्र में लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जिनकी जनसंख्या 51831 व्यक्ति है, नगर में कुल 31 मलिन बस्तियां हैं। नगर में 22

मलिन बस्तियां लगभग 75 वर्ष से अधिक वर्षों से स्थित है। नगर में गरीबी रेखा के नीचे 58 प्रतिशत आबादी निवास करती है। मोहिद्दीनपुर मलिन बस्ती में लगभग 95 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है, कल्लु का पुरवा में 31 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है जिसे तालिका-30 में दर्शाया गया है।

तालिका-30

मलिन बस्तियों की जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या व जनसंख्या विवरण

क्र.स.	मलिन बस्तियों का नाम	वार्ड संख्या	कुल जनसंख्या	बीपीएल जनसंख्या	परिवारों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या
1	मुंशी गंज	14, 18	2562	907	467	164
2	मोहिद्दीनपुर	14	693	656	125	108
3	शाहटोला	17	2921	2233	405	319
4	घोसियाना	19	3827	1882	729	332
5	धामश्रीरायका पुरवा	3	1812	672	345	128
6	देवानंदपुर	3,4	3119	2221	595	423
7	जोशियाना	30	788	607	150	106
8	कहारो का अड्डा	28	466	376	70	57
9	काजियाना	12	1463	997	220	143
10	बसंत टोला	23	1632	660	282	117
11	मलिक मऊ	11	2196	960	400	174
12	बस्तेपुर	10	1568	604	285	109
13	घासियारी मंडी	13	1398	608	215	98
14	पासिन का पुरवा	5	99	66	18	13
15	धौराहरा	4	2811	1735	485	327
16	कल्लु का पुरवा	2,13	2631	811	401	120
17	महानंदापुर	9	1103	481	200	140
18	त्रिपशाह का पुरवा	9	1352	612	260	94
19	सूबेदार का पुरवा	10	418	306	76	56
20	किशुन का पुरवा	10	195	128	35	25
21	कप्तान का पुरवा	14	701	533	129	97
22	बिगुलचिका पुरवा	20	843	475	139	80
23	गोरा बाजार	9	1654	934	298	170
24	कटिखाना किला बाजार	12	702	518	107	68
25	दक्षिणी जहानाबाद	25	1842	1103	305	210
26	पूर्वी दरवाजा	15	1144	472	201	93
27	तेलियाकोट	28	2820	2027	470	312
28	कलिसहत	17	4289	2559	708	417
29	परियाक पुरवा	4	392	253	71	46
30	खैतराना	12	4052	3305	651	546
31	नजरवतल	9	338	223	59	40
	कुल	—	51831	29924	8910	5132

स्रोत: नगर पालिका परिषद, रायबरेली वर्ष -2018

6.1.2 व्यवसायिक

रायबरेली नगर के कुल वर्तमान विकसित क्षेत्र 2.46 प्रतिशत क्षेत्र (62.06 हेक्टेयर) फुटकर एवं थोक व्यवसायिक क्रियाकलापों में उपयोग हो रहा है। फुटकर व्यवसायिक क्रियाकलापों का विकास मुख्यतः कैसरगंज रेलवे स्टेशन मार्ग, कैपरगंज आदि क्षेत्र में हो रहा है। इसके फलस्वरूप व्यवसायिक गतिविधियाँ अनियोजित ढंग से आवासीय क्षेत्रों में मार्गों के किनारे फैल रही हैं। है। भवनों के सेट-बैक में व दुकानों के निर्माण की प्रवृत्ति के कारण इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नगर में स्पष्ट रूप से व्यवसायिक गतिविधियों का व्यापक प्रसार नहीं हुआ है। पुराने नगर के मध्य में स्थित बाजार मार्ग की चौड़ाई अत्यन्त कम होने के कारण यातायात की समस्या अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल है। व्यवसायिक क्षेत्रों में खुले स्थलों, पार्किंग एवं लोडिंग-अनलोडिंग हेतु स्थलों का अभाव होने के कारण उक्त समस्त प्रयोजनों हेतु मार्गों का उपयोग करने से वर्तमान मार्गों की प्रभावी चौड़ाई कम हो गयी है तथा थोक एवं फुटकर दुकानों के साथ ही भण्डारण एवं भारी वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात अवरुद्ध करने एवं दुर्घटना में वृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं।

6.1.3 औद्योगिक

नगर का आर्थिक विकास उस नगर के आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। नगर के आर्थिक विकास को गति देने तथा वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है व उद्योग को आर्थिक विकास की धुरी कहा जाता है। औद्योगिक विकास के कारण ही व्यवसायिक गतिविधियाँ यातायात एवं परिवहन तथा विभिन्न सेवाओं का विकास भी इसके साथ स्वयं ही होने लगता है जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

रायबरेली नगर में तीन प्रकार के पारंपरिक उद्योग जैसे हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और अन्य उद्योग जो कि लगभग 5895 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जिसका विवरण तालिका-31 व 32 में दर्शाया गया है।

तालिका-31
रायबरेली नगर में औद्योगिक विवरण

क्र.स.	उद्योग का प्रकार	ईकाइयों की संख्या	श्रमिक	मैनुअल द्वारा संचालित	हार्सपावर
1	वृहद	7	9041	मेन्युल	—
2	लघु	11	539	मेन्युल	—
3	सूक्ष्म	47	547	मेन्युल	—
4	घरेलू	2157	8305	मेन्युल	—
5	खतरनाक	4	1701	मेन्युल	—

स्रोत: जिला औद्योगिक संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्र वर्ष -2020

तालिका-32
रायबरेली नगर में पारंपरिक उद्योग

क्र.स.	पारम्परिक	ईकाइयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	कच्चा माल	निर्मित
1	हस्तशिल्प	267	952	कपड़ा	—
2	मिट्टी के बर्तन	17	97	—	—
	अन्य	1829	4846	विभिन्न प्रकार	विभिन्न प्रकार

स्रोत: जिला औद्योगिक संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्र वर्ष -2020

6.1.3.1 लघु उद्योग

औद्योगिक रूप से रायबरेली नगर जिले के अन्य नगरों की अपेक्षा विकसित नगरी है। यहाँ पर लकड़ी और लकड़ी के उद्योगों, प्लाईबोर्ड तथा निर्मित कलात्मक वस्तुएं एवं साज-सज्जा कृतियों का उत्पादन होता है। लकड़ी उद्योग नगर में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। लकड़ी पर आधारित उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग-30 तथा 128 पर स्थापित है जो कि जगदीशपुर रोड व रायबरेली-सुल्तानपुर रोड के नाम से जानी जाती है। लकड़ी उद्योग के अतिरिक्त नगर में हस्तकला उद्योग का भी प्रमुख स्थान है। यहाँ रायबरेली नगर में हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण तथा निर्यात देश के अन्य नगरों में भी अधिक समय से हो रहा है। इसके अतिरिक्त नगर में लघु एवं मध्यम उद्योग भी स्थापित हैं जिनमें पैकवेल उद्योग, शिवाय उद्योग, एस.आर.एम. और आस्था इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। उद्योगों की सूची तालिका-33 में दर्शायी गयी है।

तालिका-33
सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सूची

क्र.स.	उद्योग का प्रकार	संख्या	निवेश (लाख में)	रोजगार
1	एग्री बेस	2853	101.44	14009
2	सोडा वाटर	6	0.21	52
3	काटन टेक्सटाईल	03	28.67	3698
4	वुलन, सिल्क एण्ड आर्टिफिशियल धागे धागे वाले कपड़े	08	31.57	495
5	जूट / वुडन बेस्ड फर्नीचर	01	0.11	4
6	रेडीमेड गारमेंट एण्ड कढ़ाई	1032	17.31	3437
7	वुड/वुडन बेस्ड फर्नीचर	982	13.75	3580
8	पेपर एण्ड पेपर प्रोडक्ट	157	35.03	1668
9	लेदर बेस्ड	262	8.11	1008
10	रबड, प्लास्टिक एण्ड पैट्रो बेस्ड	80	5.76	643
11	केमिकल	163	10.38	932
12	मिनरल बेस्ड	75	9.22	928
13	मेटल एण्ड स्टील बेस्ड	254	10.44	1540
14	इंजिनियरिंग यूनिट	434	4.49	1437
15	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	152	122.57	8625
16	यातायात सामग्री	37	16.35	194
17	अन्य	573	8.92	1605
18	रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग	4106	111.02	12798
	कुल योग	11178	429.42	56653

स्रोत : डी.आई.सी. रायबरेली वर्ष -2014

6.1.3.2 वृहद् उद्योग

वृहद् उद्योगों का विकास मुख्य रूप से रायबरेली-जगदीशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-330ए पर हुआ है। इनमें से कुछ औद्योगिक स्थल नगर के पूर्व और दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं। पिछले तीन दशकों में नगर में वृहद् उद्योग स्थापित किये गये हैं उनमें से कताई मिल और सीमेंट कारखाने प्रमुख हैं जो कि अमावां रोड-सुल्तानपुर रोड पर स्थित हैं। नगर में बड़े उद्योगों की स्थापना के बाद भी नगर में औद्योगिक सीवरेज के लिये कोई ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत 208.25 हेक्टेयर भूमि आती है, जो वर्ष 2021 में नगरीयकृत भूमि का 8.24 प्रतिशत है। वृहद् उद्योगों को मानचित्र-5 एवं तालिका-34 में दर्शाया गया है।

तालिका-34
वृहद उद्योगों की सूची

क्र.स.	ईकाइयों का नाम व पता	उत्पादन
1	मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।	इलेक्ट्रॉनिक केबल और दूरसंचार उत्पाद
2	मेसर्स विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बछरावां, रायबरेली।	—
3	मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, अमावां रोड, रायबरेली।	सीमेंट
4	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊंचाहार, रायबरेली।	विद्युत उत्पादन
5	श्री भवानी पेपर मिल लिमिटेड, औद्योगिक एस्टेट, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।	पेपर उत्पाद
6	मेसर्स नंदगंज सिरौही शुगर मिल लिमिटेड, दरियापुर, रायबरेली	चीनी उत्पाद
7	यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल कंपनी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, अमावां रोड, रायबरेली।	कपड़ा
8	मालविका सीमेंट प्रा. लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।	सीमेन्ट
9	श्री निवासजी ऑयल, रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, अमावां रोड, रायबरेली।	तेल उत्पाद
10	स्लीबर प्लांट, ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, अमावां रोड, रायबरेली।	—
11	श्रेया इंजीनियरिंग लिमिटेड, चकदादर ब्लॉक, अमावां, रायबरेली।	—

स्रोत : एम.एस.एम.ई, रायबरेली वर्ष-2014

6.1.4 कार्यालय

रायबरेली नगर जिला मुख्यालय होने के कारण सेवा केन्द्र भी है। जहाँ केन्द्रीय, राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय स्थापित हैं। नगर में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, तहसील परिसर, कलेक्ट्रेट, प्रशासनिक कार्यालय, सिविल कोर्ट परिसर, डाक, दूरसंचार विभाग, प्रधान डाकघर, मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय, पुलिस लाइन, पी.ए.सी परिसर सहित और कई अन्य कार्यालय स्थापित हैं।


उपरोक्त विभिन्न प्रकार के कार्यालयों के अन्तर्गत 135.8 हेक्टेयर भूमि आती है जो वर्ष 2021 में नगरीयकृत भूमि का 5.28 प्रतिशत है।

6.1.5 सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक, सामुदायिक सुविधायें, उपयोगिताएं एवं सेवायें

सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक, सामुदायिक सुविधायें एवं उपयोगिताओं से तात्पर्य उन नगरीय सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं से होता है। जिसकी आपूर्ति सामुदायिक स्तर पर होती है। इन सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, जल-आपूर्ति, मलनिकासी, जलनिकासी, विद्युत आपूर्ति, डाकतार, दूरसंचार पुलिस स्टेशन, अग्निशमन आदि सम्मिलित है। नगरवासियों के लिये जनकल्याण, प्रगति, विकास हेतु इनकी उपलब्धता पारस्परिक रूप में एक दूसरे की पूरक है। इन सुविधाओं के अन्तर्गत नगरवासियों को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। जिसके भूमि का कुल क्षेत्रफल 124.62 हेक्टेयर है, जो कि 4.93 प्रतिशत है। नगर में वर्तमान में उपलब्ध उपरोक्त सेवाओं एवं उपयोगिताओं का विवरण निम्नानुसार है :-

6.1.5.1 शैक्षणिक

रायबरेली विकास क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में फिरोज गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि रतापुर में स्थित है जिसकी स्थापना 2004 में की गयी थी। राष्ट्रीय इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि दूरभाष नगर में स्थापित है। वर्ष-2021 के सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत 158 प्राथमिक विद्यालय, 82 माध्यमिक तथा 49 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय रायबरेली विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसका विवरण मानचित्र-6 में दर्शाया गया है।



6.1.5.2 स्वास्थ्य सुविधायें

किसी भी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधायें नगरीय विकास के सूचकांक को इंगित करती है। रायबरेली नगर में बहुत से अस्पताल व क्लिनिक के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली नगर में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 5 सामान्य चिकित्सालय, 01 यूनानी, 31 डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र, 8 मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर, 7 एलोपैथी, 11 पारिवारिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, 14 आयुर्वेदिक अस्पताल/स्वास्थ्य क्लिनिक उपलब्ध हैं। अस्पताओं में जिला अस्पताल, देवानन्दपुर अस्पताल, राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल, अवध अस्पताल, ज्योतिराज अस्पताल आदि प्रमुख हैं, जिसका विवरण मानचित्र-7 में दर्शाया गया है।

6.1.5.3 अग्निशमन केन्द्र

रायबरेली नगर में कुल 1 अग्निशमन केन्द्र है जो कचहरी रोड पर स्थित है जो नगर और आसपास की तहसील में आग की दुर्घटनाओं से निपटने में मदद करता है। जिसे तालिका-20 में दर्शाया गया है।


6.1.5.4 डाक तार एवं दूरसंचार सेवायें

वर्तमान में नगर में 1 मुख्य डाकघर, 7 उप-डाकघर, 2 प्रशासनिक कार्यालय, 8 शाखा डाकघर स्थापित है। नगर में दूरसंचार केन्द्रों में 12000 दूरभाष कनेक्शन हैं, परन्तु वर्तमान में नगर में 300 लैण्डलाइन दूरभाष कनेक्शन क्रियाशील हैं। जिसका विवरण मानचित्र-8 में दर्शाया गया है।

6.1.5.5 विद्युत आपूर्ति

वर्तमान में नगर में 7 सबस्टेशन विद्यमान है जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) नगर में विद्युत के वितरण के लिये जिम्मेदार है। नगर के विद्युत बोर्ड के अनुसार नगर में प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जाती है और औसत विद्युत की कमी 25 प्रतिशत दर्ज की गयी है। रायबरेली नगर में 2 प्रमुख स्रोत विद्युत वितरण कर रहे हैं जो त्रिपुला एवं अमावां क्षेत्र में स्थापित हैं। वर्ष 2019-2020 की विद्युत वितरण संभाग-1, सुपर मार्केट, रायबरेली विभागी सूचना के अनुसार नगर में 36267 घरेलू, 239 औद्योगिक, 6145 व्यवसायिक तथा 234 अन्य संयोजन कनेक्शन है, जिसका विवरण मानचित्र-9 में दर्शाया गया है।

मानचित्र-9 रायबरेली नगर में विद्युत प्रसारण तंत्र




स्रोत: विजली वितरण सम्भाग-1, 2020

6.1.6 जल आपूर्ति

वर्तमान में रायबरेली नगर में उत्तर प्रदेश जल निगम (UPJN) निर्माण एवं नयी परियोजनाओं के लिये जिम्मेदार हैं और एन.पी.पी. जल प्रणाली के वितरण, संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार है और इसकी योजनाएं यू.पी.जे.एन. द्वारा सौंपी गई है। जनगणना पुस्तिका वर्ष 2011 के अनुसार कुल 37957 भवनों में से 12,418 (36.57 प्रतिशत) भवनों में उपचारित स्रोत से पीने के जल की आपूर्ति की जाती है। 2,027 (5.97) प्रतिशत भवनों को अनुपचारित स्रोतों से नल का पानी मिल रहा है। 11628 (34.34) प्रतिशत परिवारों में उपचारित नल के पानी की आपूर्ति नहीं है लेकिन वह परिवार हैंडपंप पर निर्भर है क्योंकि क्षेत्र में जल का स्तर ऊँचा है और 7,460 (21.97 प्रतिशत) परिवारों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में बोरवेल है। नगर पालिका परिषद के आंकड़ों के अनुसार नगर में 35.06 एम.एल.डी. जल की आपूर्ति की जाती है, नगर में कुल 19 उच्च जलाशय स्थित हैं जिसकी प्रति टंकी की 100000 लीटर क्षमता है। नगर की कई मलिन बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियां में नगरपालिका द्वारा पीने योग्य जल की आपूर्ति नहीं है।

135 एल.पी.सी.डी. पर कुल 35.06 एम.एल.डी. की आपूर्ति के साथ 71 प्रतिशत परिवार पाइप के पानी से जुड़े हैं। नगर के घरेलू कनेक्शन में अंतर है, फिर भी नगर पारंपरिक आपूर्ति विधियों पर निर्भर है जैसे 65 परिवार नलकूप का उपयोग कर रहे हैं। 3372 परिवार हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं, नगर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है फिर भी सुबह और शाम के समय विपरीत एक दिन में 4.30 घंटों ही पानी की आपूर्ति होती है। वर्तमान में नगर में कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसका विवरण मानचित्र-10 में दर्शाया गया है।

मानचित्र-10
रायबरेली नगर में जल आपूर्ति



स्रोत: जल निगम

6.1.8 सीवरेज एवं जल निकासी

नगर के पुराने घने बसे क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है जनगणना पुस्तिका वर्ष 2011 के अनुसार कुल 33957 परिवारों में से 13,675 जो कि 40.27 प्रतिशत परिवार पूरी तरह बंद नलों से सम्बद्ध हैं। 16882 परिवार जो कि 49.72 प्रतिशत परिवार खुले नलों से सम्बद्ध हैं, जबकि 3400 परिवारों के घरों में जल निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रायबरेली नगर में जगदीशपुर रोड पर जज कॉलोनी में एस.टी.पी. उपलब्ध है जिसकी कुल क्षमता 18 एम.एल.डी. को ट्रीट करने में सक्षम है, भूमिगत सीवरेज की कुल लंबाई 208-335 किमी. और कुल क्षेत्र का 39.44 वर्ग मीटर है। जिसका विवरण मानचित्र-11 में दर्शाया गया है।

नगरपालिका परिषद रायबरेली क्षेत्र को जल निगम द्वारा 4 जोनों में विभक्त कर उक्त जोनों हेतु चरणबद्ध रूप से सीवरेज सम्बन्धी कार्यो हेतु कार्य योजना बनाकर अग्रत्तर कार्यवाही की जा रही है।

जोन-1 :- उक्त जोन में वार्ड संख्या-1 (आंशिक), वार्ड-2, वार्ड-3, वार्ड-4, वार्ड-8 (आंशिक), वार्ड-12, वार्ड-15, वार्ड-20 (आंशिक), वार्ड-24 (आंशिक), वार्ड-25, वार्ड-26, वार्ड-27 (आंशिक), वार्ड-28, वार्ड-30, वार्ड-31 को सम्मिलित कर सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित कर 1668.11 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग) में 125.00 कि०मी० सीवरेज नेटवर्क तथा उक्त सीवरेज नेटवर्क हेतु 1 नग आई०पी०एस० किलाबाजार में एवं 1 नग एस०टी०पी० 15 एम०एल०डी० प्रस्तावित है, जिसके लिये अमृत 2.0 में कार्य बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

जोन-2:- उक्त जोन में वार्ड संख्या-1 (आंशिक), वार्ड-2 (आंशिक), वार्ड-5 (आंशिक) वार्ड-6, वार्ड-7, वार्ड-8 (आंशिक), वार्ड-13 (आंशिक), वार्ड-15 (आंशिक), वार्ड-16 को सम्मिलित कर कुल 1082.84 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग) में सीवरेज नेटवर्क बिछाकर 1 नग आई०पी०एस० के निर्माण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा उक्त नेटवर्क हेतु जोन-3, पार्ट-1 में 1 नग मास्टर मेनहोल एवं 1 नग एस०टी०पी० 18 एम०एल०डी० का निर्माण कार्य अमृत योजना में पूर्ण किया जा चुका है।


जोन-3:- उक्त जोन में वार्ड संख्या-5 (आंशिक), वार्ड-9, वार्ड-10, वार्ड-11 वार्ड-13 (आंशिक), वार्ड-14 (आंशिक), वार्ड-18, वार्ड-22 (आंशिक), को सम्मिलित करते हुये लगभग 742.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सीवरेज नेटवर्क बिछाने के उपरान्त जोन-3, पार्ट-1 में निर्मित मास्टर मेनहोल को निर्मित कर 18 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में सीवरेज भेजा रहा है।

जोन-4 :- उक्त जोन में वार्ड संख्या-13 (आंशिक), वार्ड-14 (आंशिक), वार्ड-15 (आंशिक) वार्ड-20 (आंशिक), वार्ड-21, वार्ड-22 (आंशिक), वार्ड-24 (आंशिक), वार्ड-27 (आंशिक), वार्ड-29 को समाहित करते हुये लगभग 452.65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सीवरेज नेटवर्क बिछाने तथा 1 नग आई0पी0एस0 का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जिसका सीवरेज ग्रेविटी मेन के माध्यम से जोन-3 में निर्मित 18 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 पर शोधन हेतु पहुँचाया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद, रायबरेली क्षेत्रान्तर्गत 1 नग फीकल स्लज शोधन संयंत्र 32 के0एल0डी क्षमता का अमृत योजना में निर्मित किया जा चुका है, जो कि शहर में सीवरेज सम्बन्धी सुविधा को अन्तिम छोर तक पहुँचने के दृष्टिगत बनाया गया है। अतः वर्ष 2025 के अन्त तक नगर पालिका परिषद रायबरेली क्षेत्र को पूर्णतः सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित किया जाना लक्षित है।

उक्त सुझाव एवं वितरण आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं यथासम्भव महायोजना-2031 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित है।

मानचित्र-11
रायबरेली नगर में जल निकासी



स्रोत: जल निगम

6.1.9 ठोस कचरा निष्पादन

नगर में प्रतिदिन लगभग 65 मैट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, घरेलू कचरा नगर में कचरा करने का प्रमुख स्रोत है। जिसका विवरण तालिका-29 में दर्शाया गया है। नगर में घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से होने वाले कचरे को व्यवस्थित रूप से संग्रह करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बायो-मेडिकल अपशिष्ट भी घरेलू अपशिष्ट में मिश्रित हो जाता है। इस मिश्रण से घातक भूमि एवं जल प्रदूषण की संभावनाएं हैं। इस प्रकार डाले गये कूड़े के सड़ने से जहाँ एक ओर मिथेन एवं ईथेन गैस निकल कर वातावरण को प्रदूषित करती है, वहीं कूड़े से निकलने वाले अपशिष्ट से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। नगर पालिका परिषद रायबरेली के आंकड़ों के अनुसार ठोस कचरा घर-घर नहीं उठाया जाता है। नगर में मात्र एक डम्पिंग साईट है जो जगदीशपुर मार्ग पर पी.ए.सी के सामने स्थित है। कुछ लोग अपना कूड़ा-कचरा संग्रहण केन्द्रों पर डाल देते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारी रिक्शे के द्वारा कचरे को एक जगह एकत्र कर देते हैं। एकत्र कचरा संग्रहण केन्द्र पर डाल देते हैं जबकि टिप्पर के माध्यम से यह कचरा निस्तारण स्थल अथवा डंपिंग साईट पर एकत्र किया जाता है। कचरा निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद के अपने 8 टिप्पर, 15 डम्पर और 7 अन्य वाहन हैं। जिसका विवरण तालिका-31 में दर्शाया गया है। नगर में उत्पन्न होने वाले कूड़े का लगभग 60% ही निस्तारण हो पाता है, तथा स्लम एवं अनाधिकृत क्षेत्रों में कचरा निस्तारण की समस्या और भी जटिल है।

नगर में घरेलू कूड़ा ही कूड़े का मुख्य स्रोत है। भावी ठोस कचरा निस्तारण की आवश्यकताओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग अथवा विशेषज्ञों से नगर के लिए अलग प्लान तैयार किये जाने का प्रस्ताव है जोकि महायोजना में समावेश किया जा सकेगा।

6.1.10 पार्क, खुले स्थल एवं मनोरंजन

बढ़ते व्यवसायिकरण एवं भूमि मूल्य के कारण नियोजित पार्क एवं खुले स्थलों आदि पर जहाँ अधिक दबाव बढ़ जाता है वहीं दूसरी तरफ विकासशील क्षेत्र में भी पार्क एवं खुले स्थलों के अन्तर्गत खुले क्षेत्र कम छोड़ना तथा उनका अन्य उपयोगों में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पार्क एवं खुले स्थलों के क्षेत्र में कमी आने से स्वस्थ जीवन निर्वाह के स्तर में गिरावट आती है। रायबरेली नगर में वर्तमान में पार्क एवं खुले स्थलों हेतु 191.34 हेक्टेयर क्षेत्र जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.57 प्रतिशत है। रायबरेली विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद ने अपने नियोजित पार्क एवं खुले स्थल उपलब्ध कराये हैं परन्तु इनका उपयोग पुराने नगर के निवासियों के लिए दूरस्थ स्थिति के कारण समुचित नहीं हो पा रहा है। मनोरंजन सुविधाओं के अन्तर्गत नगर निवासियों हेतु 01 स्टेडियम जिसे 'पंडित मोतीलाल नेहरू' के नाम से जाना जाता है, नगर में 06 सिनेमा हॉल, 06 पुस्तकालय एवं 01 वाचनालय उपलब्ध है। नगर के घने बसे पुराने क्षेत्र एवं नियोजित क्षेत्रों में इनका पूर्ण अभाव है।

6.1.11 यातायात एवं परिवहन

नगर में बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के कारण यातायात एवं परिवहन की समस्याएँ तीव्रता से बढ़ी हैं। पूर्व में विकसित विकास क्षेत्रों में क्रियाकलापों की सघनता बढ़ने, पार्किंग व्यवस्था का पूर्णतया अभाव होने तथा मुख्य मार्गों पर स्थायी, अस्थायी अतिक्रमण होने एवं मार्गाधिकार में सामग्रियों के चढ़ाने-उतारने के कार्यों के सम्पादन के कारण यातायात की कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं। संरचना की दृष्टि से रायबरेली नगर से अमावां, परसदेपुर, महाराजगंज, कानपुर तथा प्रयागराज को जाने वाले मार्ग निकलते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में यातायात गुजरता है परन्तु इन मार्गों के दोनों ओर सघन एवं अनियोजित विकास होने के कारण क्षेत्रीय यातायात बाधित होता है।

नगर के मध्य क्षेत्रीय यातायात के प्रवेश से क्षेत्रीय एवं स्थानीय यातायात का मिश्रण होता है एवं विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। नगर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र केसरगंज, सुपरमार्केट चौराहा, स्टेशन रोड एवं रतापुर चौराहा आदि में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अल्पकालिक अवधि के लिये निजी वाहन सड़कों पर ही पार्क किये जाने से यातायात की गम्भीर समस्या हो जाती है। नगर में बस स्टैण्ड जहाँनाबाद


क्षेत्र में स्थित है जो नगर का अत्यन्त व्यस्त क्षेत्र है। जहाँ बसों के परिचालन से यातायात की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अधिकांश बसें बस अड्डे के बाहरी मार्ग पर पार्क होकर सवारियाँ उतारती चढ़ाती है।

रायबरेली नगर में मुख्य मार्गों का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.), और रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ यद्यपि नगरीय क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है परन्तु नगर के सघन क्षेत्र में ही परिवहन सुविधा का केन्द्रीयकरण होने के कारण तथा अनौपचारिक सार्वजनिक परिवहन के अनियोजित विकास से गतिरोध को बढ़ावा मिला है। नगर के यातायात सुविधा के अन्तर्गत 413.33 हेक्टेयर क्षेत्र है जो विकसित क्षेत्र का कुल 16.36 प्रतिशत है।



6.1.12 ऐतिहासिक भवनों/ क्षेत्रों हेतु प्राविधान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2 स्मारक यथा फोर्ट गेट (किला बाजार, वाशी नकवी नेशनल इन्टर कॉलेज के पास) एवं सई ब्रिज (रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड पर) स्थित हैं जो संरक्षित धरोहर घोषित हैं। दि एनशिएन्ट मॉन्युमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीडेशन) एक्ट 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी० की परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा इसके पश्चात 200 मी० की परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होगी, जिसका विवरण मानचित्र-12 में दर्शाया गया है।

मानचित्र-12
ऐतिहासिक भवन/क्षेत्र



स्त्रोत : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग



स्रोत : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग

संकेतिका

- 100 मी० की परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया)
- 200 मी० की परिधि (रेगुलेटेड एरिया)

6.2 वर्तमान महायोजना 2021 का विश्लेषण/तुलनात्मक अध्ययन

रायबरेली महायोजना-2021 में अनुमानित जनसंख्या 4.00 लाख हेतु 4139.89 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसका विवरण तालिका-35 में दिया गया है। रायबरेली महायोजना-2021 जो 14 दिसंबर 2007 से प्रभावी है जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4139.89 हेक्टेयर है।

तालिका-35
रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग	प्रतिशत
1	2	3	5
1	आवासीय	1809.25	43.70
2	व्यवसायिक	152.07	3.67
3	औद्योगिक	399.06	9.64
4	कार्यालय	142.07	3.43
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	357.36	8.36
6	यातायात	568.11	13.73
7	पार्क एवं खुले स्थल	661.43	15.98
8	अन्य	50.54	1.22
योग		4139.89	100

वस्तुतः जी.आई.एस तकनीक से क्षेत्रफल की गणना करने पर रायबरेली महायोजना-2021 का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4183.54 हेक्टेयर होता है जिसका भू-उपयोग वार विस्तृत विवरण तालिका-36 में दिया गया है।

रायबरेली महायोजना-2021 के अनुसार कुल 9 नियोजन खण्ड प्रस्तावित किये गये थे। जिनके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाये गये है। अतः महायोजना-2021 का सापेक्षित मूल्यांकन मुख्य भू-उपयोगों के संदर्भ में किया गया है।

तालिका-36

रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग जी.आई.एस के अनुसार

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग	प्रतिशत
1	2	3	5
1	आवासीय	1657.83	39.63
2	व्यवसायिक	148.43	3.55
3	औद्योगिक	294.34	7.04
4	कार्यालय	137.91	3.30
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगिताय	389.69	9.31
6	यातायात	684.19	16.35
7	पार्क एवं खुले स्थल	821.18	19.63
8	अन्य	49.97	1.19
योग		4183.54	100

6.2.1 आवासीय

रायबरेली महायोजना-2021 में आवासीय प्रयोजनार्थ जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1657.83 हेक्टेयर है। वर्ष 2020-21 तक रायबरेली में आवासीय प्रयोजनार्थ 1300.55 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कुल आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि (1657.83 हेक्टे0) का 78.44 प्रतिशत रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से अभी भी 21.56 प्रतिशत आरक्षित भूमि रिक्त है। ये भूमि अधिकतर रायबरेली शहर के उत्तरी हिस्से में महाराजगंज को जाने वाले मार्ग पर ग्राम-गढ़ीखास, रामपुर, गोकुलपुर, एवं पश्चिम दिशा में ग्राम-चतुर्भुजपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है।

6.2.2 व्यवसायिक

रायबरेली महायोजना-2021 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 148.43 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से आधे से भी कम क्षेत्रफल अर्थात् 62.06 हेक्टेयर भूमि पर ही व्यवसायिक गतिविधियों का विकास हो पाया है जिसका कुल प्रतिशत 41.81 रहा है। जिसका विवरण तालिका-36 में दिया गया है। व्यवसायिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में से अभी भी 58.19 प्रतिशत भूमि रिक्त है। ये व्यवसायिक केन्द्र मुख्यतः रायबरेली से लखनऊ को जाने वाले मार्ग ग्राम-डिडौली के समीप, ग्राम-रामपुर के

उत्तरी हिस्से में थोक व्यापार/भण्डार भू-उपयोग, ग्राम-छजलापुर के पीछे एवं सारस होटल से सुल्तानपुर जाने वाले मार्ग के बायीं ओर पर स्थित है।

6.2.3 औद्योगिक

रायबरेली महायोजना-2021 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 294.34 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से 208.25 हेक्टेयर भूमि ही विकसित हुई है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में से 29.25 हेक्टेयर भूमि अभी भी अविकसित है। ये भूमि मुख्यतः रतापुर चौराहे से अमावां को जाने वाले मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0ए0 क्षेत्र के पीछे एवं सारस होटल से सुल्तानपुर जाने वाले मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0ए0 क्षेत्र को छोड़कर शेष औद्योगिक भू-उपयोग अविकसित है।

6.2.4 कार्यालय

रायबरेली महायोजना-2021 में कार्यालय प्रयोजनार्थ जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 137.91 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से, वर्ष 2020-21 तक, 135.8 हेक्टेयर भूमि कार्यालय प्रयोजनार्थ विकसित हो पायी है। रायबरेली महायोजना-2021 में कार्यालय भू-उपयोग को यथासंभव विद्यमान संचालित कार्यालयों पर ही दर्शाया गया था।

6.2.5 सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें

रायबरेली महायोजना-2021 में सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें प्रयोजनार्थ जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 389.69 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, इन सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं में शैक्षणिक संस्थायें, चिकित्सालय, अन्य सुविधायें एवं सेवायें, विद्युत उपकेन्द्र, सीवरेज फार्म/ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, ठोस अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र आदि सम्मिलित है। उक्त भू-उपयोगों के अन्तर्गत 389.69 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें से मात्र 124.62 हेक्टेयर (31.97 प्रतिशत) भूमि ही विकसित हो पायी है। वर्तमान में 68.03 प्रतिशत भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ हेतु अविकसित है। रायबरेली महायोजना-2021 में इस भू-उपयोग हेतु संस्थागत क्षेत्र प्रथम, संस्थागत क्षेत्र द्वितीय एवं एस0टी0पी0/एस0डब्लू0डी0पी0 के रूप में प्रस्तावित किया गया था परन्तु वर्तमान में 2020 में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम-डिडौली के आसपास, त्रिपुला चौराहा से

महाराजगंज को जाने वाले मार्ग के दायीं ओर के क्षेत्र में ग्राम-रामपुर के समीप, कानपुर को जाने वाले मार्ग पर सई नदी के पहले दोनों ओर एवं ग्राम-चतुर्भुजपुर इस भू-उपयोग हेतु अभी भी भूमि अविकसित है।

6.2.6 यातायात एवं परिवहन

रायबरेली महायोजना-2021 में शहर में यातायात को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न स्तर की सड़कें प्रस्तावित की गई हैं जिनके अन्तर्गत जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 684.19 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसमें से 413.33 हेक्टेयर भूमि पर ही यातायात एवं सम्बन्धित सुविधाओं का विकास हो सका है। महायोजना-2021 में अधिकतर प्रस्तावित नयी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है।

6.2.7 पार्क एवं खुले स्थल

रायबरेली महायोजना-2021 में पार्क खुले एवं क्रीड़ा स्थल तथा हरित पट्टिका के अन्तर्गत जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल 821.18 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना है, परन्तु इनका विकास आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होने के कारण सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा सहज रूप में नहीं किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में मात्र 191.34 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हो सका है, जो कुल प्रस्तावित भूमि का 23.33 प्रतिशत ही है। वर्तमान में 821.18 हेक्टेयर भूमि में से 629.84 हेक्टेयर भूमि (76.67 प्रतिशत) अभी भी अविकसित है। जिसका विवरण तालिका-37 में दिया गया है।

6.2.8 अन्य (जल संसाधन एवं बाग)

रायबरेली महायोजना-2021 में कब्रिस्तान एवं जल संसाधनों के अन्तर्गत जिसमें नदी, नाला, नहर, एवं जलाशय सम्मिलित है जिसका जी.आई.एस तकनीक के अनुसार कुल क्षेत्रफल 49.97 हेक्टेयर अंकित है। रायबरेली की महायोजना-2021 को जी.आई.एस तकनीक के अनुसार नदी, नाला, नहर, एवं जलाशय तथा कब्रिस्तान आदि का मापन कर कुल क्षेत्रफल का आंकलन किया गया जिसके अन्तर्गत महायोजना-2021 में 90.28 हेक्टेयर भूमि है। वर्ष 2020 में सर्वेक्षण के दौरान मौके पर नदी नालों का मौके के अनुसार

एलायनमेंट में परिवर्तन होने के कारण कुल क्षेत्रफल 90.28 हेक्टेयर हो गया है। जिसका विवरण तालिका-37 में दिया गया है।

तालिका-37
रायबरेली महायोजना-2021 के सापेक्ष हुये विकास

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग	वर्ष 2021 तक विकसित क्षेत्र (हेक्टे0)	महायोजना-2021 में विकसित भू-उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आवासीय	1657.83	1300.55	78.44
2	व्यवसायिक	148.43	62.06	41.81
3	औद्योगिक	294.34	208.25	70.75
4	कार्यालय	137.91	135.8	98.47
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगिताये	389.69	124.62	31.97
6	यातायात	684.19	413.33	60.41
7	पार्क एवं खुले स्थल	821.18	191.34	23.33
8	अन्य	49.97	90.28	180.66
योग		4183.54	2526.23	

रायबरेली महायोजना-2021 में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4183.54 हेक्टेयर है जबकि मौके पर 2526.23 हेक्टेयर (60.38 प्रतिशत) भूमि का ही विकास हो पाया है। महायोजना-2021 के प्रस्तावों के संदर्भ में अभी भी 39.62 प्रतिशत भूमि अविकसित है।

6.2.9 शासन द्वारा महायोजना-2021 में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन

शासन द्वारा महायोजना-2021 में केवल एक ही भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से वृहद् उद्योग एवं कृषि से सामुदायिक सुविधायें भू-उपयोग में परिवर्तित किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 37.35 हेक्टेयर है।

क्र.सं	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	महायोजनानुसार प्रस्तावित भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग	शासनादेश का विवरण
1	दरियापुर, गढ़ीमुतवल्ली एवं मधुपुरी	37.35	वृहद् उद्योग एवं कृषि	सामुदायिक सुविधायें	शासनादेश संख्या-515/8-18-07 एल0यू0सी0-2014 लखनऊ, 01 मई 2018
योग		37.35			

6.3 महायोजना 2021 से विचलन की स्थिति

महायोजना-2021 एवं वर्तमान विकास का तुलनात्मक विवरण तालिका संख्या-38 में अंकित है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान महायोजना-2021 में कुल 4183.54 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव विभिन्न भू-उपयोग के अन्तर्गत किया गया था जिसमें कुल 2632.28 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हो सका है। कुल विकसित 2632.28 हेक्टेयर क्षेत्र में से 2455.2 हेक्टेयर क्षेत्र महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप विकसित हुआ जबकि 177.13 हेक्टेयर क्षेत्र महायोजना प्रस्तावों के विपरीत विकसित हुआ है। वर्तमान महायोजना-2021 में प्रस्तावित 4183.54 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1551.3 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 37.08 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्तमान महायोजना-2021 में कुल 2632.28 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है।

तालिका-38
रायबरेली महायोजना-2021 के प्रस्तावों के विपरीत हुआ अनाधिकृत विकास

महायोजना-2021		महायोजना-2021 के प्रस्तावित क्षेत्र में विकसित हुये विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)								महायोजना प्रस्तावों के अनुसार हुआ विकास		प्रस्तावित भू-उपयोग के विपरीत विकसित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकसित भूमि का कुल योग (हेक्टेयर)	रिक्त भूमि (हेक्टेयर)
भू-उपयोग	महायोजना-2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग (जी.आई.एस के अनुसार)	आवासीय	व्यवसायिक	औद्योगिक	कार्यालय	पार्क एवं खुले स्थल	सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक	यातायात एवं परिवहन	अन्य	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत			
आवासीय	1657.83	1300.55	12.85	8.63		0.87	10.89			1300.6	78.45	33.24	1333.79	324.04
व्यवसायिक	148.43	2.62	62.06							62.06	41.81	2.62	64.68	83.75
औद्योगिक	294.34	10.55		208.25						208.25	70.75	10.55	218.8	75.54
कार्यालय	137.91	14.07			120.18	0.82	2.84			120.18	87.14	17.73	137.91	0
पार्क एवं खुले स्थल	821.18	59.89	1.9	0.55		191.34	2.35			191.34	23.30	64.69	256.03	565.15
सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक	389.69	12.19	1.29				124.62			124.62	31.98	13.48	138.1	251.19
यातायात	684.19	15.9		3.77				413.33		413.33	60.41	19.67	433	251.19
अन्य	49.97	14.74						0.41	34.82	34.82	69.68	15.15	49.97	0
महायोग	4183.54	1430.51	78.1	221.2	120.18	193.03	140.7	413.74	34.82	2455.2		177.13	2632.28	1551.3

स्रोत: जी.आई.एस विश्लेषण के अनुसार

अध्याय-7

नियोजन की समस्याएँ

- (1) नगर के मध्य से रेलवे लाइन गुजरने के कारण नगर के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र के मध्य इन्टर कनेक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः नगर के विभिन्न भागों में सम्बद्धता में सुधार कर विकास के त्वरक के रूप में प्रयोग किया जाना एक चुनौती है।
- (2) औद्योगिक विकास के धीमे पड़ जाने के कारण नगर का आर्थिक आधार क्षीण हो रहा है। नगर की अस्मिता पुनः एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में स्थापित करना नियोजन एवं विकास प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- (3) औद्योगिक कार्य क्षेत्र तो नगर के फ्रिन्ज पर स्थित है परन्तु अन्य कार्य क्षेत्र पुराने नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यातायात की समस्या उत्पन्न होती है।
- (4) अनाधिकृत विकास एवं मलिन बस्तियों के कारण नगर में विद्यमान निम्न गुणवत्ता स्तर के सम्बन्ध में प्रयास किया जाना एक अन्य चुनौती है।
- (5) नगर में नियोजित पार्क एवं मनोरंजन स्थलों का अभाव है तथा जीवन की गुणवत्ता मध्यम-निम्न है।
- (6) अवस्थापना सुविधा के अभाव एवं विभिन्न भू-प्रयोगों से व्यावहारिक तालमेलों का अभाव है।
- (7) नगर में कोई भी ट्रान्सपोर्ट नगर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य मार्गों पर ट्रकों की अवैध पार्किंग की जाती है जिससे यातायात की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- (8) नगर की समीपवर्ती नगरों से सम्बद्धता का स्तर निम्न है अर्थात् रेल लाइन सिंगल है, रोड की चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं है।
- (9) घरेलू एवं औद्योगिक सीवेज के शोधन संयंत्र के अभाव तथा सॉलिड वेस्ट के अवैज्ञानिक निस्तारण से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है।

(10) नगरीय विकास के विभिन्न प्रस्तावों हेतु संसाधनों के अभाव को दूर करना एक चुनौती है।

उपरोक्त समस्याओं को चुनौती मानकर महायोजना के प्रस्तावों के माध्यम से इनका निवारण करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय-8

महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

8.1 दृष्टि

महायोजना एक जी0आई0एस0 आधारित दस्तावेज है तथा इसका मुख्य लक्ष्य जनसाधारण की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन स्तर को सुगम, सरल एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उक्त दस्तावेज में भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नगर के विकास को दिशा प्रदान करना है। महायोजना-2031 में दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं यथा जलापूर्ति, जल मल निकासी, वर्षा जल निकास, विद्युत आपूर्ति, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं व अन्य सामुदायिक सुविधाओं एवं यातायात व्यवस्था का आंकलन कर प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना है तथा जनसामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

8.2 उद्देश्य

1. रायबरेली विकास क्षेत्र में नगरीय सीमा के अन्तर्गत प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुरूप विभिन्न भू-उपयोगों के लिये नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुसार भावी, भौतिक विकास को निश्चित स्वरूप प्रदान करने हेतु विभिन्न उपयोगों के युक्ति संगत प्रस्ताव तैयार करना है।
2. वर्तमान में हो रहे अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को नियोजित कर भावी विकास हेतु दिशा प्रदान करना।
3. जनसंख्या घनत्व के आधार पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों को समुचित रूप से समायोजित करना।
4. नगर में समुचित विकास हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिये आवासीय व अन्य उपयोगों तथा सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं का प्राविधान करना।
5. नगर में सुगम व सुचारु यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के प्राविधान तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों की अवस्थापना कर नगर के आर्थिक सामाजिक एवं औद्योगिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना।

6. नगर में भावी एवं विकासशील क्षेत्रों में उपर्युक्त यातायात व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का प्राविधान करना।
7. नगर के बाह्य एवं परिधीय क्षेत्रों में अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को नियंत्रित कर सुनियोजित विकास हेतु दिशा प्रदान करना।
8. नगर में मनोरंजनात्मक क्रियाओं यथा पार्क एवं खुले स्थलों का प्राविधान करना तथा संतुलित पर्यावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना।
9. वर्तमान में प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक व पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित व संरक्षित करना।
10. केन्द्रीय एवं राज्य की नीतियों को समायोजित करते हुए उनके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना।
11. रायबरेली नगर में कृषि योग्य भूमि को अनाधिकृत रूप से अन्य उपयोगों में परिवर्तन को रोकना।

अध्याय-9

आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष 2021 एवं 2031 रायबरेली नगर की जनसंख्या का अनुमान प्रचलित 4 विभिन्न पद्धतियों से किया गया है। रायबरेली नगर की जनसंख्या का प्रक्षेपण ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति से करने पर 2021 में अनुमानित जनसंख्या 250363 तथा वर्ष 2031 में 344389 होने का अनुमान है। विकास क्षेत्र में, नगरीय भू-उपयोग के मध्य आने वाले 99 राजस्व ग्रामों में देशांतरण को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 10 वर्षों की अनुमानित कुल जनसंख्या 288887 का 30 प्रतिशत (86666) प्रक्षेपण जनसंख्या में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2031 में रायबरेली विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 431055 व्यक्ति तथा नगरीय और ग्रामीण (344389+86666) जनसंख्या अनुमानित की गयी है। उक्त जनसंख्या प्रक्षेपण/अनुमान का विस्तृत विवरण तालिका-39, 40, 41 में दर्शाया गया है।

तालिका-39
नगरीय जनसंख्या प्रक्षेपण

क्र.स.	प्रक्षेपण पद्धति	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	अंकगणित वृद्धि पद्धति	207265	223214
2	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	246798	318369
3	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति	209318	229373
4	ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति	250363	344389

तालिका-40
ग्रामीण जनसंख्या प्रक्षेपण

क्र.स.	प्रक्षेपण पद्धति	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	अंकगणित वृद्धि पद्धति	209151	226986
2	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	231492	280106
3	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति	209151	226986
4	ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति	235319	288887


तालिका-41
जनसंख्या अनुमान-रायबरेली नगर

वर्ष	2011	2021 (प्रक्षेपण)	2031 (प्रक्षेपण)
जनसंख्या	191316	320958	431055


शहर के विकास की प्रवृत्ति

मानचित्र में 1991 से 2011 तक रायबरेली की जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। समय के साथ-साथ जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के सम्बन्ध में वर्ष-2021 से सम्बन्धित मानचित्र संख्या-13 में दर्शाया गया है।


मानचित्र-13
शहर के विकास की प्रवृत्ति




वर्ष 1991



वर्ष 2001



वर्ष 2011




वर्ष 2021

9.2 जनसंख्या घनत्व

वर्ष 1981 में रायबरेली नगर की सीमा वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या घनत्व 18 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो बढ़कर वर्ष 1991 में 26 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रहा तथा वर्ष 2001 में 34 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा वर्ष 2011 में 38 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। जिसे चित्र-4 में दर्शाया गया है।

चित्र-4

जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति हेक्टेयर



स्रोत : जनगणना पुस्तिका-1981-2011

9.3 जनसंख्या वृद्धि दर

रायबरेली जनपद की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 28.72 लाख थी। 1991-2001 के दशक में जनपद की वृद्धि दर 23.65 प्रतिशत थी जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 25.80 प्रतिशत से कम है। जनपद में नगरीय जनसंख्या 2.74 लाख (वर्ष 2001) है जो जनपदीय जनसंख्या का केवल 9 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में भी रायबरेली जनपद में नगरीय जनसंख्या 9 प्रतिशत ही थी। नगरीयकरण का स्तर जिले में निम्न होने के कारण रायबरेली नगर का महत्व नगरीय विकास की दृष्टि से और अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि जिले की 62 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या केवल रायबरेली नगर में निवास करती है। जनपद में नगरीय विकास की दर 30.41 प्रतिशत राज्य की दर 32.88

प्रतिशत से कम रही है। रायबरेली विकास क्षेत्र के 83 ग्रामों में वर्ष 2001 में 1.12 लाख जनसंख्या निवास कर रही थी। रायबरेली महायोजना-2021 में मुख्यतः नगरीय जनसंख्या एवं समीपवर्ती ग्रामों में निवास कर रही जनसंख्या की दृष्टि से ही प्रस्ताव दिये जाने हैं।

रायबरेली नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 15,880 व्यक्ति थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1,69,285 व्यक्ति व वर्ष 2011 में बढ़कर 1,91,316 व्यक्ति हो गयी। पिछली शताब्दी के दूसरे दशक (वर्ष 1911-21 तक) में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही लेकिन उसके उपरान्त जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। दशक 1971-1981 के मध्य अप्रत्याशित वृद्धि दर 131.38 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण हुई थी। तत्पश्चात् अगले दो दशकों में (1981-1991), (1991-2001) में वृद्धि दर क्रमशः 44.83 एवं 30.32 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1931 से 1961 के मध्य में दशक वृद्धि दर 20 प्रतिशत ही रही है जो नगरीय आर्थिक आकार की दुर्बलता को दर्शाती है दशक 1961-1971 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर में सुधार रहा है जो 29.48 प्रतिशत रही है। दशक (2001-2011) में वृद्धि दर क्रमशः 13.01 प्रतिशत रही है, का विवरण तालिका-42 में दर्शाया गया है।

तालिका-42
रायबरेली नगर महापालिका की जनसंख्या वृद्धि (1901-2011)

दशक	रायबरेली नगर महापालिका		
	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि (दशकान्तर)	जनसंख्या वृद्धि दर दशकान्तर (प्रतिशत में)
1901	15880	—	—
1911	17329	1449	9.12
1921	16183	1146	6.61
1931	18180	1997	12.34
1941	20945	2265	15.21
1951	24958	4013	19.16
1961	29940	4982	19.96
1971	38765	8825	29.48
1981	89697	50932	131.38
1991	129904	40207	44.83
2001	169285	39381	30.32
2011	191316	22031	13.01

स्रोत : जनगणना पुस्तिका वर्ष -1901-2011

9.4 प्रवासन

वर्ष 2001 में उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 166,197,921 थी जो वर्ष 2011 में 199,812,341 हो गयी। इस प्रकार उ०प्र० की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 20.22 प्रतिशत रही है। रायबरेली नगर की वर्ष 2001 में जनसंख्या 169285 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 191316 हो गयी। इस प्रकार रायबरेली में 2001–2011 के दशक में 22031 की वृद्धि हुई जो 13.01 प्रतिशत है। उपरोक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि रायबरेली नगर में 2001–2011 के दशक में जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही है। इससे यह विदित होता है कि रायबरेली में ग्रामीण क्षेत्र से शहर में प्रवासन नहीं हुआ है।

9.5 आवास प्रक्षेपण

रायबरेली शहर में आवासीय प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 में 13186 आवासों की कमी थी। वर्ष 2021 एवं 2031 की अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 320958 एवं 431055 के आधार पर 5 व्यक्ति प्रति परिवार की दर से, 64192 एवं 86211 परिवारों के लिये क्रमशः 42181 एवं 64200 आवासों की अनुमानित आवश्यकता है। इस मांग की पूर्ति हेतु महायोजना के अनुरूप क्षेत्रीय योजनायें तैयार की जानी अपेक्षित हैं उक्त क्षेत्रीय योजनाएं चरणबद्ध विकास के दृष्टिगत तैयार कर क्रियान्वित की जानी अपेक्षित हैं। जिसका विवरण तालिका-43 में दर्शाया गया है। उपरोक्त मांग के अनुसार आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, नगर पालिका परिषद एवं विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अधीन उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आगामी दस वर्षों हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार कर वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से क्रियान्वयन कर वांछित आवास इकाइयों का निर्माण करना होगा।

तालिका-43
आवास प्रक्षेपण

वर्ष	2011	2021	2031
जनसंख्या प्रक्षेपण	191316	320958	431055
परिवार का आकार	5.43	5	5
अनुमानित परिवारों की संख्या	35197	64192	86211
अतिरिक्त आवासों की मांग	—	28995	22019
कुल आवासों की मांग (वर्ष 2011 की मांग सहित)	13186	42181	64200

9.6 रायबरेली विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता


रायबरेली शहर में 431055 जनसंख्या हेतु यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाइडलाईन के अनुसार 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता के अनुसार 58.18 एम0एल0डी की आवश्यकता होगी।

9.7 वर्षा जल निकासी

रायबरेली नगर में वर्तमान में स्थापित ड्रेनेज तंत्र है जो शहर के वर्षा जल को सई नदी में ले जाता है। ये ड्रेनेज तंत्र शहर में उत्तर-पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है तथा सई नदी के द्वारा इसका निस्तारण होता है। उस ड्रेनेज तंत्र को मानचित्र संख्या-14 में दर्शाया गया है।

मानचित्र संख्या-14

वर्षा जल निकासी



स्रोत: जी.आई.एस. सर्वे के अनुसार

9.8 सीवेज / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

रायबरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम व नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त महायोजना 2021 में प्रस्तावित एस.टी.पी./एस.डब्ल्यू.डी.पी. को यथावत जिसका कुल क्षेत्रफल 53.41 हेक्टेयर है।

ठोस अपशिष्ट केन्द्र के अन्तर्गत रायबरेली नगर में 431055 जनसंख्या के लिये यू.आर.डी.पी.एफ.आई. में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार मांग/आवश्यकता का आंकलन किया गया है:—

- यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाइडलाइन वर्ष-2014 के अनुसार औसतन प्रतिदिन, प्रति परिवार 800 ग्राम कचरा पैदा करता है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक प्रतिदिन लगभग 344.82 टन ठोस कचरा पैदा होने का अनुमान है।

9.9 बिजली

9.9.1 बिजली के लिए प्रक्षेपण

विद्युत उपकेन्द्र/डाकघर के अन्तर्गत रायबरेली नगर में 431055 जनसंख्या के लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) एवं यू.आर.डी.पी.एफ.आई. में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार मांग/आवश्यकता का आंकलन किया गया है:—

- यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाइडलाइन वर्ष-2014 के अनुसार 15000 की जनसंख्या पर एक 11 के.वी. के सब-स्टेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक 29 सब-स्टेशनों की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकतानुसार महायोजना-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न खण्डों में सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

9.10 डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ

9.10.1 विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान

रायबरेली महायोजना 2031 में पॉलिटैक्निक के सामने त्रिपुला सब स्टेशन विद्यमान है, जिसको महायोजना के मानचित्र में दर्शाया गया है। इसी प्रकार मुख्य डाकघर सुपर मार्केट के पास कोतवाली रोड पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5.65 हेक्टेयर है।

- प्रत्येक 10000 जनसंख्या के लिए 01 उप-डाकघर का प्राविधान है इस प्रकार वर्ष 2031 तक 43 उप-डाकघरों की आवश्यकता होगी।

9.11 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

9.11.1 रायबरेली में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान

महायोजना-2031 में शैक्षणिक/संस्थागत भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 50.88 हेक्टेयर भूमि है। शैक्षणिक/संस्थागत भू-उपयोग के अन्तर्गत पॉलिटैक्निक, केन्द्रीय विद्यालय, फिरोज गाँधी कॉलेज, आई.टी.आई प्रमुख है।

वर्तमान में रायबरेली 158 प्राथमिक विद्यालय, 82 माध्यमिक तथा 49 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय कार्यरत हैं। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 431055 जनसंख्या के लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार मांग/आवश्यकता का आंकलन किया गया है:-

- मानक के अनुसार प्रत्येक 2.5 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ एक नर्सरी व एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार नगर में 158 प्राथमिक विद्यालय विद्यमान है, जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए 14 अतिरिक्त नर्सरी व प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी।
- मानक के अनुसार 7500 जनसंख्या पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार

नगर में 82 माध्यमिक विद्यमान है, जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 2 विद्यालयों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

- मानक के अनुसार 10 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज की आवश्यकता होती है जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 15 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
- 80 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम नगरीय क्षेत्र में 0.5 हेक्टेयर व ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ डिग्री कॉलेज/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की आवश्यकता होती है जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज आदि आवश्यकतानुसार महायोजना-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न खण्डों में सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

महायोजना-2031 में छजलापुर क्षेत्र में विशिष्ट संस्थाए भू-उपयोग प्रस्तावित की गयी है, जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की भूमि को छोड़कर शेष भाग का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधायें मानते हुए निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

9.12 स्वास्थ्य सुविधाएं

9.12.1 रायबरेली विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

महायोजना-2031 में चिकित्सालय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 45.45 हेक्टेयर भूमि है। वर्तमान में इस भू-उपयोग के अन्तर्गत यथा-जिला अस्पताल, जिला पशु चिकित्सालय, एम्स अस्पताल प्रमुख हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रायबरेली नगर में 5 सामान्य चिकित्सालय, 01 यूनानी, 31 डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य केन्द्र, 11 पारिवारिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, 14 आयुर्वेदिक अस्पताल/स्वास्थ्य क्लिनिक उपलब्ध हैं। चिकित्सालय 431055 जनसंख्या के लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011

एवं 2016) एवं यू.आर.डी.पी.एफ.आई. में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार मांग/आवश्यकता का आंकलन किया गया है:—

- प्रत्येक 15000 जनसंख्या पर न्यूनतम 0.08 हेक्टेयर पर एक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रत्येक 1.0 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 2.0 हेक्टेयर की भूमि पर सामान्य चिकित्सालय की आवश्यकता होती है।
- निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 2031 तक 23 स्वास्थ्य केन्द्र व 2 सामान्य चिकित्सालयों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आवश्यक भूमि सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है।
- यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाइडलाइन वर्ष-2014 के अनुसार 15 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 डिस्पेंसरी की आवश्यकता होती है जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 30 डिस्पेंसरी की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम आदि आवश्यकतानुसार महायोजना-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न खण्डों में सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

9.13 मनोरंजन सुविधाएं

9.13.1 रायबरेली विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 84.30 हेक्टेयर प्रस्तावित है। मनोरंजन पार्क भू-उपयोग को ग्राम डिडौली के पास एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित बाईपास के दोनों ओर, ग्राम गढीखास के आसपास, ग्राम किशनपुर रामचन्दर में प्रस्तावित 30 मीटर महायोजना मार्ग के बाई ओर एवं ग्राम छजलापुर के पीछे नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है।

9.14 फायर स्टेशन

9.14.1 रायबरेली विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक 2 लाख जनसंख्या एवं 10 वर्ग किमी. क्षेत्र में 8000 वर्गमीटर जिसमें 3500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा। इस प्रकार वर्ष 2031 तक कुल 2 दमकल केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

9.15 अन्य सुविधायें

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाइडलाइन वर्ष-2014 के अनुसार 90 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 1.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 पुलिस थाना की आवश्यकता होती है तथा 40 से 50 हजार जनसंख्या पर न्यूनतम 0.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 पुलिस चौकी की आवश्यकता होती है जबकि वर्ष 2031 तक 5 पुलिस थानों तथा 09 पुलिस चौकियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

अध्याय-10

भू-उपयोग प्रस्ताव

10.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

वर्तमान नगर दो मुख्य बस्तियों रायबरेली खास तथा जहाँनाबाद का सम्मिलित रूप है। नगर की दूसरी बस्ती जहाँनाबाद को सूबेदार जहाँनखान द्वारा बसाया गया था जिसके द्वारा निर्मित भवन, रंगमहल (प्रसाद) तथा मकबरा के भग्नावशेष आज भी जहाँनाबाद में स्थित हैं। रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अमोल विहार योजना, मलिकमऊ आवासीय योजना, मलिकमऊ विस्तार योजना सुल्तानपुर रोड, अमरेशपुरी आवास योजना, इंदिरा नगर जेल रोड, जवाहर विहार योजना सुल्तानपुर रोड, प्रगतिपुरम आवास योजना, स्वराज नगर एकता विहार कॉलोनी, अहिया रायपुर योजना लखनऊ रोड पर महत्वपूर्ण आवासीय योजना है। रायबरेली डलमऊ रोड एम्स के आसपास, रायबरेली प्रतापगढ़ रोड, रायबरेली-कानपुर रोड एवं रायबरेली-प्रयागराज रोड के क्षेत्र में विकास की अपार संभावना/रुझान है।

10.2 भू-उपयोग एवं प्रस्ताव

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र वर्तमान भू-उपयोग, नगरीय विस्तार एवं स्टेक-होल्डर्स के सुझावों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। प्रारूप महायोजना के सम्बन्ध में जनसाधारण की आपत्तियां एवं सुझाव समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर मांगे गये थे। उक्त आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त होने पर इन पर विचार एवं निर्णय लेने हेतु शासन द्वारा गठित सुनवाई समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के उपरान्त महायोजना में संशोधन किये गये जिसे अन्ततः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2022 द्वारा अनुमोदित किया गया।

रायबरेली महायोजना-2031 मौके की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के भू-उपयोगों का श्रेणीवार विस्तृत विवरण तालिका-44 में दिया गया है।

तालिका-44
प्रस्तावित भू-उपयोग 2031 (हेक्टेयर)
प्रस्तावित भू-उपयोग 2031 (हेक्टेयर)

प्रस्तावित भू-उपयोग श्रेणियाँ	प्रस्तावित भू-उपयोग उप श्रेणियों	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर) (जी.आई.एस के अनुसार)	कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	निर्मित क्षेत्र	112.6	2030.11	44.94
	आवासीय	1806.72		
	आवासीय (अनाधिकृत)	110.79		
व्यवसायिक	नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक	59.34	188.95	4.18
	थोक व्यापारिक / भण्डार	48.04		
	बाजार स्ट्रीट	81.57		
कार्यालय	कार्यालय	136.97	136.97	3.03
औद्योगिक	लघु उद्योग	119.37	284.89	6.31
	वृहद् उद्योग	165.52		
सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	शैक्षणिक / संस्थागत	50.88	357.64	7.92
	चिकित्सालय	45.45		
	सामुदायिक सुविधायें	202.25		
	विद्युत उपकेन्द्र / डाकघर	5.65		
	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट / ठोस अपशिष्ट केन्द्र	53.41		
यातायात एवं परिवहन	बस टर्मिनल / ट्रांसपोर्ट नगर	46.51	883.14	19.55
	रेलवे नोटिफाइड एरिया	29.35		
	वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग	807.28		
पार्क एवं खुले स्थल	डिस्ट्रिक्ट पार्क	232.24	635.62	14.07
	जोनल पार्क	152.33		
	पार्क	166.75		
	मनोरंजन पार्क	84.3		
योग		4517.32	4517.32	100
कृषि	कृषि	11918.58		
	हाईवे फैसेलिटी जोन	2153.23		
अन्य	ग्रीन बेल्ट	492.68		
	नदी / नाला / नहर	430.35		
	जलाशय / तालाब / पोखर	406.4		

	यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र	147.31
	कब्रिस्तान / सिमेट्री / श्मशान स्थल	13.67
	ग्रामीण आबादी	788.24
	वन क्षेत्र	111.12
कुल योग		20978.9

10.2.1 आवासीय भू-उपयोग

मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन एवं वस्त्र के बाद आवास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रायबरेली नगर की महायोजना-2021 में लगभग 1806.72 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू-उपयोग में प्रस्तावित थी। रायबरेली विकास क्षेत्र में 99 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए रायबरेली महायोजना-2031 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 2030.11 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 4517.32 हेक्टेयर भूमि का 44.94 प्रतिशत आवासीय है।

10.2.1.1. आवासीय

रायबरेली महायोजना-2031 के भू-उपयोग के अनुसार प्रस्तावित जनसंख्या 431055 व्यक्ति हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय प्रस्तावित किये गये हैं। जिसमें महायोजना-2021 के प्रस्तावों के समायोजित करते हुए आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 1806.72 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। रायबरेली महायोजना-2031 में प्रस्तावित जनसंख्या को मध्येनजर रखते हुये वर्ष 2021 के प्रस्तावों के अतिरिक्त आवासीय प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से मुंशीगंज में ए.आई.आई.एम.एस के आस-पास, ग्राम-बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के निकट एवं इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान के पीछे की भूमि पर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

10.2.1.2 आवासीय (अनाधिकृत)

महायोजना-2021 के प्रस्तावित भू-उपयोग के विरुद्ध हुए विकास को पृथक श्रेणी में अनाधिकृत आवासीय क्षेत्र भू-उपयोग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन क्षेत्रों को शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विनियमन होने तक इन क्षेत्रों का भू-उपयोग

महायोजना 2001 के अनुसार मान्य होगा। इस श्रेणी के क्षेत्रों में एफ0सी0आई0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित गोदाम तथा आवासीय क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को कम्पलीमेंटरी भू-उपयोग के रूप में मानकर नये भू-प्रयोग के अनुसार ही प्रदर्शित किया गया है। आवासीय (अनाधिकृत) उपयोग के अन्तर्गत कुल 110.79 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

10.2.2 निर्मित क्षेत्र

नगर के घने बसे पुराने क्षेत्र जिसमें मिश्रित भू-उपयोग विद्यमान है परन्तु क्षेत्र का प्रमुख उपयोग आवासीय है। इसी निर्मित आवासीय क्षेत्र में नगर में मुख्य बाजार को बाजार मार्ग के रूप में घोषित किया गया है, शेष 112.60 हेक्टेयर क्षेत्र को आवासीय निर्मित क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें मिश्रित भू-उपयोग जोनिंग रेग्यूलेशन के उपरान्त अनुमन्य किया जायेगा तथा निर्मित क्षेत्र हेतु प्राविधानित उपनियम लागू किये जायेंगे। इस क्षेत्र में स्थित कोई भी भू-खण्ड जो 200 वर्गमीटर से अधिक है, उन पर निर्मित क्षेत्र के उपनियम (BYE-LAWS) लागू नहीं होंगे। निर्मित क्षेत्र में स्थित स्कूल, धार्मिक भवन धर्मशाला, क्लब आदि भवनों का भू-उपयोग यथावत् रखा जायेगा और उन पर व्यवसायिक निर्माण अनुमन्य नहीं किया जायेगा शेष भू-उपयोग दोनों प्रकार के निर्मित क्षेत्रों में जोनिंग रेग्यूलेशन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

10.2.3 व्यवसायिक

रायबरेली नगर में प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र घनी आबादी वाले पुराने नगर में तथा नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे एक पट्टी के रूप में विकसित हुए हैं। इन व्यवसायिक केन्द्रों में समुचित पार्किंग स्थलों का अभाव है तथा सड़क पर अतिक्रमण के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

10.2.3.1 नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना-2031 में मुख्यतः ग्राम छजलापुर के पीछे का क्षेत्र, सारस होटल चौराहे से सुल्तानपुर को जाने वाले मार्ग के बाईं ओर के क्षेत्र, मुंशीगंज से डलमऊ को जाने वाले मार्ग पर एवं सुपर मार्केट के आसपास के क्षेत्र को महायोजना-2001 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 59.34 हेक्टेयर है।

10.2.3.2 थोक व्यापार/भण्डार

थोक व्यापार/भण्डार के अन्तर्गत 48.04 हेक्टेयर भूमि महायोजना-2031 में प्रस्तावित की गई है। रायबरेली विकास क्षेत्र में विद्यमान थोक मण्डी एवं एफ0सी0आई0 गोदाम को शामिल करते हुए, उपयुक्त स्थलों पर नियोजन की दृष्टि से थोक व्यापार/भण्डार भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

10.2.3.3 बाजार स्ट्रीट

रायबरेली महायोजना-2021 में कुछ मार्गों को बाजार मार्ग के रूप में उन पर हो रही परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित किया गया था। इन चिन्हित मार्गों की विस्तृत योजनायें तैयार न हो सकने के फलस्वरूप मार्गों के साथ-साथ व्यवसायिक विकास तो हुआ किन्तु उनका स्वरूप बाजार मार्ग की अवधारणा के अनुरूप नहीं हुआ जिसके कारण यातायात की समस्याएं मार्गों पर व्यवसायिक क्रियाओं की सघनता के कारण और बढ़ गई है।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु ये आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गों को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तों के साथ महायोजना-2031 में समायोजित किया जाये।

- मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे-शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय/अर्द्ध-राजकीय/स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।
- बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 12मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।
- हाथी पार्क तिराहे से सुपर मार्केट को जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बाजार मार्ग की गहराई भू-स्वामी के स्वामित्व के भूमि की सीमा तक माना जायेगा।
- रायबरेली महायोजना-2031 के प्रभावी होने के पूर्व महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों के अनुरूप हुये व्यवसायिक निर्माण पर नियमानुसार प्रभाव शुल्क/अन्य शुल्क देने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

- प्राधिकरण की योजना अथवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र का कोई भू-खण्ड बाजार मार्ग भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है तो उसका भू-उपयोग स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार ही होगा।
- अनाधिकृत कॉलोनियों के अन्तर्गत मुख्य मार्ग पर चिह्नित बाजार मार्ग भू-उपयोग शासन की विनियमितीकरण नीति के अन्तर्गत नियमानुसार अनाधिकृत कालोनी के विनियमितीकरण के पश्चात् मान्य होगा।
- बाजार मार्गों पर व्यवसायिक निर्माण/विकास प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होंगे।

इस प्रकार व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु कुल 188.95 हेक्टेयर भूमि महायोजना-2031 में प्रस्तावित है, जो कि नगरीकरण क्षेत्र का 4.18 प्रतिशत है।

महायोजना-2031 में दर्शित बाजार मार्ग निम्नवत है:-

1. सब्जी मण्डी रोड के दोनों तरफ।
2. रेलवे स्टेशन रोड के दोनों तरफ।
3. मलिकमऊ रोड के दोनों तरफ रेलवे लाईन तक।
4. कचहरी रोड के दोनों तरफ डिग्री कॉलेज चौराहे तक।
5. लखनऊ-प्रयागराज रोड पर त्रिपुला चौराहे से वन विभाग तक।
6. मुंशीगंज बाईपास रोड, जैसा कि महायोजना मानचित्र में दर्शित है।
7. कचहरी रोड से मलिकमऊ रोड को मिलाने वाले सम्पर्क मार्ग, जैसा कि महायोजना मानचित्र में दर्शित है।

10.2.4 कार्यालय

शासन की नीति के क्रियान्वयन के लिये राजकीय कार्यालय प्रशासनिक व्यवस्था का अंग हैं। रायबरेली नगर जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ तहसील एवं राही ब्लाक का मुख्यालय भी है जिससे नगर का कार्यस्वरूप प्रधानतः प्रशासनिक है। महायोजना-2031 में कार्यालय भू-प्रयोग हेतु 136.97 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.03 है। महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग एवं भू-विकास नीतियों के अनुसरण में यह भी उल्लेखित किया गया है कि राजकीय भूमि को महायोजना में अलग-अलग

भू-उपयोगों में दर्शाया जाना संभव नहीं है अतः शासकीय प्राविधानों के अनुसार ही ऐसी समस्त राजकीय भूमियों पर राजकीय कार्यालयों हेतु उपयोग अनुमन्य रहेगा।

10.2.5 औद्योगिक

उद्योगों की भूमिका नगरीयकरण की प्रक्रिया एवं जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसके परिणामस्वरूप किसी नगर के आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। औद्योगीकरण नगर के आर्थिक आधार को सृदृढ करता है तथा इसका सीधा प्रभाव रोजगार की उपलब्धता के साथ-साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। रायबरेली नगर 1970-80 के दशकों से औद्योगिक केन्द्र के रूप में जाना जाता था परन्तु भूमण्डलीयकरण, खुली अर्थव्यवस्था एवं अन्य बदलती परिस्थितियों के कारण नगर में कई औद्योगिक इकाईयाँ बन्द हो चुकी हैं परन्तु शासन की उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति तथा नगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मोटर टेस्टिंग केन्द्र की स्थापना की घोषणा से नगर के आर्थिक ढाँचे में उद्योगों की भागीदारी पुनः सशक्त एवं प्रभावी हो सकती है। इसी कारण वर्तमान में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त नया क्षेत्र औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 284.89 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त स्थानीय कच्चे माल जैसे-प्लाई ऐश कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना इस क्षेत्र में प्रबल है।

10.2.5.1 लघु उद्योग

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना-2031 में अमावां मार्ग पर ग्राम-धौरहरा के के आसपास के क्षेत्र में एवं सुल्तानपुर को जाने वाले मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0ए क्षेत्र के सामने नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 119.37 हेक्टेयर है।

10.2.5.2 वृहद् उद्योग

वृहद् उद्योगों हेतु भूमि के प्रस्ताव महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग तथा वर्तमान में इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयां विकसित होने के कारण एवं भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक विकास की सम्भावना एवं आवश्यकता तथा उपयुक्त भूमि उपलब्धता आदि कारकों पर विचार करते हुये वृहद् उद्योग भू-उपयोग प्रस्तावित किया जाता है। इस प्रकार वृहद्

उद्योगों को सुल्तानपुर को जाने वाले मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0ए क्षेत्र के पीछे के क्षेत्र में एवं शासन की लॉजिस्टिक/वेयरहाउजिंग नीति के अन्तर्गत लखनऊ-प्रयागराज मार्ग से प्रतापगढ़ को जाने वाले मार्ग पर लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रस्तावित किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 165.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार औद्योगिक भू-उपयोग हेतु कुल 284.89 हेक्टेयर भूमि महायोजना-2031 में प्रस्तावित है, जो कि नगरीकरण क्षेत्र का 6.31 प्रतिशत है।

10.2.6 सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें

इन सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 202.25 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। नियोजन की दृष्टि से महायोजना-2031 के विभिन्न खण्डों में प्रस्तावित किया गया है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत डाकघर, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग होम, पुस्तकालय/वाचनालय, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, प्रशिक्षण/कला केन्द्र, पशुवधशाला, माइक्रोवेव केन्द्र एवं विद्युत शवदाहगृह, श्मशान, कब्रिस्तान आदि सम्मिलित है।

10.2.6.1 शैक्षणिक/संस्थागत

महायोजना-2031 में शैक्षणिक/संस्थागत भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 50.88 हेक्टेयर भूमि है। शैक्षणिक/संस्थागत भू-उपयोग के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक, केन्द्रीय विद्यालय, फिरोज गान्धी कॉलेज, आई.टी.आई प्रमुख है।

10.2.6.2 चिकित्सालय

महायोजना-2031 में चिकित्सालय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 45.45 हेक्टेयर भूमि है। वर्तमान में इस भू-उपयोग के अन्तर्गत यथा-जिला अस्पताल, जिला पशु चिकित्सालय, एम्स अस्पताल प्रमुख हैं।

10.2.6.3 सामुदायिक सुविधायें

इन सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 202.25 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। नियोजन की दृष्टि से महायोजना-2031 के विभिन्न खण्डों में प्रस्तावित किया गया है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत डाकघर, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग होम, पुस्तकालय/वाचनालय, ऑडिटोरियम,

नाट्यशाला, थियेटर, प्रशिक्षण/कला केन्द्र, पशुवधशाला, माइक्रोवेव केन्द्र एवं विद्युत शवदाहगृह, शमशान, कब्रिस्तान आदि सम्मिलित है।

10.2.6.4 विद्युत उपकेन्द्र/डाकघर

रायबरेली महायोजना 2031 में पॉलिटेक्निक के सामने त्रिपुला सब स्टेशन विद्यमान है, जिसको महायोजना के मानचित्र में दर्शाया गया है। इसी प्रकार मुख्य डाकघर सुपर मार्केट के पास कोतवाली रोड पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5.65 हेक्टेयर है।

10.2.6.5 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/ठोस अपशिष्ट केन्द्र

रायबरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम व नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त महायोजना 2021 में प्रस्तावित एस.टी.पी./एस.डब्ल्यू.डी.पी. को यथावत जिसका कुल क्षेत्रफल 53.41 हेक्टेयर है।

10.2.7 यातायात एवं परिवहन

रायबरेली नगर सड़क एवं रेलमार्ग से भलीभांति सम्बद्ध है। रायबरेली नगर दो प्रान्तीय राजमार्गों क्रमशः 36 एवं 13 से सम्बद्ध है तथा जो जिला मार्गों से सुल्तानपुर, परसदेपुर तथा ऊँचाहार आदि से जुड़ा है। नगर में यातायात नगर उपलब्ध न होने के कारण मुख्य मार्गों पर जहाँ तहाँ ट्रक पार्क किये जाने से यातायात की कठिनाई उत्पन्न होती है। नगर के यातायात प्रणाली का अध्ययन कर यातायात एवं परिवहन व्यवस्था हेतु निम्न प्रस्ताव दिये गये हैं:—

10.2.7.1 बस टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर

बस टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत कुल 46.51 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में कचहरी रोड पर स्थित बस अड्डे को दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त बस टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर भू-उपयोग को नियोजन की दृष्टि से लखनऊ मार्ग पर ग्राम डिडौली के सामने, रायबरेली से प्रतापगढ़ को जाने वाले मार्ग के बायीं ओर के क्षेत्र में प्रस्तावित है।

10.2.7.2 रेलवे नोटिफाइड एरिया

रेलवे नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत कुल 29.35 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में रायबरेली जंक्शन व दरियापुर रेलवे स्टेशन एवं उसके परिसर को महायोजना 2031 में दर्शाया गया है।

10.2.7.3 वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग

वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग के अन्तर्गत कुल 807.28 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत सभी वर्तमान मुख्य मार्गों यथा रायबरेली-लखनऊ, रायबरेली-प्रयागराज, रायबरेली-अमावां, रायबरेली-सुल्तानपुर, रायबरेली-प्रतापगढ़ को जाने वाले मार्गों की चौड़ाई 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित है। अतः अन्य वर्तमान व प्रस्तावित मार्गों को नियोजन की दृष्टि से 18, 24, 25, 30 एवं 45 मीटर की चौड़ाई प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार एन.एच.ए.आई. द्वारा नये 60 मीटर चौड़े मार्ग जो कि प्रयागराज मार्ग से शारदा नहर के साथ-साथ होते हुए ग्राम डिडौली के पास लखनऊ मार्ग को जोड़ता है जिसे रायबरेली के आउटर रिंग रोड के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

10.2.8 पार्क एवं खुले स्थल

पार्क एवं खुले स्थल शहर के निवासियों के लिए स्वच्छ वातावरण प्राकृतिक सौन्दर्य एवं उच्च स्तरीय पर्यावरण प्रदान करते हैं तथा सक्रिय मनोरंजन का प्रमुख अवयव है।

10.2.8.1 डिस्ट्रिक्ट पार्क

डिस्ट्रिक्ट पार्क के अन्तर्गत कुल 232.24 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित है। इस भू-उपयोग को प्रमुखतः लखनऊ मार्ग से कानपुर मार्ग को जोड़ने वाले प्रस्तावित बाईपास मार्ग के दायिनीं ओर ग्राम-बीबीपुर मुतछरिकात एवं रामनैर मुहिउद्दीनपुर के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

10.2.8.2 जोनल पार्क

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 152.33 हेक्टेयर प्रस्तावित है। जोनल पार्क भू-उपयोग को विभिन्न खण्डों में नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है।

10.2.8.3 पार्क

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 166.75 हेक्टेयर प्रस्तावित है। रायबरेली नगर में विद्यमान पार्कों यथा हाथी पार्क, क्लब, स्टेडियम को पार्क भू-उपयोग दर्शाया गया है, विभिन्न खण्डों में तालाबों एवं झील के आसपास के क्षेत्र एवं जल निगम व नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व ठोस अपशिष्ट केन्द्र के आसपास के क्षेत्र में नियोजन की दृष्टि से पार्क भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

10.2.8.4 मनोरंजन पार्क

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 84.30 हेक्टेयर प्रस्तावित है। मनोरंजन पार्क भू-उपयोग को ग्राम डिडौली के पास एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित बाईपास के दोनों ओर, ग्राम गढीखास के आसपास, ग्राम किशनपुर रामचन्दर में प्रस्तावित 30 मीटर महायोजना मार्ग के बाई ओर एवं ग्राम छजलापुर के पीछे नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है।

10.2.9 ग्रीन बेल्ट

रायबरेली महायोजना-2031 में एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित बाईपास के दोनों ओर 30मी0 हरित पट्टिका का प्राविधान की किया गया है। रायबरेली शहर से निकलने वाले मार्गों रायबरेली-महाराजगंज, रायबरेली-अमावां, रायबरेली-सुल्तानपुर, रायबरेली-परसदेपुर, रायबरेली-प्रतापगढ़, रायबरेली-प्रयागराज, रायबरेली-डलमऊ, रायबरेली-कानपुर एवं रायबरेली-लखनऊ पर दोनों ओर अरबनाईजेबल सीमा के बाहर 30मी0 हरित पट्टिका का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार रायबरेली महायोजना के पश्चिमी भाग में 60मी0 प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 30मी0 हरित पट्टिका का प्राविधान किया गया है। सई नदी पर अरबनाईजेबल सीमा के अन्तर्गत हरित पट्टिका का प्राविधान किया गया है।

10.2.10 हाईवे फैसेलिटी जोन

रायबरेली महायोजना-2031 में नगरीयकरण योग्य/विकास योग्य सीमा के बाहर मुख्य मार्गों के दोनों ओर मार्गाधिकार के पश्चात 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के बाद 300 मीटर की गहराई तक भूमि को हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 2153.23 हेक्टेयर है।

10.2.11 ग्रामीण आबादी

रायबरेली महायोजना-2031 में रायबरेली विकास क्षेत्र में स्थित ग्रामीण आबादियों को दर्शित किया गया है। ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु उसके आसपास ग्राम के निवासियों हेतु ग्रामीण आबादी से 100 मी० अतिरिक्त क्षेत्र में नियमानुसार निर्माण अनुमन्य होंगे।

रायबरेली महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र में अनेक ग्राम विद्यमान आबादी के रूप में विकसित हैं। ऐसे ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे आबादी क्षेत्रों को प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र 2031 में पृथक आबादी क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इन विकसित ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 788.24 हेक्टेयर है।

10.2.12 प्रतिबंधित जोन

आर्कियोलॉजिकल मॉन्युमेन्ट्स

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2 स्मारक यथा फोर्ट गेट (किला बाजार, वाशी नकवी नेशनल इन्टर कॉलेज के पास) एवं सई ब्रिज (रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड पर) स्थित हैं जो संरक्षित धरोहर घोषित हैं। दि एनशिएन्ट मॉन्युमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीडेशन) एक्ट 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी० परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा इसके पश्चात 200 मी० परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होगी।

10.2.13 अन्य भू-उपयोग

10.2.13.1 कृषि

रायबरेली महायोजना-2031 में नगरीयकरण योग्य/विकास योग्य सीमा के बाहर तथा विकास क्षेत्र की सीमा तक की भूमि का भू-उपयोग मुख्यतः कृषि रहेगा जिस पर

किसी प्रकार की अकृषक गतिविधियां अनुमन्य नहीं होगी। कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11918.58 हेक्टेयर है।

10.2.13.2 अन्य

- सक्षम प्राधिकारी यथा-विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आदि द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थलों का भू-उपयोग स्वीकृत ले-आउट, मानचित्रों के अनुसार ही माना जायेगा।
- रायबरेली विकास क्षेत्र में अन्य भू-उपयोगों के अन्तर्गत आने वाले ग्रीन बेल्ट/नदी/नाला/नहर, जलाशय/तालाब/पोखर, कब्रिस्तान / सिमेंट्री/ श्मशान स्थल, वन क्षेत्र, यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र एवं ग्रामीण आबादी सम्मिलित है। जिसका कुल क्षेत्रफल क्रमशः 492.68 / 430.35 / 406.40 / 13.67 / 111.12 / 147.31 / 788.24 हेक्टेयर है।
- रायबरेली महायोजना-2031 में विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित जलाशयों/तालाबों/पोखरों/वाटर बॉडीज को राजस्व अभिलेखानुसार यथासंभव अंकित कर महायोजना मानचित्र में दर्शाया गया है। इन जल संसाधन इकाईयों के उच्च भराव क्षेत्र के उपरांत 7.5 मी० की परिधीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियां अनुमन्य नहीं होगी।
- रायबरेली महायोजना-2031 में राजस्व तालाबों/जलाशयों/वाटर बॉडीज को यथासंभव दर्शित किया गया है परन्तु रायबरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कोई राजस्व तालाब/जलाशय/वाटर बॉडी महायोजना-2031 में दर्शित न हो पाये तो ऐसे सभी तालाबों/जलाशयों/वाटर बॉडीज का भू-उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार यथावत रहेगा।
- रायबरेली महायोजना-2031 में सभी श्मशान/कब्रिस्तानों की भूमि का भू-उपयोग राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार यथावत् रहेगा।
- रायबरेली महायोजना-2031 में यदि कोई भूमि वन क्षेत्र/पी.ए.सी./रेलवे संपत्ति/जलाशय/तालाब/सरकारी विभाग में दर्शित हो, तो सम्बन्धित विभाग से

अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ऐसी भूमि का भू-उपयोग संदर्भित भूमि से निकटवर्ती (Adjacent) प्रस्तावित भू-उपयोग माना जायेगा।

- अर्बनाईजेबुल क्षेत्र के बाहर तालाब/जलाशय/पोखर/नदी एवं सड़क के किनारे मानचित्र स्वीकृति के समय ग्रीन बेल्ट का संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- रायबरेली महायोजना के नगरीय सीमा के बाहर सई नदी के दोनों ओर एच.एफ.एल. क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा।

10.2.13.3 राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्र

प्रायः राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्रों का स्थल पर शत-प्रतिशत मिलान नहीं हो पाता है एवं प्रायः आस-पास के राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्रों की सीमाएं आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है अर्थात् गाँवों की सीमाओं में ओवरलेप अथवा गेप की स्थिति बन जाती है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत महायोजना मानचित्र पर सजरा सुपरईम्पोजिशन का कार्य वर्तमान में उपलब्ध जी0आई0एस तकनीक के सहयोग से बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया है, परन्तु इस बात की सम्भावना हो सकती है कि राजस्व ग्रामों की सीमा एवं गाटों/सजरों/खसरों की स्थिति राजस्व के अभिलेखों से भिन्न हो, ऐसी दशा में राजस्व विभाग के अभिलेखों को ही अन्तिम आधार माना जायेगा।

10.2.13.4 प्रस्तावित भू-उपयोग एवं भू-विकास नीतियाँ

किसी भी महायोजना में प्रस्तावित सम्पूर्ण नगरीकरण क्षेत्र को सामान्यतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग के अन्तर्गत नगर में घने बसे निर्मित क्षेत्र एवं सम्बद्ध भू-भाग आते हैं जबकि द्वितीय भाग के अन्तर्गत महायोजना में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के शेष हिस्से आते हैं जो नगर के भावी विकास एवं विस्तार के साथ-साथ विविध प्रकार की सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की कमी एवं आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं हेतु पर्याप्त प्रस्ताव नये क्षेत्रों में किये गये हैं ताकि प्रथम भाग में विद्यमान अत्याधिक संकुचन की दर में कमी आ सकेगी। प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, उपयुक्तता एवं तकनीकी आर्थिक जीव्यता के आधार पर आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन तथा पार्क एवं पहुँच मार्ग आदि के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव महायोजना 2031 में किये

गये हैं। महायोजना प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नीतियों का अनुसरण किया जाना उचित होगा।

1. रायबरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय भूमि को महायोजना में अलग-अलग भू-उपयोगों में दर्शित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः शासकीय प्राविधानों के अनुसार ऐसे समस्त भूखण्ड राजकीय कार्यों के प्रयोजनार्थ अनुमन्य रहेंगे।
2. सभी छोटे तालाब, जलाशय एवं बाग को महायोजना में अलग-अलग दर्शित किया जाना संभव नहीं है। अतः शासकीय प्राविधानों के अनुसार ऐसे सभी तालाबों/बागों का भू-उपयोग यथावत् रहेगा।
3. महायोजना में वर्तमान सभी निर्माणों को अलग-अलग भू-उपयोग में दर्शित नहीं किया जा सकता है, अतः वर्तमान में विद्यमान अधिकृत/पुराना निर्माण अभिलेखों के आधार पर यथावत् रहेगा।
4. महायोजना में सभी शमशान/कब्रिस्तानों की भूमि को अलग से नहीं दर्शाया गया है, इनका भू-उपयोग राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार यथावत् रहेगा।
5. महायोजना एक "ब्राड लैंडयूज मैप" होने के कारण इसमें एक व्यवहारिक सीमा तक के क्षेत्र को ही विविध भू उपयोगों के रूप में दर्शित किया जा सकता है। महायोजना में प्रत्येक छोटे मोटे उपयोगों का अंकन व्यवहारिक एवं संभव नहीं है। अतः वर्तमान में विद्यमान अधिकृत क्रियायें/भू-उपयोग महायोजनानुसार यथावत् मानी जायेगी। उदाहरणार्थ—विविध प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं से सम्बंधित क्रियायें/भू-उपयोग यथा—सड़कें, बस अड्डे, ओवर हेड टैंक, विद्युत उपकेन्द्र, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, अग्निशमन केन्द्रों, पार्क तथा खुले स्थल आदि। इसके अतिरिक्त उक्त उपयोगों हेतु विशेषज्ञ विभाग द्वारा दी गयी राय के अनुसार प्राधिकरण आवास तथा विकास परिषद की योजनाओं में नियमानुसार भूमि आरक्षित की जा सकती है।
6. सक्षम प्राधिकारी तथा—विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा नगर निगम आदि द्वारा महायोजनानुसार अनुमोदित परियोजनाओं से सम्बंधित स्थलों का भू-उपयोग स्वीकृत विन्यास मानचित्रों के अनुसार माना जायेगा।

7. ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु उसी ग्राम के निवासियों हेतु 100 मी० अतिरिक्त क्षेत्र में नियमानुसार निर्माण अनुमत्य होंगे।

10.2.13.5 नगरीय प्रभार शुल्क

1. महायोजना-2021 में प्रस्तावित ऐसे भू-भाग जिनका भू-उपयोग महायोजना-2031 तैयार करते समय उच्चिकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रों में जो भवन अनाधिकृत रूप से निर्मित/निर्माणाधीन है तथा महायोजना-2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप हैं, को उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अध्यादेश-2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 के प्रस्तर-8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय उपयोग प्रभार उद्ग्रहीत किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. अनाधिकृत आवासीय विकास वर्तमान भू-उपयोग के आधार पर पृथक श्रेणी में प्रदर्शित है, जिस पर उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना सं०-242/79-वि-1-2023-2क-13-2023 दिनांक, 10 जुलाई, 2023 के उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2023) के प्रस्तर-8 शीर्षक "नई धारा-38ख का बढ़ाया जाना" में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

रायबरेली भूकम्प (seismic) जोन-3 के अन्तर्गत है, अतः भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालनोपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है। अग्नि-सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवनों में निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके ऐसे सभी भवन जो पूर्व में बन चुके हैं/निर्माणाधीन हैं/मानचित्र स्वीकृति हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु उनमें वर्तमान में अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है। रायबरेली शहर में बहने वाली प्रमुख नदी सई है। सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन दशकों से इसका औसतन जलस्तर मुंशीगंज के पास औघड आश्रम के

पास 94.064 मीटर समुद्र तल से है। अतः एच.एफ.एल. क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा।

10.2.15 वर्षा के पानी का निकास

वर्षा जल निकासी हेतु शहर में कोई बड़ी ड्रेन नहीं है अपितु रोड के साथ-साथ रोड साइड ड्रेन के रूप में नाले बने हुये हैं जिनसे वर्षा जल सड़ नदी में विभिन्न स्थानों पर मिल जाता है इन नालों की स्थिति मानचित्र संख्या-13 में दर्शायी गयी है।

10.2.16 नदी केंद्रित विकास

नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने मई-2021 में वृहद् उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगरीय नदी प्रबन्धन एवं नियोजन से नदियों के जल के संवर्धन एवं विकास हेतु विनियम तथा जोनिंग रेग्यूलेशन का निर्माण कर नगरीय नियोजन एवं विकास हेतु नीतियों का निर्माण किया गया। नदी के किनारों के विकास का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के लिए आवास, कार्य एवं मनोरंजन गतिविधियां विकसित कर हरित क्षेत्रों का विकास नदी के किनारों पर करना है। नदी विनियमों के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने नदी विनियमन जोन (RRZ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1984 अधिसूचित किये गये जिसके अन्तर्गत नदी के संवर्धन क्षेत्र (RRZ) जिन्हें उच्चतम बाढ़ क्षेत्र, सौ वर्षों की अवधि में बाढ़ के आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा-निर्देश आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा 18 मई 2019 को नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें इन दिशा-निर्देश को राज्य सरकारों को अंगीकृत करने हेतु भी आग्रह किया गया है। उक्त दिशा-निर्देशों की शुरुआत वर्ष 1986 में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा रीवर रेगुलेशन जोन का प्रारूप जारी किया था। जिसके तहत नदी के किनारों से 5 किलोमीटर की दूरी तक विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों को नियोजित किया जाना था। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत नदी क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करना है। उक्त योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति वृद्धि, प्रदूषण को नियंत्रित करना, भूमि का उपयोग एवं प्रबंधन तथा पर्यावरण मैत्री विकास को बढ़ावा देना है। अतः नगर एवं

नगरों में नदी के तटों का विकास उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाना प्रस्तावित है। तथा शासनादेशों के अन्तर्गत नगरीय सीमा में नदियों को दो भागों में बांटा गया है।

प्रथम श्रेणी में नगर का वह भाग सम्मिलित है जिसमें नदियां और उसकी सहायक नदियां, तटबंध अथवा तटबंध के बगैर जहां आधारभूत सुविधायें यथा सड़कें, भवन (आवासीय, व्यवसायिक, पार्क एवं खुले स्थल) मन्दिर एवं घाट आदि विद्यमान हैं।

द्वितीय श्रेणी में परिधि नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें नदियां और उसकी सहायक नदियां उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र, तटबंध अथवा तटबंध के बगैर, जहां आधारभूत विकास मध्यम श्रेणी का है तथा भूमि मुख्यतः प्राकृतिक, वनस्पति, वन, कृषि, अथवा चारागाह के रूप में काम ली जा रही है।

उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत नदियों के सक्रिय बाढ़ क्षेत्र को उच्च बाढ़ रेखा परिभाषित किया गया है जो नदी की धारा या दो तटबंधों के बीच या दो सड़कों के मध्य जो नदी के दोनों ओर तटबंध की तरह काम करती है, या उच्च बाढ़ रेखा/सक्रिय बाढ़ क्षेत्र पिछले 100 वर्षों की बाढ़ रेखा के आधार पर परिभाषित किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के तहत विकास एवं निर्माण निषिद्ध क्षेत्र को भी प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा दोनों तटों की ओर निर्धारित करना होगा, जो किसी भी सूरत में सक्रिय बाढ़ क्षेत्र से कम नहीं होगा। ये क्षेत्र उच्च और मध्यम प्रभाव के क्षेत्र हो सकते हैं। जो स्थानीय धरातलीय स्थितियों पर निर्भर करेंगे। मैदानी क्षेत्रों में यह प्रभाव क्षेत्र, नदी के चौड़ाई के आधार पर 1 से 3 किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं।

निषिद्ध उपयोग एवं गतिविधियां

1. सक्रिय बाढ़ क्षेत्र एवं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अस्पताल, नर्सिंग होम एवं आवासीय निर्माण जहां रहने वाले लोग बाढ़ की स्थिति में शीघ्रता से बाहर नहीं जा सकते हैं।
2. पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, वाहन एवं उपकरण, भण्डारण सुविधायें एवं आकस्मिक परिचालन केन्द्र जो बाढ़ के समय बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपयोग में लिये जाते हैं

3. भवन या सुविधायें जिनका उपयोग या भण्डारण अति ज्वलनशील, विस्फोटक, विषाक्त एवं जल प्रतिक्रियाशील पदार्थ, ये निश्चित है।
4. गैर सरकारी संस्था, प्राइवेट एजेन्सी जो भू-जल का व्यापारिक प्रयोजनार्थ दोहन करते हैं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अनुज्ञा नहीं है।

अनुमन्य उपयोग/गतिविधियां

इस क्षेत्र में पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, खेल सुविधायें, अनुमन्य होंगे तथा इन सुविधाओं के लिए पार्किंग की सुविधा का प्राविधान महायोजना/भवन विनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार होगा। उक्त क्षेत्र में पक्के निर्माण अनुमन्य नहीं होंगे। फुटपाथ व ट्रैक्स यथा संभव पर्मीएवल एवं सेमीपर्मीएवल परफोरेटेड ब्लॉक के प्रयोग से ही बनाया जाये।

विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य उपयोग/गतिविधियां

निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा खुला थियेटर, मनोरंजनात्मक उपयोग तथा इनके कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा, खेल क्लब, फूल उत्पादक, सार्वजनिक शौचालय एवं जल पर्यटन विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं अनुमन्य की जा सकती है। उपरोक्त नीति में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के समन्वय से एक नगरीय नदी प्रबन्ध योजना बनाया जाना उचित होगा।

10.2.17 हेरिटेज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2 स्मारक यथा फोर्ट गेट (किला बाजार, वाशी नकवी नेशनल इन्टर कॉलेज के पास) एवं सई ब्रिज (रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड पर) स्थित हैं जो संरक्षित धरोहर घोषित हैं। दि एनशिएन्ट मॉन्युमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीटेशन) एक्ट 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी० परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा 200 मीटर परिधि में पुरातत्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर अनुज्ञ में वर्णित शर्तों के अनुसार निर्माण हो सकेगा।

10.2.18 सौंदर्यीकरण एवं सुधार

रायबरेली शहर में 30मी0 व 30मी0 से अधिक बड़ी सड़कों पर का सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है इन सड़कों का चौड़ा करना, डिवाइडर का निर्माण, डिवाइडर के मध्य में स्ट्रीट लाइट का निर्माण तथा दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण एक निर्धारित रोड सेक्शन के आधार पर निर्माण किया जाना होगा। महायोजना में जहाँ नये पार्क प्रस्तावित किये गये हैं उनकी भूमि अवाप्त की जाकर निर्माण, उनका विकास एवं सौन्दर्यकरण कर निर्माण करना होगा। शहर में कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जिन पर अतिक्रमण किये जाने से यातायात में बाधा पहुँचती है ऐसी सड़कों से अतिक्रमण को हटाकर सड़कों का मार्गाधिकार महायोजना के अनुसार स्थापित कर सुधार किया जाना अपेक्षित है। रायबरेली में प्रदर्शनी स्थलों को नियोजित ढंग से विकसित किया जाकर, शहर के विभिन्न भागों में वांछित स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर शहर में सौंदर्यकरण कर सुधार किया जाना भी अपेक्षित है। ऐसे कार्यों से जनता का सुविधा नहीं अपितु शहर का सौंदर्यकरण भी होगा।

10.2.19 अन्य भू-उपयोग

रायबरेली विकास क्षेत्र में अन्य भू-उपयोगों के अन्तर्गत नदी, नाला, नहर, जलाशय, पोखर, कब्रिस्तान, श्मशान एवं सिमेट्री, वन क्षेत्र, मुख्य सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट, यू.पी. एस.आई.डी.ए. क्षेत्र, ग्रामीण आबादी की भूमि सम्मिलित है।

10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

10.3.1 आवास नीति

1. प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु EWS/LIG/SC,ST/विधवा/ट्रांसजेंडर/वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों एवं समाज के बेघर लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महायोजना में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्रों में समुचित भूमि चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 नियोजन खण्डों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक नियोजन खण्ड में व्यवसायिक क्रियाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं को आवासीय उपयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है।
3. प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण आबादियों को उचित सम्पर्क मार्गों से आपस में सम्बद्ध किया गया है, तथा प्रत्येक जोन का जोनल प्लान तैयार करते समय उक्त आबादियों हेतु आधारभूत स्थापना सम्बन्धी सुविधायें मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
4. नगर की अनाधिकृत एवं अविकसित कॉलोनियों में भी नियमानुसार आधारभूत स्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने एवं उन्हें शासकीय प्राविधानों के अनुसार नियमित किये जाने का सुझाव है।

हाइटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप

रायबरेली नगर में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु कोई पंजीकरण नहीं हुये हैं। अतः रायबरेली नगर में निजी विकास कर्ताओं को रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहित कर हाइटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु महायोजना में आरक्षित आवासीय क्षेत्र में से समुचित भूमि चयनित कर प्रचार प्रसार के माध्यम से आमंत्रित करना होगा।

उ0प्र0 टाउनशिप नीति

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत 'टाउनशिप' का तात्पर्य ऐसी सुनियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। नीति के अन्तर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 02 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ व 02 लाख से अधिक आबादी के नगरों में 25 एकड़ होगा, परन्तु एन.सी.आर. के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ ही होगा। नगर के आकार के प्रयोजनार्थ जनसंख्या का आधार वर्ष जनगणना, 2011 के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

टाउनशिप के विकास के लिए न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टार्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है। टाउनशिप का विकास सामान्यतः महायोजनाओं के शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे अर्बन मास ट्रान्जिट कॉरीडोर के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों, जहाँ विकास के नए ग्रोथ सेन्टर्स प्रकट हो रहे हैं, में प्रोत्साहित किया जाएगा।

10.3.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ0प्र0 पर्यटन नीति 2022 बनाई गई है जो पर्यटन नीति 2018 की जगह लेगी। नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र में नए उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यावेदन पर्यटन और आतिथ्य संघों और विभिन्न हितधारकों एवं अन्य विभागों से प्राप्त सुझावों एवं मुख्य रूप से सुगमता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत जिला प्रोत्साहन परिषद और नीति कार्यान्वयन समिति के माध्यम से कार्यान्वयन एवं विभागों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से त्वरित कार्यान्वयन, राजस्व, शहरी विकास एवं आवास, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रोत्साहन करना है।

10.3.3 सौर ऊर्जा

रायबरेली एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में नगर में पर्यटक की संख्या में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में रायबरेली नगर को एनर्जी एफिसिएंट बनाये जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सम्बंधित विभाग द्वारा रायबरेली नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 बनाये जाना चाहिए।

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

जीवन में पर्यावरण के अस्तित्व के लिये जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से अत्यधिक मात्रा में दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती आबादी को समुचित

पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना भविष्य में कठिन साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर के स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेय जल का भारी संकट पैदा हो सकता है। इस ओर शासन द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा समुचित व्यवस्था हेतु विभिन्न शासनादेश जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत निम्नवत प्राविधान करने के निर्देश दिये गये हैं :-

(1) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्यूलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाये एवं भू-जल रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाए ।

(2) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए, और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के “सरफेस-रन-आफ” को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

(3) पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।

(4) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक यथासम्भव परमीएबिल’ या ‘सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लॉक्स’ के

प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

(5) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

(6) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

(7) 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

10.3.5 फिल्म नीति

रायबरेली में 1 छविगृह विद्यमान हैं। फिल्म नीति के अन्तर्गत निर्मित एवं विद्यमान सिनेमा हॉल, छविगृहों को संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। नये छविगृह व मल्टीप्लेक्स हेतु भूमि महायोजना में प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत विकसित हो सकेगी।

10.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी

रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना है।

10.3.6.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

1. प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रु 15000/- की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक हैं यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
2. फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर) : आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/बी.पी.एम. इकाइयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बाय लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।
3. ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. इकाइयाँ जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भू-उपयोग वर्गीकरण के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू-उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

10.3.6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

1. राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रु 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत की समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
2. एम.एस.एम.ई. सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयाँ, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रु 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति

1. देश में समय-समय पर आये भूकम्पों की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। रायबरेली भूकम्प (seismic) जोन-3 के अन्तर्गत है, अतः भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालनोपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।
2. अग्नि-सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवनों में निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके ऐसे सभी भवन जो पूर्व में बन चुके हैं/निर्माणाधीन हैं/मानचित्र स्वीकृति हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु उनमें वर्तमान में अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।
3. रायबरेली शहर में बहने वाली प्रमुख नदी सई है। सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन दशकों से इसका औसतन जलस्तर मुंशीगंज के पास औघड आश्रम के पास 94.064 मीटर समुद्र तल से है। अतः एच.एफ.एल. क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा।

10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम औद्योगिक नीति 2017, उत्तर प्रदेश निजी औद्योगिक पार्क योजना 2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश भंडारण एवं लॉजिस्टिक नीति 2018 तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2019 प्रमुख हैं। उपरोक्त नीतियों के अन्तर्गत महायोजना में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित 284.89 हेक्टेयर भूमि में से तत्सम्बन्धित औद्योगिक विकास हेतु समुचित भूमि का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

10.3.9 अन्य

10.3.9.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के अनुसार रायबरेली शहर में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए शहर में स्वच्छता के लिए उच्च मानकों को अंगीकृत करना होगा। उक्त नीति के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. अपशिष्ट को कम करने तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके कुप्रभाव को न्यूनतम करने हेतु प्रभावशाली प्रणाली अपनाना।
2. ठोस अपशिष्ट शुल्क, पुनः प्राप्त अपशिष्ट से खाद, दहनशील सामग्री का विक्रय या पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना।
3. अपशिष्ट रोकथाम, पुनः नवीनीकरण को नियंत्रित करने हेतु व्यापक एवं विश्वसनीय व्यवस्था अपनाना।
4. हितधारकों, संस्थानों और संगठनों को अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के विकास एवं संचालन में इनकी भूमिका, कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूक करना।
5. डोर टू डोर संग्रहण, पृथक्करण, अपशिष्ट शुल्क का 100 प्रतिशत संग्रहण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निगरानी में ई-गवर्नेन्स उपकरण को प्रोत्साहित करना, सफाई संचालन की उपस्थिति, भू-टैगिंग युक्त परिवहन व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के प्रमुख अवयव है।

10.3.9.2 हाईवे फैसेलिटी

1. हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
2. हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
3. उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं

विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन तल-क्षेत्र-अनुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किया जायेगा।

10.3.9.3 बाजार स्ट्रीट

1. बाजार स्ट्रीट एक अवधारणा है जिसे केवल निर्मित क्षेत्र एवं आवासीय भू-उपयोग में लागू किया गया है। महायोजना के प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
2. प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले-आउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।
3. अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।
4. वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना-2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।

10.3.9.4 ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022

उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022 के अन्तर्गत एक आदर्श नियोजन है, जिसका उद्देश्य ट्रांजिट नोड्स के आस-पास अत्यधिक घन मिश्रित भू-उपयोग के साथ पैदल चलने तथा आवासन हेतु उपयुक्त नियोजित सत्त शहरी विकास केन्द्रों को विकसित करके भू-उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करना है पैदल चलने वालों और गैर-मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी.) के अनुकूल अवस्थापना का

सृजन करके टी.ओ.डी. ट्रांजिट की पहुँच को बढ़ाता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिट परियोजना की सवारियों में वृद्धि होती है और इस प्रणाली के आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है। टी.ओ.डी. जोन उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 9 के तहत जोनल डवलपमेंट प्लान है। रायबरेली महायोजना के अन्तर्गत भविष्य में आवश्यकतानुसार टी.ओ.डी. योजना तैयार की जा सकेगी।

10.3.9.5 हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) नीति, 2022

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3-22-10 विविध-2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

1. टी.डी.आर. नीति-2022 द्वारा निम्नलिखित पात्रता अंकित की गयी है:-

टी.डी.आर. के द्वारा भूमि के ऐसे स्थान सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं, जिससे इस भूमि पर होने वाले विकास को पुनः निर्देशित किया जाता है। टी.डी.आर. उन भू-स्वामियों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करते हैं जो अपनी भूमि का एक हिस्सा या पूरी भूमि विकसित नहीं करने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे भू-स्वामियों को उचित मुआवजे के बदले में प्राधिकरण जोनिंग के तहत कानूनी रूप से अपने विकास को समाप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। भूमि मालिक अपने अधिकार रियल एस्टेट डेवलपर्स या अन्य भू-स्वामियों को भी बेच सकते हैं।

2. जब कभी प्राधिकरण के विचार से योजना में चिन्हित किसी सुविधा (सुविधा के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुला स्थान, हरित पट्टी और या योजना में यथा अभिहित सुविधाओं सेवाओं, उपयोगिताओं और सुख साधनों सहित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा जिसे सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस उपविधि के प्रयोजनार्थ सुविधा निर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है) का विकास करना समीचीन हो, तो प्राधिकरण ऐसी भूमि के स्वामियों को ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक नोटिस देगा। शासनादेश में नियमावली विस्तृत रूप से उल्लेखित है।

(एक) जहाँ कोई भूमि, योजना में किसी सुविधा के लिये आरक्षित है. ऐसी भूमि का स्वामी टी.डी.आर. प्राप्त करने के लिये पात्र होगा बशर्ते ऐसी भूमि उसके द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क एवं भारमुक्त अभ्यर्पित कर दी जाए। परन्तु यह कि टी.डी.आर. के प्रयोजननार्थ तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.क्रेडिट) निम्नलिखित के बराबर होगा:— अभ्यर्पित भूमि का क्षेत्रफल $\times 2 \times$ गुणन फ़ैक्टर

स्पष्टीकरण: गुणन फ़ैक्टर की गणना अभ्यर्पित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट को टी.डी.आर. के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट से विभाजित कर की जाएगी।

(दो) प्राधिकरण के पक्ष में भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण करने हेतु अधिकार अभिलेख को संशोधित किया जायेगा, जिस हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट होगी।

(तीन) टी.डी.आर. को प्रदान करने से आवेदक डी.आर.सी. के रूप में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल के लिए अधिकृत हो जायेगा, जिसका उपयोग वह स्वयं कर सकेगा अथवा इस उपविधि के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरणीय कर सकेगा।

(चार) टी.डी.आर. की अनुमति उपाध्यक्ष द्वारा स्थानीय स्थितियों या आवश्यकताओं का आंकलन करने के पश्चात् ही दी जाएगी। उपरोक्त खण्ड (एक) में वर्णित स्थितियों में आवेदक को यह अधिकार स्वरूप उपलब्ध नहीं होगा। परन्तु यह कि टी.डी.आर. को अस्वीकार करने की दशा में उपाध्यक्ष आवेदन प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर आवेदक को टी.डी.आर. स्वीकार न करने के कारणों से सूचित करेगा।

(पाँच) किसी न्यायालय के आदेश द्वारा निषिद्ध या किसी भी प्रकार से न्यायाधीन कोई भूमि या भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाता अधिकार अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अर्जन के अन्तर्गत विवादित कोई भूमि टी.डी.आर. की अनुमति के लिये अर्ह नहीं होगी। टी0डी0आर0 का उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग), व्यवसायिक, मिश्रित, कार्यालय, संस्थागत और सामुदायिक भू-उपयोग में रिसीविंग भू-उपयोग के लिये शासनादेश में विहित गुणांक के क्रम में किया जा सकेगा, परन्तु यह कि डी0आर0सी0 को कृषि, मनोरंजन, भूखण्डीय विकास अथवा

रो-हाउसिंग और औद्योगिक भू-उपयोग के लिये योजना में चिन्हित भूमि पर उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु प्राधिकरण द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से योजना में टी0डी0आर0 'सेन्डिंग' एवं 'रिसीविंग' जोन्स का चिन्हीकरण किया जा सकेगा।

महायोजना के अन्तर्गत सेडिंग जोन – ग्रीन, पार्क, पार्किंग व महायोजना मार्ग होंगे।

महायोजना के अन्तर्गत रिसीविंग जोन –विकसित व अविकसित क्षेत्र में 30.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर एवं न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर (निर्मित एवं कृषि भू-उपयोग को छोड़कर)। अवैध भवनों या संरचनाओं या निर्माण या भूमि के अवैध उपविभाजन से आच्छादित भूखण्डों में टी0डी0आर0 के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी:—टी0डी0आर0 से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3-22-10 विविध-2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 के अनुरूप की जायेगी।

10.4 नियोजन खण्ड

रायबरेली विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 10 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है, जिनका मानचित्र संलग्न है। नियोजन खण्डों को सामान्यतः समरूप क्षेत्रों की मुख्य मार्गों की सीमा से परिसीमित किया गया है। इन नियोजन खण्डों की विस्तृत योजनायें महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप जोनल डेवलपमेंट प्लान के तहत तैयार की जानी प्रस्तावित है। अतः रायबरेली के सुनियोजित विकास हेतु इन नियोजन खण्डों का जोनल प्लान बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि महायोजना की प्रस्तावानुसार सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

रायबरेली महायोजना-2031 की स्वीकृति के 1 वर्ष के अन्तर्गत महायोजना समिति द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुरूप जोनल प्लान तैयार किया जाना चाहिए। जोनल प्लान एवं अवस्थापना सुविधाओं जैसे मार्ग, विद्युत एवं जलापूर्ति के अभाव नये प्रस्तावित क्षेत्रों में एकल भू-खण्डों का विकास एवं निर्माण महायोजना के प्रस्तावों को प्रायः प्रतिकूल रूप से

प्रभावित करता है। अतः इस प्रवृत्ति को नियंत्रित एवं नियोजित किये जाने की आवश्यकता है। रायबरेली महायोजना-2031 के नियोजन खण्डों का विवरण तालिका-45 में निम्नवार है:—

तालिका संख्या-45
रायबरेली के नियोजन खण्ड

नियोजन खण्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	142.71
2	489.71
3	2066.72
4	2542.40
5	1947.50
6	1844.63
7	2410.83
8	2942.72
9	2941.67
10	3582.41
योग	20911.30

10.5 चरणबद्ध विकास

महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप विकास की प्राथमिकता का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि प्रथम चरण में उन क्षेत्र के जोनल प्लान तैयार किये जायेंगे जहाँ विकास अभी आरंभिक स्थिति में है। द्वितीय चरण में अन्य क्षेत्रों के जोनल विकास प्लान प्राधिकरण द्वारा वरीयता के आधार पर तैयार किये जायेंगे। प्रत्येक जोनल प्लान के आधार पर विस्तृत लागत का आंकलन तैयार कर संभावित आय के आधार पर कैश फ्लो चार्ट तैयार कर वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन किया जायेगा। तदनुसार योजनाओं की क्रियान्विति की जायेगी।

अध्याय-11

जोनिंग रेगुलेशन्स

11.1 परिचय

11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएँ (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना संभव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें।

11.1.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गए हैं। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ (Salient features) निम्न प्रकार हैं:-

- i. परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User-friendly बनाया गया है।
- ii. विद्यमान महायोजनाओं में अपनाई गई परम्परागत "Regimented" भू-उपयोग पद्धति के स्थान पर "Flexible" एवं "मिश्रित भू-उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों के गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।

- iii. मिश्रित भू-उपयोगों की अनुमन्यता उनकी अनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदण्डों पर आधारित की गई है ताकि परस्पर आश्रित भू-उपयोगों की आपरेशनल एवं आर्थिक कार्य-क्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।
- iv. जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
- v. नियोजित कॉलोनीयों में अविवेकपूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन को नियंत्रित रखने हेतु "शुद्ध आवासीय" तथा "मिश्रित आवासीय" जोन्स के चिन्हीकरण की व्यवस्था की गई है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में चिन्हित किया जा सकता है।
- vi. जोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू-उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएँ जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण-अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।
- vii. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

11.1.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी:—

(क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध भाग-3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएँ भाग-4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएँ तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएँ/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट, काम्प्लेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ यथा विद्युत सब-स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक

मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु “फ्लोटिंग उपयोग” (Floating Use) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

“फ्लोटिंग उपयोग”/क्रियाओं के लिए महायोजना में अलग से “जोन” आरक्षित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे उपयोग की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। “फ्लोटिंग उपयोग” कान्सेप्ट अपनाये जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में **Flexibility** रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन-कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त “फ्लोटिंग” उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियंत्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

11.1.5 प्रभाव शुल्क

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा “प्रभाव शुल्क (Impact Fee) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर

योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-

- (i) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
- (ii) आवासीय भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु।
- (iii) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क

देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी ईकाइयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

1. प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :—
 - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
 - विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
 - अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।
3. विनियमित क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा।
4. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

11.1.7 अन्य अपेक्षाएं

1. महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट

उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएँ ही अनुमन्य होंगी।

2. महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा मार्ग आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।
3. यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा।
4. प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

11.1.8 परिभाषाएं

1. "मिश्रित आवासीय" तथा "शुद्ध आवासीय" का तात्पर्य महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में उक्त प्रयोजन हेतु दर्शित आवासीय भू-उपयोग से है। इन रेगुलेशन्स के प्रयोजनार्थ विद्यमान महायोजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध आवासीय तथा मिश्रित आवासीय क्षेत्र का चिन्हीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा।
2. इन रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड, उ.प्र. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत घोषित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोर्ड तथा उ.प्र. (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र की स्थिति में नियंत्रक प्राधिकारिणी से है।
3. 'निर्मित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है। जिन नगरों की महायोजनाएँ नहीं बनी हैं अथवा 'निर्मित क्षेत्र'

परिभाषित नहीं है, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जायेगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को 'निर्मित क्षेत्र' परिभाषित किया जायेगा जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यवसायिक, औद्योगिक अथवा निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें आवश्यक सुविधाओं यथा सड़कों, जल-सम्भरण, मल-प्रवाहण, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गई हो।

4. "विकासशील/अविकसित" क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

11.2 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

11.2.1 आवासीय

1	एकल आवास/ भूखण्डीय आवास	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाई हो।
2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
3	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप-उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

11.2.2 व्यवसायिक

1	फुटकर दुकानें	वह परिसर, जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हों।
2	दैनिक उपयोग की दुकानें	अधिकतम आच्छादन 15 वर्ग मीटर एवं अनुलग्नक 1क के अनुसार।
3	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)	वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
4	मोटर वाहनों के शोरूम	वह परिसर जिसमें वाहन का क्रय-विक्रय, वाहनों का शो-रूम, आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती है।
5	मोटर वाहनों के स्पे. पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकानें	वह परिसर जहाँ मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स का विक्रय किया जाता है।
6	आटा चक्की	वह परिसर, जहाँ गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
7	थोक मण्डी/व्यापार	वह परिसर, जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और

		सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल है।
8	नीलामी बाजार	ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती है। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
9	कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)	वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
10	होटल	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
11	मोटल	यह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
12	रिजार्ट	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प/लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती है।
13	कैन्टीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
14	भोजनालय/जलपान गृह/रेस्टोरेन्ट	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
15	सिनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
16	मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्प्लेक्स में हो।
17	पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश-विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
18	पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन	स्टेशन उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
19	गैस गोदाम	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
20	गैस अधिष्ठान	वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती है।
21	जंकयार्ड/कबाड़खाना	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध-आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
22	भण्डारण गोदाम, वेयर-हाउसिंग	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं

		शामिल है।
23	सर्विस अपार्टमेन्ट	सर्विस अपार्टमेन्टस् पूर्णतयः सुसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्टस्' होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोई घर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

11.2.3 औद्योगिक

1	लघु उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार लघु उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
2	मध्यम उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मध्यम उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
3	वृहद् उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वृहद् उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
4	सेवा/कुटीर उद्योग	ऐसे उद्योग सम्मिलित है जो मुख्य रूप से उत्पाद और सेवा प्रदान करते हैं।
5	खनन सम्बन्धी	वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
6	सॉफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
7	तेल डिपो	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
8	दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
9	लॉजिस्टिक पार्क / वेयर हाउसिंग	जहाँ वस्तुओं के स्टोरेज/कोल्ड स्टोरेज एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध होती है।

11.2.4 कार्यालय

1	राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय के लिए किया जाता हो।
2	स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
3	अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्टी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेंट, इत्यादि।
5	साइबर कैफे	वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इन्टरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है
6	बिजनेस पार्क	नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यवसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते हैं।

7	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर	ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना (डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
8	कॉल सेन्टर	ऐसा केन्द्र जहाँ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यवसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई-कम्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
9	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
10	वाणिज्यिक/व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
11	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
12	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
13	मौसम अनुसंधान केन्द्र	वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
14	बायोटेक पार्क	ऐसा औद्योगिक पार्क जहाँ पूर्ण रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास संबंधी क्रियाएं की जाती हैं।

11.2.5 सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगितायें एवं सेवायें

1	अतिथिगृह/निरीक्षणगृह	वह परिसर जहाँ सरकारी/अर्द्ध-सरकारी, उपक्रम कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2	धर्मशाला	वह परिसर जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
3	बोर्डिंग/लॉजिंग हाऊस	वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
4	छात्रावास	ऐसा भवन जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते हैं। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान-पान, कैंटीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते हैं।
5	अनाथालय	वह परिसर जहाँ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
6	रैन-बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
7	सुधारालय	वह परिसर जहाँ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
8	हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक आधार पर किसी एक

		व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
9	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
10	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
11	उच्च माध्यमिक/इण्टर विद्यालय	वह परिसर जहाँ 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
12	महाविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी महाविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
13	विश्वविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
14	पॉलीटेक्निक	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
15	मेडिकल/डेंटल कालेज	वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेंटल, ऑपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
16	उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
17	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
18	प्रबन्धन संस्थान	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
19	सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहाँ गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
20	डाकघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
21	डाक एवं तारघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
22	टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
23	रेडियों व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
24	कारागार	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
25	पुलिस स्टेशन	वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
26	नर्सिंग होम	वह परिसर जहाँ 30 शैय्यों तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन

		व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
27	अस्पताल	वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
28	क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती है।
29	स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
30	डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाइयों की भी व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
31	नैदानिक प्रयोगशाला	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जाँच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
32	सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
33	योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
34	धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
35	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाना/भवन	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
36	सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
37	बरातघर/बैंक्वेट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
38	ऑडिटोरियम	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
39	खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
40	थिएटर/नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
41	म्यूजियम/अजायबघर	वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
42	आर्ट गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहाँ चित्रकार, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पदों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
43	संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।

44	पुस्तकालय/लाइब्रेरी	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
45	वाचनालय	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
46	सूचना केन्द्र	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
47	हेल्थ क्लब/जिम्नेजियम	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
48	अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
49	समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता है।
50	विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
51	शमशान	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
52	कब्रिस्तान	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
53	मेला स्थल	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
54	माइक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।
55	डम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
56	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रासायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
57	सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प-हाउस, आदि सीवेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हो। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल है।
58	कम्पोस्ट प्लांट	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के अन्तर्गत उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
59	विद्युत केन्द्र/सब-स्टेशन	वह परिसर जहाँ विद्युत के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हो।
60	वाटर वर्क्स	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवार्ड, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख-रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
61	कूड़ा एकत्रीकरण स्थल	वह स्थल जहाँ पर घरेलू कूड़ा/कचरा अल्प अवधि के लिए एकत्र किया जाता है।
62	सामुदायिक मार्ग निर्देशन केन्द्र	ऐसा केन्द्र जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों से संबंधित जानकारी (road condition & direction) अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

63	जन सुविधा केन्द्र	वह केन्द्र जहाँ जनसाधारण अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह कर सकें तथा विभिन्न राजकीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही कर सकते हैं।
64	ए.टी.एम. कक्ष	वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैंकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जाता है।
65	सार्वजनिक शौचालय	वह शौचालय जो जनसाधारण के प्रयोगार्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
66	नॉलेजपार्क	नॉलेज पार्क एक ऐसा स्थल है जहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के विचार विमर्श के अवसर संस्थाओं, संगठन, होटल, रेस्टोरेन्ट, हॉस्पिटल, व्यवसायिक कार्यालयों, रियल एस्टेट अधिकरणों, क्लब, बिजनेस पार्क आदि के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को बेहतर अवसर प्रदान करना है।

11.2.6 यातायात एवं परिवहन

1	पार्किंग स्थल	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2	बस स्टॉप	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
3	टैक्सी/टैम्पो/रिक्शा स्टैण्ड	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
4	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5	ट्रान्सपोर्ट नगर	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉप तथा गोदाम आदि भी हो सकते हैं।
6	धर्मकौटा	वह परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
7	बस डिपो	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
8	बस टर्मिनल	वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती हैं। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित है।
9	मोटर गैराज सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	ऐसे स्थान जहाँ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते हैं। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्यों हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
10	हेलीपैड	वह स्थान जहाँ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेक-ऑफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक

कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।

11.2.7 पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ा-स्थल

1	पार्क	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
2	क्लब	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
3	क्रीड़ा-स्थल/खेल का मैदान	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
4	मनोरंजन पार्क	वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
5	स्टेडियम	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
6	ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
7	स्वीमिंग पूल (तरण-ताल)	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग-रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
8	पिकनिक स्थल/शिविर स्थल	पर्यटक/मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिये किया जाता है।
9	फ्लाईंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राइडिंग के लिए किया जाता हो।
10	शूटिंग रेंज	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
11	कारवां पार्क	ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिए कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते हैं। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे-यात्री टेन्ट, खान-पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती हैं।
12	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
13	चिड़ियाघर/अजायबघर	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।

11.2.8 कृषि

1	नर्सरी/पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2	दुग्धशाला/डेयरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेयरी-उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडों के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।
3	कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते हैं।
4	फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
5	उद्यान	वह परिसर जिसे फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़-पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
6	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़-पौधे हो। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
7	कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
8	धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
9	कैटिल कालोनी	ऐसा परिसर जहाँ मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें जैसे दैनिक उपयोग की दुकानें, कम्प्यूनिटी सेंटर इत्यादि भी निर्मित किये जा सकते हैं।
10	पशु संवर्धन केन्द्र	ऐसा स्थान जहाँ केवल मांसाहारी भोजन के उपयोगार्थ पशुओं का वध किया जाता है।
11	हाईवे फैसिलिटी जोन	वह क्षेत्र जहाँ पर कृषि उपयोग से सम्बन्धित गतिविधियों को हाईवे के किनारे नियमित विकास के रूप में संचालित किया सकेगा।

11.2.9 अन्य परिसर

1	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़-पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
2	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएँ या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
3	चिड़ियाघर/जल-जीवशाला	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
4	पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और

	पालन-पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।
--	--

11.2.10 अस्थायी क्रियाएँ

1	वेन्डिंग जोन	वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थों के विक्रय सामग्री व्यवसायिक गतिविधियाँ वेन्डर द्वारा की जाती है।
---	--------------	--

11.3 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन के भाग-5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित रंगीन चार्ट/ग्राफिक प्रस्तुतीकरण में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:-

कोड संख्या	अनुमन्यता की अनिवार्यता शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु।
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर।
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर।
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर।
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक।
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक।
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत।

12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्न-2 के अनुसार)।
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण।
14	केवल नगर की विकसित आबादी के बाहर।
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)।
16	राईट-ऑफ-वे के बाहर।
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक।
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत।
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्गमीटर अथवा दोनों में जो भी कम हो।
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु।
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी।
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित।
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक।
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर।
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)।
26	द्वितीय तल एवं उसके ऊपरी तलों पर
27	स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार एवं भूखण्ड पर अनुमन्य अधिकतम आच्छादन का 10 प्रतिशत।
28	केवल सम्बन्धित सुविधा के उपयोगार्थ एवं परिसर के अन्दर भू-आच्छादन का अधिकतम 10 प्रतिशत।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्रियाएँ (Activities)/उपयोग		भू-उपयोग जोन्स																
		विकासशील/अविकसित क्षेत्र																
		नि.क्षे.	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	पार्क	जो.प.	मनो.	ह.प.	या.परि.	ग्रा.आ.	कृषि.1	कृषि.2
क्र.स	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.29	सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	7	8	7		8									7	6		
5.30	बारात घर/बैंकवेट हॉल			8														
5.31	कान्फ्रेंस/मीटिंग हॉल								20									
5.32	अजायबघर																	
5.33	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21	7				21	21			21	21	21	21	21		21	
5.34	टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय केन्द्र																	
5.35	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र							20										
5.36	समाज कल्याण केन्द्र																	
5.37	कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड						14	14		14								
5.38	टयूब-वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र /सब-स्टेशन, सोलर पावर																	
5.39	वाटर वर्क्स														20			
5.40	माइक्रोवेव केन्द्र																	
5.41	कम्पोस्ट प्लांट																	
5.42	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट						14	14		14								
5.43	डस्टबिन/कूड़ा सकत्रीकरण स्थल																	
5.44	सार्वजनिक शौचालय																	
5.45	ए.टी.एम.																	
5.46	जन सुविधा केन्द्र																	
5.47	नॉलेज पार्क																	
5.48	पशुवध शाला									14							14	
5.49	रिसाईक्लिंग ऑफ वेस्ट																	
6	यातायात एवं परिवहन																	
6.1	पार्किंग स्थल										21				16			
6.2	टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड/ बस स्टाप														16			
6.3	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																	
6.4	बस स्टैण्ड	7	7	8		7	7			7					16			
6.5	बस टर्मिनल			8		7												
6.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप												19			7		
6.7	मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र																	
6.8	लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफॉर्म													21				

क्रियाएँ (Activities)/उपयोग		भू-उपयोग जोन्स																
		विकासशील/अविकसित क्षेत्र																
		नि.क्षे.	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	पार्क	जो.प.	मनो.	ह.प.	या.परि.	ग्रा.आ.	कृषि.1	कृषि.2
क्र.स	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/ साइडिंग/ टरमिनल																	
6.10	धर्मकांटा	7		8			7									7		
6.11	एयरपोर्ट																	
7	पार्क, क्रीड़ा / खुले स्थल																	
7.1	पार्क																	
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7													7		
7.3	गोल्फ/रेसकोर्स																	
7.4	स्टेडियम/ खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, क्रीड़ा स्थल/ खेल का मैदान																	
7.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल	21	21	21		21	21	21	21	21	21			21			21	
7.6	ट्रैफिक पार्क																	
7.7	मनोरंजन पार्क	6									21	21				7		
7.8	क्लब, स्वीमिंग पूल	7	7													7		
7.9	चिड़ियाघर, जल जीवशाला, वन्य जीव/ पक्षी शरण स्थल																	
7.10	फ्लाईंग क्लब/ हैलीपेड									21								
7.11	शूटिंग रेन्ज																	
8	कृषि																	
8.1	बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटेनीकल गार्डन																	
8.2	फार्म हाउस																	
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डैरीफार्म), कैटिल कॉलोनी																	
8.4	धोबीघाट																	
8.5	सूअर/ मत्स्य/ कुक्कुट/ मधुमक्खी पालन, पशु संवर्धन एवं प्रजनन केन्द्र																	
8.6	कृषि उपकरण मरम्मत/ सर्विसिंग वर्कशाप															6		
9	फ्लोटिंग उपयोग																	
9.1	सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें																	
9.2	थोक व्यावसायिक																	
9.3	यातायात एवं परिवहन																	
9.4	सेवा/ कुटीर उद्योग		12															
9.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/ खतरनाक/ प्रदूषणकारक)																	
10	अस्थायी क्रियाएँ																	
10.1	वेन्डिंग जोन	7	8	8										21				
10.2	साप्ताहिक बाजार		7									7						
10.3	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल	7	8				8	8		8								

भू-उपयोग जोन्स में निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का (Impact Fee) निर्धारण									
प्रभाव शुल्क में छूट								प्रभाव शुल्क लागू नहीं प्रभाव शुल्क देय नहीं प्रभाव शुल्क देय	संकेत
गैर व्यावसायिक एवं चैरिटेबल क्रियार्ये/उपयोग		1							
सेवा एवं कुटीर उद्योग		2							
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास		3							
क्रियाएँ (activities)/ उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)		निर्मित क्षेत्र	विकासशील / अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)						
			कृषि हरित पट्टी, पार्क क्रीडा स्थल/ हाईवे फैसिलिटी जोन	सार्वजनिक सुविधार्ये	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	व्यावसायिक
			1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क क्रीडा स्थल/ हाईवे फैसिलिटी जोन								
2	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधार्ये		0.25 ¹				0.25 ¹		
3	यातायात एवं परिवहन		0.30	0.10					
4	औद्योगिक		0.40 ²	0.25 ²	0.25 ²				
5	आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.25 ³			
6	कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यावसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

1. विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु निर्धारित 'प्रभाव शुल्क गुणांक' की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहां प्रभाव शुल्क देय है।
2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित गुणांक की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:—

■ सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :— भूखण्ड का क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुणांक X 0.25

■ विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :— भूखण्ड का क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुणांक X 0.50
- 3- प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।
- 4- शुद्ध/मिश्रित आवासीय भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु।

उदाहरण-1 विभिन्न आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रु. 2000 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल X सेक्टर रेट X गुणांक X 0.25	उदाहरण – 2 कृषि भू-उपायोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि का सर्किल रेट = रु. 200 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क = 500 X 200 X 1.5 X 0.5 = रु. 75000/-
---	--

अनुलग्नक-1

दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची

1. जनरल प्रोवीजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुयें तथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि।
3. सब्जी एवं फल
4. फलों का जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी तथा सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स आदि
10. किताब/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी.सी.ओ.
13. रेडीमेड गारमेन्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हैयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी.वी. संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें।

अनुलग्नक-1क

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची:-

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी०)

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फूल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपडे इस्तरी करना

नोट:- मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट-बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेंगीं

अनुलग्नक-2

आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी.वी., रेडियो आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिंटिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चांदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते व फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्मे की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक-3

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची

(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चांदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यन्त्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज-सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो टी.वी. बनाना
21. पैन्, घड़ी, चश्मे की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियाँ एवं प्यूजेज
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियाँ बनाना

25. दरियाँ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इन्जन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बड़ई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरलाइज्ड वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के सन्दूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू-क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्मे के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक-4

विकास क्षेत्र, रायबरेली

गजट नोटीफिकेशन संख्या-5685/37-2-33-डी0ए0-72 दिनांक 31.10.1976 द्वारा आर0बी0ओ0 एक्ट-1958 के अन्तर्गत अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रायबरेली के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में रक्षा विभाग के उपयोग की भूमि छोड़ते हुए विकास क्षेत्र रायबरेली घोषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र की अधिसूचना संख्या-1738/37-3-64-नि0का0वि-73, दिनांक 28.8.1993 एवं संख्या-1664/37-3-64 नि0का0वि0/73, दिनांक 19.12.1975 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र/ग्राम सम्मिलित हैं :-

रायबरेली विकास क्षेत्र में ग्रामों की सूची

क्र.सं	गांवों के नाम	क्र.सं	गांवों के नाम
1.	रायबरेली नगर पालिका सीमा	32	दाऊदपुर
2	अडोहर	33	पल्टू टांडा
3	अलीपुर खालसा	34	छिवलामऊ
4	उस्मानपुर	35	किशनपुर राय
5	मझिगवाँ करन	36	चकशेखूपुर
6	शोरा	37	लोहानीपुर
7	सरांवा	38	मैदानपुर
8	अल्लादादपुर	39	दरीवा
9	कचौंदा नानकारी	40	चक बहादुरपुर
10	चक लोहराहार	41	रेतीखुर्द
11	परिगवाँ	42	पूरावही
12	कोन्डरस बुजुर्ग	43	चक दौलताबाद
13	कोन्डरस खुर्द	44	छावनी पुलिस
14	भुवापुर जुनारदार	45	चक शाहउद्दीनपुर
15	हरदासपुर	46	चक बहेलियापुर
16	गढ़ीरवास	47	अकबरपुर कछुवाह
17	डिडौली	48	मछेछर
18	गोकुलपुर	49	इब्राहिमपुर
19	किशनपुर रामचन्दर	50	कोल्वा खुर्द
20	बरईपुर	51	रामनैर मुहीउद्दीपुर
21	रतापुर	52	बीबीपुर मुतछरिकात
22	देवानन्दपुर	53	मधुपुरी
23	रामपुर	54	गढ़ी मुतवल्ली
24	खोर	55	दरियापुर
25	उफरामऊ	56	जहानपुर कोन्डर
26	खसपरी	57	अहमदपुर नजूल
27	ढोढरी	58	महानन्दपुर
28	लालपुरखास	59	गोडवा गोदियाना
29	मझिगवां राव	60	बेहटा खुर्द

30	मुबारकपुर	61	भूयमऊ
31	टांडा	62	जगदीशपुर
63	मलिकामऊ आइमा	82	हैवतमऊ
64	छजलापुर	83	कासिमपुर बघेल
65	चौरहरा	84	चक पचखरा
66	धौरहरा	85	प्रेमराजपुर
67	उमरा	86	भैरवपुर कटैली
68	चक दादर	87	रघुनाथपुर
69	कसेहटी	88	झकरासी
70	सराय मोगलां	89	पुरुषोत्तमपुर
71	बालापुर	90	भदोखर
72	बरखापुर	91	रायपुर महेरी
73	बरवारीपुर	92	सराय दामों
74	जैतूपुर	93	मुहम्मदपुर कुचरिया
75	भटपुरखा	94	चक निजाम
76	सलीमपुर सींकी	95	बेला भेला उर्फ उत्तरपारा
77	बन्दरामऊ	96	सुल्तानपुर आयमा
78	पूरे सिद्धा	97	पासापुर
79	राही	98	खनुआ
80	सिकन्दरपुर	99	सुलखियापुर
81	कौआ डीह	100	सैदनपुर

स्रोत: रायबरेली विकास प्राधिकरण

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण विधायी परिशिष्ट
भाग 4—खण्ड (ख)
(उत्तर प्रदेश अधिसूचना)
लखनऊ, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1976
अग्रहायण 12, 1898 शक् सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
निवास अनुभाग—2

संख्या 5685/37-2-33 डी0ए0-72 लखनऊ

3 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973, जैसा कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया है) की धारा-4 की उपधारा (7) के असीम शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 5685/37-3-33 डी0ए0-72 दिनांक 30 अक्टूबर, 1976 के अधीन घोषित रायबरेली विकास क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण का गठन करते हैं जो रायबरेली विकास क्षेत्र कहलायेगा।

रायबरेली विकास प्राधिकरण

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल	अध्यक्ष
2. जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली	उपाध्यक्ष
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम सर्किल लखनऊ, उ0प्र0	पदेन सदस्य
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ संभाग, लखनऊ	पदेन सदस्य
6. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ सर्किल, लखनऊ, सार्वजनिक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
7. आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग	पदेन सदस्य
8. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय सर्किल, जल निगम, उ0प्र0	पदेन सदस्य
10. अधीक्षण अभियन्ता, रायबरेली सर्किल, राज्य विद्युत परिषद्	पदेन सदस्य
11. प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, रायबरेली	मनोनीत सदस्य

अनुलग्नक-5

रायबरेली विकास क्षेत्र में अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों की सूची

क्र.स.	कॉलोनी का नाम	क्षेत्रफल एकड में
1	अनवर नगर	4.30
2	अटलानी नगर	33.00
3	कृपलानी नगर	
4	जगदीशपुरम	70.00
5	बरईपुर	70.00
6	हनुमन्तपुरम	
7	चाणक्यपुरी	8.50
8	दीक्षित कॉलोनी	
9	हरिओम कॉलोनी	15.00
10	अहमदरजा कॉलोनी	
11	बड़ा घोसियाना	2.00
12	छोटा घोसियाना	
13	गांधी नगर	7.00
14	बस्तेपुर	6.00
15	गोरा बाजार	2.00
16	गणेश नगर	2.00
17	कृष्णा नगर	85.00
18	सर्वोदय नगर	50.00
19	अम्बेडकर/शक्तिनगर	28.00
20	घसियारी मण्डी	10.00
21	बजरंग नगर	9.00
22	सी0एम0ओ0 ऑफिस के पीछे	2.00
23	बीर पाल सिंह की कोठी	प्राधिकरण भूमि/उच्च न्यायालय का
24	सोनिया नगर	नजूल भूमि
रिट याचिका संख्या-2589(एम0बी0)/2012 पी0आई0एल0 डा0 नूतन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2012 के प्रस्तर (ii) उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-32 के अन्तर्गत नियमित की गयी अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची निम्नवत् है:-		
25	आचार्य द्विवेदी नगर	—
26	विकास नगर	—
27	नेहरू नगर	—

स्त्रोत: रायबरेली विकास प्राधिकरण

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./1-ए-वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 11B / अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(कै)/2021-22,

दिनांक 23/11/2021

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2. उपाध्यक्ष,
रायबरेली विकास प्राधिकरण।
3. अधिशासी निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ
4. मुख्य/वरिष्ठ नगर नियोजक,
रायबरेली विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य अभियन्ता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.,
7. श्री एन.आर. वर्मा, (तकनीकी सलाहकार)
आवास बन्धु, उ.प्र.।
8. श्री जी.एस. गोयल, (सलाहकार)
आवास बन्धु, उ.प्र.।
9. प्रधानाचार्य,
राजकीय आर्किटेक्चर कालेज,
लखनऊ।

विषय: रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 26/2021/2737/आठ-3-21-06महा./2014 दिनांक 22 सितम्बर 2021 द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 13.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का परीक्षण किया गया।

सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
नोडल अधिकारी/सदस्य संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव/अध्यक्ष, शासकीय समिति, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सम्बन्धित, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित कन्सल्टेंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
नोडल अधिकारी/सदस्य संयोजक

रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में आयोजित शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-संलग्न सूची के अनुसार।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-26/2021/2737/आठ-3-21-06महा./2014 दिनांक 22.09.2021 में दिए गये निर्देशों के क्रम में रायबरेली विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 का प्रारूप महायोजना बनाये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के विरुद्ध हुए विचलन, नगर के विकास का वर्तमान स्वरूप एवं विकास की सम्भावित क्षमताओं का आंकलन, वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण, आर्थिक आधार तथा रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्षेपण, विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का अध्ययन व इस हेतु भावी प्रक्षेपण, विद्यमान व प्रस्तावित आधारभूत संरचना एवं मनोरंजन व खुले स्थल का आंकलन के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी की गयी विभिन्न नीतियों के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:-

- (1.1) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र की सूची/सीमा को यूपीसीडा से प्राप्त कर विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- (1.2) प्रारूप महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में विभाजित कर प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.3) सभी महायोजनाओं में प्रस्तावित भू-उपयोग का नॉमनक्लेचर एक समान होना चाहिए, का सुझाव दिया गया जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-1)।
- (1.4) ऐसे नगर जो नदी के किनारे बसे हैं, में रिवर सेप्टिक प्लानिंग के प्राविधानों के समावेशन प्रारूप महायोजना में किये जाने का सुझाव दिया गया।
- (1.5) समक्ष स्तर से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान लागू नहीं होंगे।
- (1.6) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में निम्नवत् मत स्थिर हुआ-
 - (1.6.1) वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।

- (1.6.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।
- (1.6.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (1.6.4) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।
- (1.6.5) बाजार स्ट्रीट हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7) प्रारूप महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टिका छोड़ने के पश्चात् नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुए अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का मत निम्नलिखित सुझावों के साथ स्थिर हुआ :-
- (1.7.1) हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
- (1.7.2) हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (1.7.3) हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।
- (1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।

(1.8) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू-उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू-उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानचित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिनपर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।

(2) रायबरेली विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति के समक्ष निम्न तथ्य संज्ञान में आये:-

(2.1) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावित भू-उपयोगों के विरुद्ध हुए निर्माणों/विचलन सम्बन्धी तालिका में टंकण त्रुटि दृष्टिगोचर हुई जिसे ठीक किये जाने एवं विचलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(2.2) प्रारूप महायोजना में रायबरेली से फुर्सतगंज मार्ग पर इन्दिरा नहर के साथ विकसित प्रधानमंत्री आवास योजना को सम्मिलित करते हुये आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित भूमि के अतिरिक्त फुर्सतगंज मार्ग पर हाई-वे फैसेलिटी जोन का प्रस्ताव दिया जाये।

(2.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाई-पास के आस-पास भी यथाचित प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया।

समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) को रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
सदस्य संयोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

अनुमोदित




(अजय चौहान)
सचिव/अध्यक्ष
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

रायबरेली विकास प्राधिकरण की 75वीं बैठक
दिनांक 26.05.2022 का कार्यवृत्त


75/6	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक के उपरान्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव तथा प्राधिकरण के सुझाव पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं शासकीय समिति निर्देश के क्रम में जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) पर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जायें।
------	--	---

उपाध्यक्ष, रा0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।


(पल्लवी मिश्रा)
सचिव


(माला श्रीवास्तव)
उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी

अनुमोदित


(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण
एव आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

दैनिक जागरण रायबरेली दिनांक 11 जून 2022

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली
संख्या : 237/मिचो0अनु0/2022-23/राविप्रा/2022 दिनांक: 09 जून 2022
सार्वजनिक-सूचना
भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत रायबरेली विकास क्षेत्र की जी.आई.एस. बेस्ड रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार की गयी है। रायबरेली महायोजना-2021 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 26.05.2022 के मद संख्या 6 में 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) को जन-सामान्य के अवलोकनार्थ जेल गार्डन रोड, रायबरेली स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स के प्रथम तल पर विद्यमान कार्यालय, रायबरेली विकास प्राधिकरण के सभागार में दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है।
अतः आपत्तिकर्ता/सुझावकर्ता उपर्युक्तानुसार रायबरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय में उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।
(पल्लवी मिश्रा) (माला श्रीवास्तव)
सचिव जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष

दैनिक जागरण रायबरेली दिनांक 08 सितम्बर 2022

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।
आवश्यक सूचना
रायबरेली महायोजना -2031 (प्रारूप) पर दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक की अवधि में जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के संबंध में दिनांक 09.09.2022 एवं दिनांक 13.09.2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे से 2.00 बजे तक का समय सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया है। उक्त सुनवाई रायबरेली विकास प्राधिकरण सभागार में होगी।
अतः दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक की अवधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों से संबंधित आपत्ति कर्ताओं/सुझाव कर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी आपत्ति के संबंध में नियत तिथि, समय एवं स्थान पर एतद्विषयक गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
सचिव
रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति की दिनांक 09.09.2022 एवं 17.09.2022 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त।

रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) को रायबरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26.05.2022 में स्वीकृत किया गया, जिसके उपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अनुसार महायोजना प्रारूप की प्रदर्शनी दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 तक जन सामान्य की आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु लगायी गयी। उक्त प्रदर्शनी में कुल 138 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। शासन/देश संख्या-4816(1)/9-आ-3-2003-9 महा0/2002 दिनांक 20 दिसम्बर 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 09.09.2022 एवं दिनांक 17.09.2022 को सभी आपत्ति कर्ताओं/सुझाव कर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया। आपत्ति कर्ताओं का पक्ष एवं अन्य व्यापक विषयों पर सम्पूर्ण विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय/संस्तुति निम्नवत् है:-

क्रमांक	दिनांक	आपत्तिकर्ता/सुझावकर्ता का नाम, पता व मो0	आपत्ति/सुझाव का संक्षिप्त विवरण	सुनवाई समिति की संस्तुति
1	14.06.2022	स0 अवतार सिंह छाबड़ा अध्यक्ष, व अन्य राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन, रायबरेली निवासी गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, रायबरेली। 9415335071	2021 के महायोजना के नक्शों में हाथी पार्क चौराहा से 500मी0 तक व्यवसायिक दर्शाया गया है। बाकी खालसा चौक तक सामुदायिक दिखाया गया है। जबकि जो 500मी0 हाथी पार्क से व्यवसायिक दर्शाया गया है। उसमें हाथी पार्क, आचार्य द्विवेदी इन्टर कालेज भी आता है। इसलिए यह स्थान व्यवसायिक नहीं है, परन्तु उक्त भाग महायोजना 2021 के नक्शों में व्यवसायिक दिखाया गया है। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि हाथी पार्क से खालसा चौक तक जो सामुदायिक दिखाया गया है। यह छोटा सा भाग व्यवसायिक है और 2031 की महायोजना में उसको सामुदायिक हटाकर व्यवसायिक दर्शाया जाये।	आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा शासकीय समिति की संस्तुति के कम में इस मार्ग पर स्थित आचार्य द्विवेदी इन्टर कालेज, हाथी पार्क एवं वन्देया कोठी से संलग्न नेत्र चिकित्सालय को वर्तमान विद्यमान स्थिति के अनुसार प्रस्तावित महायोजना-2031 में दर्शाते हुये शेष भाग को आवासीय भू-उपयोग व बाजार मार्ग (भू-स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई तक 18मी0 मार्ग के दोनों तरफ) के अन्तर्गत दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है।

2	15.06.2022	श्री खुशीराम चौधरी, त्रिपुला चौराहा लखनऊ रोड, रायबरेली। 6392254920	रायबरेली नगर के त्रिपुला चौराहा से लखनऊ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दांयी ओर व बांयी ओर डिडौली पुल तक, त्रिपुला चौराहा से महाराजगंज को जाने वाले मार्ग पर गढ़ी हरदासपुर तक सड़क के दोनों ओर, त्रिपुला चौराहा से प्रयागराज को जाने वाले मार्ग के दोनों ओर मुंशीगंज तक तथा त्रिपुला चौराहा से अहियारायपुर की ओर आने वाले मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। महायोजना 2031 में भू-उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में है।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा त्रिपुला चौराहा से लखनऊ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दांयी ओर व बांयी ओर डिडौली पुल तक एवं त्रिपुला चौराहा से महाराजगंज को जाने वाले मार्ग पर गढ़ी हरदासपुर तक तथा त्रिपुला चौराहा से अहियारायपुर की ओर आने वाले मार्ग को महायोजना-2031 (प्रारूप) में दिये गये प्रस्ताव को यथावत रखे जाने तथा त्रिपुला चौराहा से प्रयागराज को जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ मुंशीगंज तक शासकीय समिति की संस्तुति के कम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन नियमानुसार बाजार स्टीट दर्शाये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।
3	15.06.2022	श्रीमती सुनीता अवस्थी, त्रिपुला चौराहा, लखनऊ रोड, रायबरेली। 7651928155	रायबरेली नगर के त्रिपुला चौराहा से लखनऊ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दांयी ओर व बांयी ओर डिडौली पुल तक, त्रिपुला चौराहा से महाराजगंज को जाने वाले मार्ग पर गढ़ी हरदासपुर तक सड़क के दोनों ओर, त्रिपुला चौराहा से प्रयागराज की जाने वाले मार्ग के दोनों ओर मुंशीगंज तक तथा त्रिपुला चौराहा से अहियारायपुर की ओर आने वाले मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। महायोजना 2031 में भू-उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में है।	संस्तुति आपत्ति संख्या-2 के निस्तारण के अनुसार।
4	15.06.2022	श्री नरेन्द्र चौधरी आदि, त्रिपुला चौराहा, रायबरेली। 941598113	रायबरेली नगर के त्रिपुला चौराहा से लखनऊ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दांयी ओर व बांयी ओर डिडौली पुल तक, त्रिपुला चौराहा से महाराजगंज को जाने वाले मार्ग पर	संस्तुति आपत्ति संख्या-2 के निस्तारण के अनुसार।

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.

5	16.06.2022	स0 त्रिलोचन सिंह छाबड़ा एवं अन्य जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, रायबरेली। 9415090760	<p>गढ़ी हरदासपुर तक सड़क के दोनों ओर, त्रिपुरा चौराहा से प्रयागराज की जाने वाले मार्ग के दोनों ओर मुंशीगंज तक तथा त्रिपुरा चौराहा से अहियारायपुर की ओर आने वाले मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। महायोजना 2021 में भू-उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में है।</p> <p>महायोजना-2031 के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महायोजना-2001 में बेलीगंज, सुपर मार्केट, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, कोतवाली रोड, कैप्पर गंज, मिलन सिनेमा रोड का मुख्य व्यवसायिक केन्द्र भू-उपयोग दर्शित था, महायोजना-2021 में इसको हटा दिया गया उपरोक्त क्षेत्र को पूर्ण व्यवसायिक करें। 2. कचेहरी रोड पर हाथी पार्क से यूनिन बैक चौराहा, खालसा चौराहा को जाने वाली रोड को पूर्ण रूप से व्यवसायिक दर्शाया जाय। 3. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महायोजना-2021 में अनधिकृत आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है। जिसको महायोजना-2031 में आवासीय करने का कष्ट करें। 4. फिरोज गांधी डिग्री कालेज चौराहा से जिलाधिकारी निवास चौराहा तथा निराला नगर, सत्य नगर, प्रकाश नगर, प्रभु टाउन, शाहजादा कोठी को क्षेत्र-2001 में निर्मित क्षेत्र दर्शाया गया है जबकि महायोजना-2031 में उपरोक्त क्षेत्र विकसित क्षेत्र दर्शाया गया है। 5. डिडौली से मुंशीगंज जाने वाली लखनऊ-प्रयागराज रोड, कानपुर रोड से रत्तापुर चौराहे से डिग्री कालेज चौराहे से कानपुर जाने वाली कैनाल रोड से जेल गार्डन रोड को महायोजना-2031 में व्यवसायिक दर्शाया जाना चाहिए। 6. स्टेशन रोड बाटा शू कम्पनी से सब्जी मंडी रोड जाने वाली सड़क को महायोजना-2021 में 18 दर्शाया गया है जबकि वर्तमान में यह रोड 12 मी0 है अतः महायोजना-2031 में इसे 12 मी0 कर दिया जाय। 	<p>समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महायोजना-2001 में सुपर मार्केट बेलीगंज, सब्जी मण्डी स्टेशन रोड, कोतवाली रोड, कैप्परगंज एवं मिलन सिनेमा रोड को सामान्य वाणिज्यिक केन्द्र/नगर केन्द्र भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था, परन्तु शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना-2021 में उक्त मार्गों पर निर्मित क्षेत्र एवं बाजार मार्ग भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। अतः समिति द्वारा महायोजना-2001 में दर्शित सामान्य व्यवसायिक केन्द्र/नगर केन्द्र भू-उपयोग को यथावत (सामुदायिक सुविधाओं को छोड़कर) महायोजना-2031 में प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है। 2. आपत्ति संख्या-1 के अनुसार। 3. समिति द्वारा महायोजना-2021 दर्शित अनाधिकृत आवासीय
---	------------	---	---	--

भू-उपयोग को महायोजना-2031 (प्रारूप) के अनुसार यथावत दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है (अनाधिकृत आवासीय विकास वर्तमान भू-प्रयोग के आधार पर पृथक श्रेणी में प्रदर्शित है, जो शासन की नीति के अनुसार नियमित किया जायेगा तब तक इन स्थलों का भू प्रयोग महायोजना-2001 के अनुसार ही मान्य होगा)।

4. शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना-2021 में उक्त क्षेत्र को आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उक्त क्षेत्र को रायबरेली महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

5. सभी मार्गों पर व्यवसायिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया जाना नियोजन की दृष्टि से सम्भव नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

6. महायोजना-2021 में बाटा I-कम्पनी से सब्जी मण्डी को जाने वाले मार्ग को 18.00 मी० चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। चूंकि

6	16.06.2022	श्री नरेन्द्र चौधरी आदि, त्रिपुला चौराहा, रायबरेली। 941598113	रायबरेली नगर के त्रिपुला चौराहा से लखनऊ की ओर जाने वाले गोकुलपुर में मेरा गाटा संख्या-99, 100 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है व डिडौली पुल तक दोनों तरफ त्रिपुला चौराहा से बस स्टेशन रोड पर मेरा गाटा संख्या-149अ किशुनपुर रामचन्द्र स्थित सिटी मार्ग व त्रिपुला चौराहा से महराजगंज को जाने वाले मार्ग पर गद्दी हरदासपुर तक सड़क के दोनों ओर, त्रिपुला चौराहा से प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर मुशीगंज तक प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही महायोजना-2021 से 2031 में भू-उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में।	उक्त मार्ग निर्मित क्षेत्र में स्थित है। जिसे 18.00 मी0 चौड़ा किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त जनहित में उक्त मार्ग को यथा स्थिति के अनुसार महायोजना-2031 में 12.00 मी0 चौड़ा प्रस्तावित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।
7, 8	16.06.2022	उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल (चोहान गुट) श्री जी0सी0 सिंह चौहान प्रांतीय अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृष्ठान्तित आदेश दिनांक 07.06.2022 7619004390 9450929379	2021 के महायोजना के नक्शे में हाथी पार्क चौराहा से 500मी0 तक व्यवसायिक दर्शाया गया है। बाकी खालसा चौक तक सामुदायिक दिखाया गया है। जबकि जो 500मी0 हाथी पार्क से व्यवसायिक दर्शाया गया है। उसमें हाथी पार्क, आचार्य द्विवेदी इन्टर कालेज भी आता है। इसलिए यह स्थान व्यवसायिक नहीं है, परन्तु उक्त भाग महायोजना 2021 के नक्शे में व्यवसायिक दिखाया गया है। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि हाथी पार्क से खालसा चौक तक जो सामुदायिक दिखाया गया है। यह छोटा सा भाग व्यवसायिक है और 2031 की महायोजना में उसको सामुदायिक हटाकर व्यवसायिक दर्शाया जाये।	आपत्ति संख्या-1 के निस्तारण के अनुसार।

9	17.06.2022	श्रीमती प्रियंका अवस्थी, अध्यक्ष मानव सेवा संस्थान निवासी 719/29 निराला नगर, रायबरेली 8881294119	महायोजना-2031 के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव:- आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में तथा महायोजना रोड को आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में एवं स्टेशन रोड बाटा शू कम्पनी से सब्जी मण्डी रोड जाने वाली सड़क को जो 18मी0 दर्शाया गया है, को महायोजना 2031 में 12मी0 कर दिया जाये।	आपत्ति संख्या-5 (6) के निस्तारण के अनुसार
10	17.06.2022	श्री नागेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं विकास परिशद कार्यालय काम्पलेक्स चतुर्थ तल सेक्टर-9 वृन्दावन योजना लखनऊ। पत्र संख्या-612/आर-20/13 दिनांक 04.06.2022	जनपद रायबरेली तैयार की जा रही महायोजना 2031 में समावेशित किये जाने हेतु आवास एवं विकास परिशद, उ0प्र0 से सम्बन्धित प्रस्तावित योजना की सूचना के सम्बन्ध में। जनपद रायबरेली का वर्ष 2031 हेतु महायोजना प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें उ0प्र0 एवं विकास परिशद द्वारा जनपद रायबरेली में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, डिडौली प्रस्तावित है, जिसकी धारा-28 का प्रकाशन दिनांक 15.08.2009 को हो चुका है, जिसका कुल क्षेत्रफल 341.32 एकड़ है। प्रस्तावित योजना का मानचित्र संलग्न है।	सुझाव पर सम्यक विचार किया गया तथा पाया गया कि आवास विकास परिशद रायबरेली की भूमि विकास गृह स्थान योजना संख्या-3 डिडौली में प्रस्तावित है जिसका कुल क्षेत्रफल 341.32 एकड़ है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाये, आवासीय, व्यवसायिक एवं महायोजना मार्गों के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त महायोजना मार्गों को यथावत रखते हुए सामुदायिक सुविधाओं (संलग्न सम्पूर्ण सामुदायिक भू-उपयोग) व व्यवसायिक भू-उपयोग को महायोजना-2031 में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है।
11	20.06.2022	श्री जयदीप अग्निहोत्री 53/25 सुखदेव काम्पलेक्स सब्जी मण्डी, रोड रायबरेली 8840097068	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी0 निरस्त करने तथा उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि महायोजना-2021 में बाटा शू-कम्पनी से सब्जी मण्डी को जाने वाले मार्ग को 18.00 मी0 चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। चूंकि उक्त मार्ग

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature/initials.

निर्मित क्षेत्र में स्थित है। जिसे 18.00 मी० चौड़ा किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः समिति द्वारा विचारोंपरान्त जनहित में उक्त मार्ग को यथा स्थिति के अनुसार महायोजना-2031 में 12.00 मी० चौड़ा प्रस्तावित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।	आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।	आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।	आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थिति हुए समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया कि उक्त मार्ग महायोजना-2021 में 60 मी० चौड़े बाई पास के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी० निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी० निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी० निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी० निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	त्रिपुला चौराहे से शहर की तरफ चम्पादेवी पुल तक पूर्व महायोजना में अंकित 60मी० रोड के स्थान पर 20मी० एवं पटरी के दोनों तरफ व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।
फणीन्द अग्निहोत्री, सब्जी मण्डी रोड, रायबरेली 9450064886	श्री अशोक कुमार सचदेवा सब्जी मण्डी रोड, रायबरेली 7266854444	श्री बसन्त सिंह बग्गा आदि ग्रामीण उपाध्यक्ष/ जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल रायबरेली 9415034345	श्री आशुतोष कुमार मिश्रा आदि पुत्र श्री कृष्ण नारायण मिश्रा, मो० रायपुर पो० अहियापुर रायबरेली 6386606540	
20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	21.06.2022	
12	13	14	15	

16	22.06.2022	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह आदि मोहल्ला राना नगर कानपुर रोड रायबरेली 9415071323	महायोजना 2031 (प्रारूप) पर आपत्ति/सुझाव। अमरेशपुरी कालोनी (अनाधिकृत आवासीय) कानपुर रोड से बजरंग नगर तक सड़क के दोनों तरफ बाजार स्ट्रीट/गुदर आवासीय दर्ज करने हेतु।	आपत्तिकर्ता का विधिवत सुना गया तथा समिति द्वारा महायोजना-2021 में दर्शित अनाधिकृत आवासीय भू-उपयोग (अनाधिकृत आवासीय विकास वर्तमान भू-प्रयोग के आधार पर पृथक् श्रेणी में प्रदर्शित है, जो शासन की नीति के अनुसार नियमित किया जायेगा तब तक इन स्थलों का भू प्रयोग महायोजना-2001 के अनुसार ही मान्य होगा) को महायोजना-2031 में यथावत दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
17	22.06.2022	श्रीमती कलावती पाल, एडवोकेट सनासद वार्ड नं०-20, 151/20 विकास नगर, रायबरेली। 9454632396	वार्ड संख्या-20 के अन्तर्गत अमरेशपुरी कालोनी से कानपुर रोड पर बजरंग नगर तथा उसके आगे सड़क के दोनों ओर महायोजना-2031 में व्यावसायिक/बाजार स्ट्रीट किये जाने हेतु।	संस्तुति आपत्ति संख्या-16 के निस्तारण के अनुसार।
18	22.06.2022	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अंजनी कुनार सिंह, 1391/बी, गणेश नगर रायबरेली 8887617925	मोहल्ला गणेश नगर विकसित क्षेत्र है जहाँ समस्त सुविधायें जैसे-रोड, नाली, सीवर, बिजली, पानी सहित उपलब्ध है। जानकारी हुई है कि प्राधिकरण अभिलेखों में मोहल्ला गणेश नगर अनाधिकृत कालोनी में दर्ज है, जिस कारण से मेरे भवन का मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है कि प्राधिकरण की महायोजना-2031 तैयार की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है। अतः महोदया से अनुरोध है कि तैयार की जा रही महायोजना-2031 में मोहल्ला गणेश नगर को अनाधिकृत कालोनी से हटाये जाने का कष्ट करें।	आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा यह क्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद के सन्दर्भ में अनाधिकृत कालोनी के रूप में चिह्नित है। अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु शिथिलीकरण सम्बन्धी गाइड लाइन्स प्राप्त होने के पश्चात् ही इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर निर्माण की अनुमति तथा निर्मित भवनों के शमन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

19	23.06.2022	श्री हसीन खां खालिकुज्जमा खां निवासी कटरा नगर पंचायत मानिकपुर कुण्डा प्रतापगढ़ बमनपुर पदम प्रतापगढ़। 8355946147	रायबरेली विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 में भूएमऊ के गाटा संख्या-460, 462, 463, 518 को कृषि से आवासीय सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया कि प्रश्नगत स्थल महायोजना-2031 हेतु प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थिति है। उक्त स्थल का भू-उपयोग आवासीय किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है अतः समिति द्वारा उक्त स्थल का भू-उपयोग रायबरेली महायोजना-2031 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत रखे जाने की संस्तुति की जाती है। आपत्ति निरस्त की जाती है।
20	23.06.2022	श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी फिरोज गांधी कालोनी, रायबरेली। 955441600	रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली महायोजना-2031 में भूएमऊ के गाटा संख्या-524, 527, 530 को कृषि से आवासीय सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-19 के निस्तारण के अनुसार।
21	23.06.2022	श्री मो० ईमान पुत्र मतलूब अहमद निवासी सुलतानपुर गढ़ी मानिकपुर, बमनपुर पदम त० कुण्डा जिला प्रतापगढ़। 9451000848	रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली महायोजना-2031 में भूएमऊ के गाटा संख्या-519, 521, 464 को कृषि से आवासीय सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-19 के निस्तारण के अनुसार।
22	23.06.2022	श्री आजाद सिंह पुत्र जय करन सिंह निवासी 20/705, तीसरी गली, राना नगर, रायबरेली। 8299237156	रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली महायोजना-2031 में भूएमऊ के गाटा संख्या-447 को कृषि से आवासीय सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-19 के निस्तारण के अनुसार।
23	23.06.2022	मा. अदिति सिंह, विधायक-सदर रायबरेली कोतवाली रोड, तिलक भवन के सामने, रायबरेली।	विषय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि रायबरेली स्थित धुन्नी सिंह	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की 64वीं

9125249999	ना. अदिति सिंह, विधायक-सदर रायबरेली कोतवाली रोड, तिलक भवन के सामने, रायबरेली 9125249999	नगर का भू-उपयोग रायबरेली महायोजना-2021 में जलाशय दर्शाया गया है, जबकि राजरय अभिलेखों में एक छोटा सा तालाब अंकित है, जिसका क्षेत्रफल नगण्य है तथा धुन्नी सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल समतल और अन्य समीप वर्ती आवासीय क्षेत्र के समान है तथा वर्तमान में मौके पर कोई तालाब नहीं है। रायबरेली विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त कार्यसूची मद संख्या-06 की छाया प्रति संलग्न कर उपरोक्त विवरण में अंकित धुन्नी सिंह नगर का भू उपयोग समीपवर्ती आवासीय भू-उपयोग के अनुरूप रायबरेली महायोजना 2031 में आवासीय कराये जाने के सम्बन्ध में।	बैठक दिनांक 01.04.2013 के मद-संख्या-6 में प्रकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि राजरय अभिलेखों में दर्ज ग्राम अखितयारपुर की तालाब की खसरा संख्या-72 क्षेत्रफल 0.031 हे० भूमि को छोड़कर शेष का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दिग्ध किया जाये। तत्कम में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-07 / नियो0अनु0 / रा0वि0प्र0 / 2013-14 / 2013 दिनांक 09.04.2013 के माध्यम से शासन स्तर से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर निर्णय शासन स्तर से अपेक्षित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
24	23.06.2022	विषय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि रायबरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत कतिपय मुख्य मार्गों का भू-उपयोग रायबरेली महायोजना-2021 में आवासीय दर्शाया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त मार्गों पर अधिकांश क्षेत्रफल में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है, जिस कारण उक्त क्षेत्र के व्यवसायिक को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों का भू-उपयोग वहां की वर्तमान स्थिति के अनुसार रायबरेली महायोजना 2031 में व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।	आपत्तिकर्ता/सुझावकर्ता के सुझाव पर विधिवत विचार किया गया तथा समिति द्वारा जनहित में त्रिपुला चौराहे से प्रयागराज को जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ मुंशीगंज तक शासकीय समिति की संस्तुति के क्रम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन नियमानुसार बाजार स्ट्रीट दर्शाये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

25	24.06.2022	मा. अदिति सिंह, विधायक-सदर रायबरेली कोतवाली रोड, तिलक भवन के सामने, रायबरेली 9125249999	विशय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि स्थित सुभाष नगर कालोनी को रायबरेली महायोजना-2021 में क्षेत्रीय पार्क के अन्तर्गत दर्शाया गया है। वर्तमान में उक्त कालोनी में लगभग 1000 से अधिक भवन निर्मित/अर्द्धनिर्मित हो गये हैं और अन्य समीपवर्ती आवासीय क्षेत्रों के समान है तथा इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि इसके पूर्व में उक्त स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 05.12.2020 में सुभाष नगर कालोनी की भूउपयोग में परिवर्तन आवासीय करने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु सम्बन्धित पत्र संख्या-250/नियो0नु0/ विप्रा0रा0/2020-21 / 21 दिनांक 29.07.2021 संलग्न कर प्रस्तुत है।	समिति द्वारा आपत्ति/सुझावकर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि यह क्षेत्र महायोजना-2021 में पार्क (क्षेत्रीय पार्क) भू-उपयोग में प्रस्तावित है जिस कारण से महायोजना-2031 में उक्त स्थल का नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
26	24.06.2022	मा. अदिति सिंह, विधायक-सदर रायबरेली कोतवाली रोड, तिलक भवन के सामने, रायबरेली 9125249999	विशय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि स्थित शक्ति नगर, न्यू शक्ति नगर एवं अन्य समीपवर्ती मोहल्लों का भू-उपयोग आवासीय रूप से लिया जा रहा है। वर्तमान में उक्त कालोनियों में लगभग 2000-2500 से अधिक भवन निर्मित/अर्द्धनिर्मित है। अतः कृपया उपरोक्त विवरण में अंकित स्थल शक्ति नगर, न्यू शक्ति नगर कालोनियों का भू-उपयोग जनहित में समीपवर्ती आवासीय भू-उपयोग के अनुरूप रायबरेली महायोजना-2031 में आवासीय कराने के सम्बन्ध में।	आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा यह क्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद के सन्दर्भ में अनाधिकृत कालोनियों में विन्हित है। अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु शिथिलीकरण सम्बन्धी गाइड लाइन्स प्राप्त होने के पश्चात ही इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर निर्माण की अनुमति तथा निर्मित भवनों के शमन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

27	27.06.2022	श्री इन्द्रेक्ष विक्रम सिंह, सेमरी कोठी रायबरेली 9415118222	विषय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, अवगत कराना है कि रायबरेली महायोजना-2001 में सुपर मार्केट तथा उसके सराउडिंग क्षेत्र को नगर क्षेत्र (व्यवसायिक) भू-उपयोग दर्शाया गया था, जिसे रायबरेली महायोजना-2021 में समाप्त कर दिया गया, जबकि उक्त क्षेत्र में लगभग 100 वर्ष पूर्व से ही व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं तथा उसमें और भी वृद्धि हुई है। अतः अनुरोध कि महायोजना-2031 लागू होने से पूर्व प्रार्थी की सेमरी कोठी से आच्छादित सम्पूर्ण भूमि का भू-उपयोग प्रार्थी के स्वामित्व की सीमा तक व्यवसायिक क्षेत्र अथवा बाजार मार्ग घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।	आपत्ति संख्या- 5(1) के निस्तारण के अनुसार।
28	27.06.2022	श्री विजय प्रताप आदि सेमरी कोठी, रायबरेली, श्री राजकिशोर, श्री संजय कुमार 7310013753	विषय:- रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, अवगत कराना है कि रायबरेली महायोजना-2001 में सुपर मार्केट तथा उसके सराउडिंग क्षेत्र को नगर क्षेत्र (व्यवसायिक) भू-उपयोग दर्शाया गया था, जिसे रायबरेली महायोजना-2021 में समाप्त कर दिया गया, जबकि उक्त क्षेत्र में लगभग 100 वर्ष पूर्व से ही व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं तथा उसमें और भी वृद्धि हुई है। अतः हम लोगों का अनुरोध है कि महायोजना-2031 लागू होने से पूर्व सुपर मार्केट तथा उसके सराउडिंग के क्षेत्र के अस्पताल चौराहे तक सड़क के दोनों ओर, अस्पताल चौराहे से बस स्टेशन तक मार्ग पर दांयी ओर सुपर मार्केट से कैपगंज मार्केट तक दोनों ओर के क्षेत्र का भू-उपयोग तथा सुपर मार्केट से कचेहरी रोड पर हाथी पार्क तक दोनों ओर के क्षेत्र का भू-उपयोग भू-स्वामियों के स्वामित्व की सीमा तक की भूमि को जनहित में व्यवसायिक अथवा बाजार स्ट्रीट क्षेत्र घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।	आपत्ति संख्या- 5(1) के निस्तारण के अनुसार।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

29	28.06.2022	श्री अलोक कुमार दीक्षित सब्जी मण्डी रोड, रायबरेली 933558665	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी0 निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।
30	29.06.2022	श्री कन्हैयालाल सोनी कचेहरी रोड, रायबरेली। 9455540221	विषय:- महायोजना-2031 आमंत्रित आपत्तियां एवं सुझाव। 1. डिग्री कालेज चौराहा कचेहरी रोड हाथी पार्क अस्पताल चौराहा, सुपर मार्केट सड़क के दोनों ओर बाजार स्ट्रीट व्यवसायिक प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में। 2. हाथी पार्क चौराहा से मोहन नेत्र चिकित्सालय चन्दापुर कोठी, सुपर मार्केट, घंटाघर, सर्राफा मण्डी, कहारों का अड्डा सड़क दोनों ओर व्यवसायिक-बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में। 3. डिग्री कालेज चौराहा से कैनाल रोड कानपुर मार्ग राजघाट तक व्यवसायिक प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	(1) आपत्ति संख्या-1 के निस्तारण के अनुसार। (2) आपत्ति संख्या-1 के निस्तारण के अनुसार। (3) डिग्री कालेज चौराहा से कैनाल रोड कानपुर मार्ग के दोनों ओर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। जिसमें महायोजना-2031 में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन में व्यवसायिक किये गए आवश्यकतानुसार अनुमत्य/ सशर्त अनुमत्य के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
31	04.07.2022	श्री मनीश कुमार त्रिवेदी सब्जी मण्डी रोड, रायबरेली। 9795867469	रायबरेली नगर महायोजना सन 2031 में सब्जी मण्डी रोड की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई जनहित में 18मी0 निरस्त करने उसी सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर दिये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।
32	04.07.2022	डा0 मनीश मिश्रा कैनाल रोड, रायबरेली। 9717513345	सन्दर्भ:- कैनाल रोड भू उपयोग मास्ट प्लान के अन्तर्गत करने हेतु जनहित में निर्माकित सुझाव:- 1. रायबरेली स्थित कैनाल रोड शहर के व्यस्ततम इलाके में से है। 2. अवगत कराना है कि मास्टर प्लान जनपद में प्रस्तावित है। 3. कैनाल रोड में कई शिक्षण संस्थायें, कई बैंक, गड़ियों के शोरूम सहित सैकड़ों दुकानें, मार्केट, शापिंग माल आदि स्थित है। अतः इसे व्यावसायिक भू-उपयोग में शामिल करने का कष्ट करें।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया और पाया गया कि कैनाल रोड कानपुर मार्ग के दोनों ओर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। जिसमें महायोजना-2031 में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन में व्यवसायिक किये गए आवश्यकतानुसार अनुमत्य/ सशर्त अनुमत्य किया के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

33	04.07.2022	श्री मुकेश रस्तोगी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, रायबरेली प्रदेश संगठन मन्त्री। 9415954988	विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाल रोड का मू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आई0डी0बी0आई0बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थायें विशाल मेगामार्ट, मेगाशाप, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
34	04.07.2022	श्री सुनील कुमार, अमरेशपुरी कालोनी, रायबरेली। 8081266960	विषय: कैनाल रोड व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। कैनाल रोड पर वर्षों से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उक्त मार्ग पर कई माल, बैंक, स्कूल, नर्सिंग होम होटल, मोबाइल शोरूम, हास्पिटल, सैकड़ों दुकानें होने के कारण व्यवसायिक किया जाना अतिआवश्यक है। अतः महायोजना 2031 में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
35	04.07.2022	श्री सन्दीप जैन, जिला अध्यक्ष, श्री प्रवीण अग्रवाल नगर अध्यक्ष वैष्णव समाज रायबरेली। 9336002727	विषय:- महायोजना-2031 में संशोधन के सम्बन्ध में। रायबरेली महायोजना-2031 में सिविल लाइन चौराहे से मामा चौराहे तक स्थित मार्ग के दोनों तरफ लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से दुकानें निर्मित साथ ही वर्णित मार्ग पर बड़े-बड़े शोरूम तथा भैरिज हाल भी है। उक्त सन्दर्भ में विनम्र अनुरोध है कि रायबरेली महायोजना-2031 में सिविल लाइन चौराहे से मामा चौराहे के बीच स्थित क्षेत्र को व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट घोषित करने का कष्ट करें।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए और समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि सिविल लाईन चौराहे से मामा चौराहे तक मार्ग के दोनों तरफ व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं। अतः "शसकीय समिति की संसुति के क्रम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बाजार मार्ग उपयोग

प्रस्तावित महायोजना-2031 में दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।		<p>विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाल रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आई0डी0बी0आई0बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थाएँ विशाल मेगामार्ट, मेगाशाप, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।</p>	36
	<p>विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाल रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आई0डी0बी0आई0बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थाएँ विशाल मेगामार्ट, मेगाशाप, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को</p>	37		

महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।	महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
38	05.07.2022 श्री तबरेज अहमद खान, जमीर कम्पाउण्ड 9305597352	विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाला रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आई0डी0बी0आई0बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थायें विशाल मेगामार्ट, मेगाशाप, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।
39	05.07.2022 श्री शैलेश शुक्ला, एडवाकेट कैनाल रोड, 9628581716	विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाला रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 40 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आई0डी0बी0आई0बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थायें विशाल मेगामार्ट, मेगाशाप, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।

ह

७

७

७

७

40	05.07.2022	श्री कमलेश श्रीवास्तव, एडवोकेट सिविल कोर्ट 9455971998	जाये। विषय- महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। महायोजना-2021 में कैनाल रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक कराना समीचीन होगा, क्योंकि विगत 04 वर्षों से कैनाल रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उक्त सड़क पर भारतीय जीवन, बीमा निगम, पंजाब नेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, आईडीबीआई बैंक, न्यू इण्डिया इश्योरेस कम्पनी, श्रीराम फाइनेन्स, वोडाफोन क्षेत्रीय कार्यालय, हीरो हाण्डा शोरूम, नीलकण्ठ नर्सिंग होम, गीता शर्मा नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम, कई शिक्षण संस्थाएँ विशाल मेगामार्ट, मेगाशापथ, रिलायन्स ट्रेड, सिटी कार्ट एवं अन्य माल कैनाल रोड में संचालित हो रहे हैं। अतः कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किया जाये।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
41	06.07.2022	श्री महमूद गजनवी खां आदि कस्बा गिर्द नेवाह गढ़ी बजीरगंज निकट धुन्नी सिंह नगर, रायबरेली का स्वीकृत मानचित्रसंख्या-8152 7905388400	विषय: गाटा संख्या-515अ/0.1640हे0 गा0 सं0 517/0.0970हे0 में से 190 वर्गमी0 स्थित कस्बा गिर्द नेवाह गढ़ी बजीरगंज निकट धुन्नी सिंह नगर रायबरेली पर स्वीकृत मानचित्र संख्या-8152 दिनांक 03.09.2008 एवं एवं समीपवर्ती आवासीय भवनों को रायबरेली महायोजना-2031 में आवासीय दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयक मोहल्ला बजीरगंज/कस्बा गिर्द नेवाह निकट धुन्नी सिंह नगर महायोजना-2021 से पूर्व अधिक संख्या में भवनों की निर्मित एवं अर्धनिर्मित आवादी मौजूद थी। वर्तमान समय में लगभग ढाई तीन सौ भवनों की आबादी मौजूद है, जो गढ़ी बजीरगंज की आवासीय से मिली हुई है, जिस पर अधिक संख्या में नगर पालिका परिषद व विकास प्राधिकरण रायबरेली से स्वीकृति प्राप्त है जबकि उक्त क्षेत्र को महायोजना 2021 में खुले भाग (पार्क) हेतु दर्शाया गया है जोकि अनुचित है। अतः आपसे	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 01.04.2013 के मद-संख्या-6 में प्रकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्राम अखियारपुर की तालाब की खसरा संख्या-72 क्षेत्रफल 0.031 हे0 भूमि को छोड़कर शेष का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये। तत्कम में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-07/नियो0अनु0/

42	07.07.2022	श्री सतोश कुमार त्रिपुला चौराहा, रायबरेली 9026611192	अनुरोध है कि उक्त विषयगत क्षेत्र को रायबरेली महायोजना-2031 में समीपवर्ती आवासीय भू-उपयोग के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में। विषय: महायोजना 2031 में आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में। भूखण्ड संख्या-422अ किशुनपुर रामचन्द्र, त्रिपुला चौराहा महायोजना 2021 में उक्त भू-उपयोग आवासीय या व महायोजना 2031 में भी भू-उपयोग आवासीय दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि रतापुर चौराहा से त्रिपुला चौराहा के बीच में सभी निर्माण व्यवसायिक प्रवृत्ति के हैं। कृपया लखनऊ से प्रयागराज को जाने वाली रोड के दोनों तरफ व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट करने का कष्ट करें।	रा0वि0प्रा0/2013-14/2013 दिनांक 09.04.2013 के माध्यम से शासन स्तर से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर निर्णय शासन स्तर से अपेक्षित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है। आपत्ति संख्या-2 के निस्तारण के अनुसार।
43	07.07.2022	श्रीमी जरिना खातून पत्नी अख्तर जमा खां गाटा नं0-552ए गढी बजीरगंज/कस्बा गिर्द नेवाह ई-10 आर0डी0ए0 कालोनी इन्दिरा नगर रायबरेली 8858733101	विषय: रायबरेली महायोजना 2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, जहानाबाद पुलिस चौकी से तेलिया कोट होते हुए लखनऊ को जाने वाली सड़क से वजीरगंज गढी (कस्बा गिर्द नेवाह निकट धुन्नी सिंह नगर को जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर का क्षेत्र आवासीय उपयोग में है और अनेकों आवास विद्यमान है। वजीरगंज व उससे मिली हुई पूरी आबादी सैकड़ों वर्ष पुरानी है, परन्तु रायबरेली महायोजना 2021 में उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय नहीं अंकित है। उपरोक्त विवरण के कम में स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा विचारोपरान्त महायोजना-2021 में दिये गये भू-उपयोग को यथावत् रखने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

✓

✓

✓

✓

44	12.07.2022	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री हंसराज सिंह व अन्य निवासी बजरंग नगर, कानपुर रोड, रायबरेली। 9415740004	विषय: रायबरेली महायोजना 2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, प्रार्थी का भवन मोहल्ला बजरंग नगर कानपुर रोड रायबरेली में स्थित है। प्रार्थी के मोहल्ले में अधिकतम मकान बने हुए हैं। रायबरेली कानपुर रोड पर व्यवसायिक मकान उपयोग में लिए जा रहे हैं। प्रार्थी का मोहल्ला आपके प्लान हरित पट्टी/जोनल पार्क में दर्ज है, जिसके आवासीय एवं रोड मकान के मकानों को व्यवसायिक किया जाना आवश्यक है। बजरंग नगर मोहल्ले को हरित पट्टी से हटाकर आवासीय/व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-25 के निस्तारण के अनुसार।
45	11.07.2022. 12.07.2022	श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी हरि सुन्दर सिंह न्यूराना नगर/सुभाष नगर निकट लक्ष्मी लान, कानपुर रोड रायबरेली।	विषय: रायबरेली महायोजना 2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, मोहल्ला न्यू राना नगर/सुभाष नगर कानपुर रोड पर दोनों तरफ दुकान व आवासीय भवन बने हैं। हम लोगों के भवन के पास भू-उपयोग मास्टर प्लान 2021 में आवासीय अनाधिकृत/ग्रीन लैंड दर्ज है। मास्टर प्लान 2031 में अमरेशपुरी कालोनी कानपुर रोड से बजरंग नगर तक सड़क के दोनों तरफ आवासीय अनाधिकृत से बाजार स्ट्रीट या शुद्ध आवासीय दर्ज करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-25 के निस्तारण के अनुसार।
46	11.07.2022. 12.07.2022	श्री विजय बाजपेयी पुत्र संत कुमार बाजपेयी नि0 ग्राम सभा डिडौली, रायबरेली 9336110145	त्रिपुला चौराहे से महाराजगंज रोड पर काशीराम आवासीय योजना को जाने वाली सड़क तक बांयी तरफ की भूमि को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा विचारोपरान्त महायोजना-2021 में दिये गये भू-उपयोग को यथावत् प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
47	11.07.2022. 12.07.2022	श्री राम बिहारी मिश्रा आदि, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री नीरज मिश्रा, श्री अशोक जायसवाल। 9336533505	1. दीवानी कचेहरी चौराहे तक सड़क की ओर सड़क के बांयी तरफ नगर पालिका द्वारा बनवायी गयी 18 गुमटियों है, जिनका व्यवसायिक प्रयोग 50 वर्षों से हो रहा है। 2. राजकीय इण्टर कालेज के भवन एवं खेल मैदान जिलाधिकारी निवास के गेट तक है। 3. जिलाधिकारी निवास के गेट से अधिक अस्पताल की ओर नगर पालिका द्वारा बनवायी गयी 17 गुमटियों है, जिनका	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति की गयी:- 1. दीवानी कचेहरी चौराहे तक सड़क के बांये ओर नगर पालिका परिषद द्वारा बनायी गयी 18 गुमटियां 30मी. चौड़े महायोजना पर निर्मित है, जिस

		<p>व्यवसायिक प्रयोग लगभग 50 वर्षों से हो रहा है, के भू-उपयोग के सम्बन्ध में।</p> <p>4. अस्पताल चौराहे से दिवानी की ओर सड़क के दाहिनी तरफ रिफार्म क्लब है जिसका व्यवसायिक उपयोग पिछले 40 वर्षों से बारात घर के रूप में हो रहा है।</p> <p>5. रिफार्म क्लब के बाद 5 मी0 सड़क पर नाला है।</p> <p>6. नाले के बाद सेमरी कोठी है जिसका उपयोग आवासीय है एवं सड़क के सामने किताब की दुकानें एवं डा0 क्लीनिक है।</p> <p>7. सेमरी कोठी के बाद सेमरी छात्रावास और खेल का मैदान है।</p> <p>8. पुराने छात्रावास के आस-पास स्थित कार्यालय एवं स्कूल की स्थिति के संबंध में।</p> <p>9. मैदान के बाहर कुछ व्यवसायिक दुकानें दीवानी कचहरी तक बनी हुई हैं</p> <p>10. यह मार्ग सुपर मार्केट की परिधि में है और इसके चारों व्यावसायिक कार्य हो रहा है। अतः अस्पताल चौराहे से सेमरी कोठी तक इसे व्यावसायिक कर दिया जाय</p> <p>अतः अस्पताल चौराहे से सेमरी कोठी तक इसे व्यावसायिक कर दिया जाये एवं छात्रावास को संस्थागत विकास हेतु आरक्षित कर दिया जाये।</p>	<p>कारण से आपत्ति निरस्त की जाती है।</p> <p>2. क्रम संख्या-01 के अनुसार।</p> <p>3. क्रम संख्या-01 के अनुसार।</p> <p>4. रिफार्म क्लब के भू-उपयोग को व्यवसायिक किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>5. यह आपत्ति महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>6 से 09 तक- महायोजना-2021 में दर्शित भू-उपयोग को यथावत रखा जाये।</p> <p>10. आपत्ति संख्या-5(1) के निस्तारण के अनुसार।</p>
48	<p>श्री धर्मेन्द्र अधिकारी रायबरेली।</p> <p>कुमार, अपर मुख्य पंचायत जिला</p>	<p>विषय: रायबरेली महायोजना 2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, आर0डी0ए0 की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत कचेहरी रोड पर स्थित रफी अहमद किदवई पार्क के अन्दर उक्त पार्क की स्थापना के समय से कैन्टीन संचालित है हो रही है, परन्तु महायोजना-2021 में उक्त पार्क के अन्तर्गत कैन्टीन का कोई उल्लेख न होने के कारण कैन्टीन अनुरक्षण/पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः रायबरेली महायोजना 2031 में उक्त वर्णित पार्क के अन्तर्गत विद्यमान कैन्टीन समाहित करते हुए जनहित में उसका</p>	<p>समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि वर्तमान में मौके पर पार्क विकसित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।</p>

✓

✓

✓

✓

✓

भू-उपयोग व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।				समिति द्वारा आपत्तिकर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि सिविल लाइन चौराहे से गोरा बाजार चौराहे तक दोनों तरफ शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय की भूमि/भवन स्थित है। अतः महायोजना-2021 में दिये गये भू-उपयोग को यथावत् रखे जाने संस्तुति की जाती है। आपत्ति निरस्त की जाती है।
49	12.07.2022	श्री धर्मेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली।	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त वर्णित सड़क के सिविल लाइन के समीप जिला पंचायत काम्पलेक्स स्थलीय स्थिति के अनुसार जिला पंचायत के आवंटियों को भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
50	12.07.2022	श्री राम सिंह, विधायक, 249 पट्टी प्रतापगढ़। 8765954948	जनहित में कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
51	12.07.2022	श्री गोविन्द बहादुर सिंह एडवाकेट, एसोसिएशन उ0प्र0 सिविल कोर्ट रायबरेली पता-कैनालरोड, रायबरेली। 8081161617	महायोजना 2031 में कैनाल रोड का भू-उपयोग व्यवसायिक करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
52	12.07.2022	श्री राहुल गुप्ता, कैनाल रोड, रायबरेली। 7065715828	कैनाल रोड पर सभी प्रमुख बैंक, सभी प्रमुख बीमा कम्पनी आफिस, कई शिक्षण संस्थान, आठो मोबाइल शोरूम, टेलीकाम कम्पनियां काम्पलेक्स, माल संचालित हो रहे हैं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।

Dr. P. K. J.

✓

✓

21

53	12.07.2022	श्री कपिल कुमार कैनाल रोड, रायबरेली। 9670280903	कैनाल रोड पर सभी प्रमुख बैंक, सभी प्रमुख बीमा कम्पनी आफिस, कई शिक्षण संस्थान, आटो मोबाइल शोरूम, टेलीकाम कम्पनियां कामप्लेक्स, माल संचालित हो रहे हैं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कैनाल रोड को महायोजना 2031 में व्यवसायिक उपयोग में शामिल करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
54	12.07.2022	श्री वृजेन्द्र सिंह, चन्दापुर कोठी, निकट सुपर मार्केट कचेहरी रोड, रायबरेली। 6386025265	भू-उपयोग रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में प्रार्थी की भूमि का भू-उपयोग रायबरेली महायोजना-2001 के अनुरूप सामान्य व्यवसायिक में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-05 (1) के निस्तारण के अनुसार।
55	12.07.2022	श्री प्रदीप अग्रवाल, बंसल मोटर्स अपोजिट टिकारी हाउस, सिविल लाइन रायबरेली। 9454704411	सिविल लाइन चौराहे से मामा चौराहे तक प्रस्तावित 60 मी0 मुख्य मार्ग की चौड़ाई 36मी0 ही रखते हुए उक्त क्षेत्र को आवासीय से व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-35 के निस्तारण के अनुसार।
56	12.07.2022	श्री विनय कुमार द्विवेदी आदि न्यू राना रायबरेली। 9415034344	ग्राम घूरापट्टी (न्यू राना), रायबरेली से कानपुर को जाने वाली सड़क के बायीं ओर जे0पी0एस0 स्कूल के आस-पास का भू-उपयोग स्थलीय स्थिति के अनुसार जनहित में हरित-पट्टी से आवासीय/व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया तथा पाया कि प्रश्नगत स्थल महायोजना-2021 में पार्क (क्षेत्रीय पार्क) भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है जिसको नियमानुसार महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
57	12.07.2022	श्री उमेश कुमार मिश्रा आदि, सुभाष नगर, रायबरेली, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव। 9451250504	ग्राम घूरापट्टी (न्यू राना), रायबरेली से कानपुर को जाने वाली सड़क के बायीं ओर जे0पी0एस0 स्कूल के आस-पास का भू-उपयोग स्थलीय स्थिति के अनुसार जनहित में आवासीय/व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-56 के निस्तारण के अनुसार।
58	12.07.2022	श्री काजल चन्दनानी नारायण नगर रायबरेली	महायोजना-2031 में गौरा बाजार से झूलाल मन्दिर मार्ग के दोनों तरफ की दुकान को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि प्रश्नगत रोड के दोनों तरफ

Dr. H. K.

✓

✓

✓

59	12.07.2022	श्री नीतेश त्रिवेदी रायबरेली। 9140125643	<p>01. महायोजना 2001 में बेलीगंज, सुपर मार्केट, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, कैपरगंज, मिलन सिनेमा रोड, मुख्य व्यावसायिक केंद्र भू उपयोग दर्शित था, महायोजना 2021 में इसको हटा दिया गया जिस पर मण्डल घोर आपत्ति दर्ज करता है उपरोक्त क्षेत्र पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र रहना चाहिए।</p> <p>02. फायर बिग्रेड के सामने से डिग्री कालेज चौराहा से हाथी पार्क, यूनिजन बैंक चौराहा, खालसा चौराहा को जाने वाले रोड पर लगभग 50 साल से व्यावसायिक भवन है और इसी रोड पर रायबरेली के सबसे बड़े काम्प्लेक्स बने हैं। अतः इस रोड को महायोजना-2031 में पूर्णरूप से व्यावसायिक होना चाहिए।</p> <p>03. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महायोजना-2021 में अनाधिकृत आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है जबकि मौके पर इन क्षेत्रों के अधिकांश भाग में आवासीय निर्माण हो चुके है, क्योंकि आवासीय निर्माण हो चुके है इसलिये इन क्षेत्रों को आवासीय उपयोग महायोजना-2031 में दर्शा दिया जाय।</p> <p>04. राजघाट के पुल से अमरीशपुरी कालोनी तक का पूरा रोड में व्यावसायिक काम्प्लेक्स और स्कूटर मोटर साइकिल के शो-रूम बने हैं अतः उस रोड को महायोजना-2031 में पूर्ण रूप से व्यावसायिक होना चाहिए।</p> <p>05. स्टेशन रोड बाटा शू कम्पनी से सब्जी मण्डी जाने वाली सड़क महायोजना-2021 में 18मी0 दर्शाया गया है जबकि वर्तमान में 12मी0 सड़क है और इसको 18मी0 किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महायोजना 2031 में इस सड़क को 12मी0 कर दिया जाये।</p>	<p>आवासीय निर्माणों का प्रतिशत अधिक होने के कारण व्यावसायिक क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।</p> <p>समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति की जाती है:-</p> <p>1. आपत्ति संख्या-5(1) के निस्तारण के अनुसार।</p> <p>2. महायोजना-2021 में डिग्री कालेज चौराहे से कचेहरी रोड तक दोनों ओर बाजार मार्ग दर्शित है, जिस कारण से प्रस्तावित महायोजना-2031 में व्यावसायिक भू-उपयोग नहीं दर्शाया जा सकता है।</p> <p>3. आपत्ति संख्या-05(03) के निस्तारण के अनुसार।</p> <p>4. आपत्ति संख्या-17 के निस्तारण के अनुसार।</p> <p>5. आपत्ति संख्या-11 के निस्तारण के अनुसार।</p>
60	12.07.2022	श्री राघवेंद्र सिंह, सेक्यूरिटी सुपरवाइजर रायबरेली। 9450071034	<p>01. महायोजना 2001 में बेलीगंज, सुपर मार्केट, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, कैपरगंज, मिलन सिनेमा रोड, मुख्य व्यावसायिक केंद्र भू उपयोग दर्शित था, महायोजना 2021 में इसको हटा दिया गया जिस पर मण्डल घोर आपत्ति दर्ज करता है उपरोक्त क्षेत्र पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र रहना चाहिए।</p>	<p>आपत्ति संख्या-59 के निस्तारण के अनुसार।</p>

दर्ज करता है उपरोक्त क्षेत्र पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र रहना चाहिए।	02. फायर बिग्रेड के सामने से डिग्री कालेज चौराहा से हाथी पार्क, यूनियन बैंक चौराहा, खालसा चौराहा को जाने वाले रोड पर लगभग 50 साल से व्यवसायिक भवन है और इसी रोड पर रायबरेली के सबसे बड़े काम्प्लेक्स बने हैं। अतः इस रोड को महायोजना-2031 में पूर्णरूप से व्यवसायिक होना चाहिए।	03. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महायोजना-2021 में अनाधिकृत आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है जबकि मौके पर इन क्षेत्रों के अधिकांश भाग में आवासीय निर्माण हो चुके हैं, क्योंकि आवासीय निर्माण हो चुके हैं इसलिये इन क्षेत्रों को आवासीय उपयोग महायोजना-2031 में दर्शा दिया जाय।	04. राजघाट के पुल से अमरीशपुरी कालोनी तक का पूरा रोड में व्यवसायिक काम्प्लेक्स और स्कूटर मोटर साइकिल के शोरूम बने हैं अतः उस रोड को महायोजना-2031 में पूर्ण रूप से व्यवसायिक होना चाहिए।	5. स्टेशन रोड बांटा शू कम्पनी से सब्जी मण्डी जाने वाली सड़क महायोजना-2021 में 18मी0 दर्शाया गया है जबकि वर्तमान में 12मी0 सड़क है और इसको 18मी0 किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महायोजना 2031 में इस सड़क को 12मी0 कर दिया जाये।	अपत्ति संख्या-59 के निस्तारण के अनुसार।
श्री मयंक गुप्ता, पैटालून्स शोरूम रायबरेली। 9616185554	12.07.2022	61	01. महायोजना 2001 में बेलीगंज, सुपर मार्केट, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, कैपरगंज, मिलन सिनेमा रोड, मुख्य व्यावसायिक केन्द्र, भू उपयोग दर्शित था, महायोजना 2021 में इसको हटा दिया गया जिस पर मण्डल घोर आपत्ति दर्ज करता है उपरोक्त क्षेत्र पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र रहना चाहिए।		
			02. फायर बिग्रेड के सामने से डिग्री कालेज चौराहा से हाथी पार्क, यूनियन बैंक चौराहा, खालसा चौराहा को जाने वाले रोड पर लगभग 50 साल से व्यवसायिक भवन है और इसी रोड पर रायबरेली के सबसे बड़े काम्प्लेक्स बने हैं। अतः इस रोड को महायोजना-2031 में पूर्णरूप से		

62	12.07.2022	श्री म० तालिब 8081840739	<p>व्यवसायिक होना चाहिए।</p> <p>03. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महायोजना-2021 में अनाधिकृत आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है जबकि मौके पर इन क्षेत्रों के अधिकांश भाग में आवासीय निर्माण हो चुके हैं, क्योंकि आवासीय निर्माण हो चुके हैं इसलिये इन क्षेत्रों को आवासीय उपयोग महायोजना-2031 में दर्शा दिया जाय।</p> <p>04. राजघाट के पुल से अमरीशपुरी कालोनी तक का पूरा रोड में व्यवसायिक काम्लेक्स और स्कूटर मोटर साइकिल के शो-रूम बने हैं अतः उस रोड को महायोजना-2031 में पूर्ण रूप से व्यवसायिक होना चाहिए।</p> <p>05. स्टेशन रोड बाटा शू कम्पनी से सब्जी मण्डी जाने वाली सड़क महायोजना-2021 में 18मी0 दर्शाया गया है जबकि वर्तमान में 12मी0 सड़क है और इसको 18मी0 किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महायोजना 2031 में इस सड़क को 12मी0 कर दिया जाये।</p>	आपत्ति संख्या-59 के निस्तारण के अनुसार।
			<p>01. महायोजना 2001 में बेलीगंज, सुपर मार्केट, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, कैपरागंज, मिलन सिनेमा रोड, मुख्य व्यावसायिक केन्द्र भू उपयोग दर्शित था, महायोजना 2021 में इसको हटा दिया गया जिस पर मण्डल घोर आपत्ति दर्ज करता है उपरोक्त क्षेत्र पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र रहना चाहिए।</p> <p>02. फायर बिग्रेड के सामने से डिग्री कालेज चौराहा से हाथी पार्क, यूनियन बैंक चौराहा, खालसा चौराहा को जाने वाले रोड पर लगभग 50 साल से व्यवसायिक भवन हैं और इसी रोड पर रायबरेली के सबसे बड़े काम्लेक्स बने हैं। अतः इस रोड को महायोजना-2031 में पूर्णरूप से व्यवसायिक होना चाहिए।</p> <p>03. नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महायोजना-2021 में अनाधिकृत आवासीय भू-उपयोग दर्शाया गया है जबकि मौके पर इन क्षेत्रों के अधिकांश भाग में आवासीय निर्माण हो चुके हैं, क्योंकि आवासीय निर्माण हो चुके हैं इसलिये इन क्षेत्रों को आवासीय उपयोग महायोजना-2031 में दर्शा दिया जाय।</p> <p>04. राजघाट के पुल से अमरीशपुरी कालोनी तक का पूरा रोड</p>	

✓

✓

✓

✓

63	13.07.2022	श्री धनजय प्रताप, त्रिपुला चौराहा, रायबरेली। 9919526551	<p>में व्यवसायिक कामलेक्स और स्कूटर मोटर साइकिल के शो-रूम बने हैं अतः उस रोड को महायोजना-2031 में पूर्ण रूप से व्यवसायिक होना चाहिए।</p> <p>05. स्टेशन रोड बाटा शू कम्पनी से सब्जी मण्डी जाने वाली सड़क महायोजना-2021 में 18मी0 दर्शाया गया है जबकि वर्तमान में 12मी0 सड़क है और इसको 18मी0 किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महायोजना 2031 में इस सड़क को 12मी0 कर दिया जाये।</p>	समिति के समक्ष आपत्तिकता उपस्थित हुए तथा समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि रत्तापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे एवं सारस होटल तिराहे से मामा चौराहे तक व्यवसायिक गतिविधियां होने के कारण उक्त मार्गों पर शासकीय समिति द्वारा की गयी संस्तुति के कम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बाजार मार्ग प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है।
64	13.07.2022	श्री देवानन्द दीक्षित 65/3, जगदीशपुरम, लखनऊ-इलाहाबाद रोड, रायबरेली। 9452282766	<p>रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रत्तापुर चौराहे तक रत्तापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
65	13.07.2022	श्री जियास तिवारी, बजरंगज नगर, त्रिपुला रायबरेली। 8755677824	<p>रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रत्तापुर चौराहे तक रत्तापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार</p>	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।

✓

✍

✍

			स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
66	13.07.2022	श्री राज कुमार सिंह, चौहान ट्रेडर्स, त्रिपुरा चौराहा रायबरेली। 9918385200	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुरा चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	
67	13.07.2022	श्रीमती आर्णिमा श्रीवास्तव, सुभाष नगर, रायबरेली। 9415967243	मो0 सुभाष नगर के गाटा संख्या-178 को आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया तथा पाया गया कि प्रश्नगत स्थल महायोजना-2021 में पार्क (क्षेत्रीय पार्क) भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है जिसको नियमानुसार महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
68	13.07.2022	श्री जीवन प्रताप सिंह, त्रिपुरा चौराहा, रायबरेली। 7565881321	मो0 सुभाष नगर के गाटा संख्या-178 को आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
69	13.07.2022	श्री दीन बन्धु गुप्ता त्रिपुरा रायबरेली। 7380758891	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुरा चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
70	13.07.2022	श्री बृजबावन सिंह, त्रिपुरा चौराहा, रायबरेली। 9792502277	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुरा चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।

✓

✓

✓

71	13.07.2022	श्री वीरेन्द्र सिंह बजरंग नगर, त्रिपुला चौराहा, 9451437699	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
72	13.07.2022	श्री सर्वेश गुप्ता त्रिपुला चौराहा, रायबरेली 8765478704	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
73	13.07.2022	श्री लालू श्रीवास्तव, त्रिपुला चौराहा रायबरेली। 7007464056	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
74	13.07.2022	श्री शशाक पाण्डेय, त्रिपुला चौराहा रायबरेली। 7275304849	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
75	13.07.2022	श्री सुधांशु मिश्रा, त्रिपुला चौराहा, रायबरेली। 7905044772	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) में उक्त त्रिपुला चौराहे से रतापुर चौराहे तक रतापुर चौराहे से सारस होटल तिराहे तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।

✓

6

6

6

76	13.07.2022	श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, कानपुर रोड, रायबरेली। 7839306435	ग्राम किथुनपुर रामचन्द्र में गाटा संख्या-49, 50, 55 की जमीन कय की गयी है। प्रार्थी उस जमीन पर एक ऐसी सार्वजनिक संस्था (शान्ती गुरुकुल), जिसके अन्तर्गत इन्टर कालेज, उच्चतम शिक्षा उच्च स्तर के खेलकूद नैतिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी किया कलापों हेतु महायोजना-2031 में उस जमीन का भू-उपयोग आवासीय एवं संस्थागत करने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि रायबरेली महायोजना-2031 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग पार्क (मनोरंजनात्मक) भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः पार्क (मनोरंजनात्मक) भू-उपयोग को नियमानुसार रायबरेली महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। आपत्ति निरस्त की जाती है।
77	13.07.2022	श्री राजेश बहादुर सिंह आदि, डिडौली रायबरेली। 9336001694	महायोजना-2031(प्रारूप) में त्रिपुला चौराहे से लखनऊ की ओर डिडौली पुल तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक की गहराई में सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें सम्बन्धी भू-उपयोग अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि महायोजना-2031 में उक्त मार्ग पर आवश्यकतानुसार सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
78	13.07.2022	श्री मुसव्वर हुसैन, सुभाष नगर रायबरेली। 6306901165	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाष नगर की गाटा संख्या-171 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय घोषित करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
79	13.07.2022	श्री प्रवीण मिश्रा, सुभाष नगर, रायबरेली। 9415742432	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाष नगर की गाटा संख्या-169 को आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
80	13.07.2022	श्रीमती प्रीती त्रिवेदी, सुभाष नगर, रायबरेली। 8299353523	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाष नगर की गाटा संख्या-41 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।

81	13.07.2022	श्री दिलीप तिवारी, सुभाश नगर। 8299264565	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-290 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
82	13.07.2022	श्रीमती माधुरी देवी, सुभाश नगर, रायबरेली। 8795122228	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-174 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
83	13.07.2022	श्रीमती ललिता देवी, सुभाश नगर, रायबरेली। 7388126777	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-295 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
84	13.07.2022	श्री दिनेश त्रिवेदी, सुभाश नगर रायबरेली। 9648151974	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-302 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
85	13.07.2022	श्री मनीश कुमार आदि सुभाश नगर, रायबरेली। 8299353523	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-177 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
86	13.07.2022	श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव आदि सुभाश नगर, रायबरेली। 9451764499	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-175 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
87	13.07.2022	श्री ज्ञान बहादुर सिंह, श्री मो0 अफजाल आदि 9451458790	महायोजना-2031(प्रारूप) में चकबहादपुर-मोहल्ला सुभाश नगर की गाटा संख्या-179 में आवासीय भूखण्ड का भू-उपयोग जनहित में आवासीय करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
88	13.07.2022	श्री ई0 फैज खान, कैनाल रोड, रायबरेली। 7651919950	सन्दर्भ:- कैनाल रोड भू उपयोग मास्ट प्लान के अन्तर्गत करने हेतु जनहित में निर्मांकित सुझाव:- 1. रायबरेली स्थित कैनाल रोड शहर के व्यस्ततम इलाके में से है। 2. अवगत करना है कि मास्टर प्लान जनपद में प्रस्तावित है। 3. कैनाल रोड में कई शिक्षण संस्थाएँ, कई बैंक, गड़ियों के शोरूम सहित सैकड़ों दुकानें, मार्केट, शापिंग माल आदि स्थित है। अतः इसे	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।

✓

✓

✓

✓

✓

			व्यावसायिक भू-उपयोग में शामिल करने का कष्ट करें।	
89	13.07.2022	श्री मो० इशितयाक, निवासी 435 आस्तीक नगर बरईपुर रतापुर, रायबरेली। 9415744513	ग्राम चकबहादुरपुर स्थित भूमि गाटा संख्या-41क/410.1500 को बकदर भाग में से 413.85 वर्गमी० जरिये बैनामा कय की गयी आवासीय भूमि को महायोजना में दर्शित ग्रीन लैण्ड से हटाकर आवासीय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
90	13.07.2022	श्री मो० गुफरान मोन०-435 आस्तीक नगर, बरईपुर रायबरेली 8299384654	ग्राम चकबहादुरपुर स्थित भूमि गाटा संख्या-41क के रकबा-126.69 वर्गमी० भूमि को महायोजना में दर्शित ग्रीन लैण्ड से हटाकर आवासीय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
91	13.07.2022	श्री बिन्दा प्रसाद द्विवेदी राना नगर, रायबरेली। 9451416512	चक बहादुरपुर को ग्रीन लैण्ड/पार्क में प्रदर्शित है, जिसे आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-67 के निस्तारण के अनुसार।
92	13.07.2022	श्री मनोज सिंह एवं राजेश सिंह, 3 अविनाश मार्ग, रायबरेली। 9415034080	रायबरेली महायोजना-2031 में गाटा संख्या-23 एवं 27 (नान जेडए) अहमदपुर नजूल रायबरेली को माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 23.09.1991 के अनुसार आवासीय से व्यवसायिक में संशोधित कर महायोजना-2031 में अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा पाया गया कि उ०प्र० प्रदेश शासन आवास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-2514 /9-आ - 3-91-14 एल्यूमीनी- 90 लखनऊ सितम्बर, 23, 1991 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से अहमदपुर नजूल के खसरा संख्या-23 एवं 27 (नानजेडए) का भू-उपयोग महायोजना- 2001 में आवासीय से व्यवसायिक के अन्तर्गत परिवर्तित करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी, परन्तु महायोजना-2021 में उक्त के अनुपालन में व्यवसायिक उपयोग नहीं दर्शाया गया। अतः उक्त अधिसूचना के कम में प्राधिकरण द्वारा

✓

0

✓

✓

✓

93	13.07.2022	मा. श्री अदिति सिंह, विधायक सादर रायबरेली। 9125249999	रायबरेली महायोजना-2031 के अन्तर्गत जनहित में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 24 अनाधिकृत आवासीय कालोनियों को आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व अन्य शुल्क के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त ही भू-उपयोग दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया। यह क्षेत्र मा10 उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद के संदर्भ में अनाधिकृत कालोनी के रूप में चिन्हित है। अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु शिथिलीकरण सम्बन्धी गाइड लाइन्स प्राप्त होने के पश्चात् ही इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर निर्माण की अनुमति तथा निर्मित भवनों के शमन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है। आपत्ति निरस्त की जाती है।
94	13.07.2022	मा. श्री अदिति सिंह, विधायक सादर रायबरेली। 9125249999	रायबरेली महायोजना-2031 के अन्तर्गत जनहित में मल्टी लेबल पार्किंग के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) प्रतिवेदन में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन में सभी भू-उपयोग में पार्किंग स्थल अनुमन्य किया के अन्तर्गत प्रस्तावित है। आपत्ति निरस्त की जाती है।
95	13.07.2022	श्री योगेन्द्र सेन गुप्ता, प्रगतिपुरम रायबरेली। 9451130297	रतापुर चौराहे के सड़क के चारों ओर व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किये जाने एवं 1000 वर्गफिट से 2000 वर्गफिट के भूमि पर बनाये जाने वाले मकानों का निर्मित एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया। रतापुर चौराहे के चारों ओर व्यवसायिक क्षेत्र दर्शाया जाना सम्भव नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

96	13.07.2022	श्री विजय सिंह, मिल एरिया थाना के पीछे रायबरेली। 7800860000	रतापुर चौराहे के आस-पास व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-95 के निस्तारण के अनुसार।
97	13.07.2022	श्री विकास चौहान, रतापुर इन्डस्ट्रियल एरिया रायबरेली। 9598844888	रतापुर से त्रिपुला तक की सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-95 के निस्तारण के अनुसार।
98	13.07.2022	सै0 हसन महमूद नकवी, अध्यक्ष, एशियन सोसाइटी आफ हेल्थ एजुकेशनल एण्ड बेलफेयर रायबरेली। 7007415628	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सन्दर्भ में स्थित कस्बा गिर्द नेवाह के गाटा संख्या-572, 569, 564, 568 व 5568, 568 व 570, 574 एवं 573 क्षेत्रफल 6550 वर्गमी0 है, जिसको आवासीय क्षेत्र दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2003 से यह क्षेत्र एशियन सोसाइटी आफ हेल्थ एजुकेशनल एण्ड बेलफेयर के अन्तर्गत एम0ए0एम0 पब्लिक स्कूल संचालित रहा। तदुपरान्त विद्यालय डी0ए0पी0एस0 में परिवर्तित हो गया, जिसकी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, रायबरेली से मान्य प्राप्त है (मान्यता कोड-433) ये शिक्षा संस्थान सरकारी मानकों के अनुरूप संचालित है। उपरोक्त विवरण में अंकित स्थल का का महायोजना 2031 (प्रारूप) में शिक्षण संस्थान के रूप में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 01.04.2013 के मद-संख्या-6 में प्रकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्राम अख्तियारपुर की तालाब की खसरा संख्या-72 क्षेत्रफल 0.031 हे0 भूमि को छोड़कर शेष का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये। तत्क्रम में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-07 / नियो0अनु0 / रा0वि0प्रा0 / 2013-14 / 2013 दिनांक 09.04.2013 के माध्यम से शासन स्तर से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर निर्णय शासन स्तर से अपेक्षित है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
99	13.07.2022	प्रबन्धक, दारुल अरकम पब्लिक स्कूल रायबरेली सै0 सुहेल हसन 9336009823	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति / सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।

100	13.07.2022	श्री जिया अहमद नकवी, वजीरगंज, 8787209367	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
101	13.07.2022	श्रीमती नीदा राशि, स्वराज नगर, गुलाब रोड रायबरेली। 8874532246	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
102	13.07.2022	श्री फारुक अहमद, वजीर गंज, रायबरेली। 9696270280	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
103	13.07.2022	श्रीमती शमसिया बानो नकवी, वजीरगंज रायबरेली। 9889212659	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
104	13.07.2022	श्री इब्राहीम नकवी, वजीरगंज रायबरेली 8601962762	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
105	13.07.2022	श्री मो0 तारिक, वजीरगंज तेलिया कोट रायबरेली। 8765316442	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
106	13.07.2022	श्री मो0 अर्शद, गुलाब रोड रायबरेली। 9452517015	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
107	13.07.2022	श्री मो0 उमैर फरीदी, वजीरगंज रायबरेली। 8081232833	आपत्ति संख्या-98 में उल्लिखित आपत्ति/सुझाव के अनुसार	आपत्ति संख्या-98 के निस्तारण के अनुसार।
108	13.07.2022	श्री राजेश कुमार आदि, बरगद चौराहा रायबरेली। 9415034207	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में सिविल लाइन चौराहे से बरगद चौराहे हेतु हुए मामा चौराहे तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक की गहराई में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग में अंकित कये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-35 के निस्तारण के अनुसार।
109	13.07.2022	श्री विजय रस्तोगी, व अन्य बरगद चौराहा, रायबरेली। 9415117333	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में सिविल लाइन चौराहे से बरगद चौराहे हेतु हुए मामा चौराहे तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक की गहराई में	आपत्ति संख्या-35 के निस्तारण के अनुसार।

110	13.07.2022	श्री आशतोश यादव, ग्राम रतापुर रायबरेली। 9026264688	व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में मुंशीगंज स्थित हेमकुण्ड पब्लिक स्कूल के सामने से प्रारम्भ हुए बाईपास मार्ग जो सलोन प्रतापगढ़ रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा की गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा पाया गया कि लखनऊ-प्रयागराज मार्ग से मुंशीगंज के पीछे बाईपास मार्ग (प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज को जाने वाली 60 मी0 चौड़े बाईपास मार्ग) पर व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं। अतः समिति द्वारा सड़क के दांयी ओर शासकीय समिति के कम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बाजार मार्ग प्रस्तावित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।
111	13.07.2022	श्री आशीश कुमार, मुंशीगंज रायबरेली। 9415070916	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में मुंशीगंज स्थित हेमकुण्ड पब्लिक स्कूल के सामने से प्रारम्भ हुए बाईपास मार्ग जो सलोन प्रतापगढ़ रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा की गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) में मुंशीगंज स्थित हेमकुण्ड पब्लिक स्कूल के सामने से प्रारम्भ हुए बाईपास मार्ग जो सलोन प्रतापगढ़ रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को भू-स्वामियों की भूमि की सीमा की गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-110 के निस्तारण के अनुसार।
112	13.07.2022	श्री अमर नाथ, मुंशीगंज रायबरेली 9026436785	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक् विचार किया गया कि प्रश्नगत मार्ग पर महायोजना-2031 में आवश्यकतानुसार व्यवसायिक प्रस्ताव किया गया है। समिति द्वारा रायबरेली महायोजना-2031 में दिये गये प्रस्ताव को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।	

113	13.07.2022	श्री गणेश प्रसाद, मुशीगंज, रायबरेली। 9450838760	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-112 के निस्तारण के अनुसार।
114	13.07.2022	श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी, मुशीगंज दरियापुर, रायबरेली। 9415877667	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-112 के निस्तारण के अनुसार।
115	13.07.2022	श्री प्रमेन्द्र कुमार तिवारी, दरियापुर रायबरेली। 7521808316	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-112 के निस्तारण के अनुसार।
116	13.07.2022	श्री ओम प्रकाश, मुशीगंज रायबरेली। 9161125529	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-112 के निस्तारण के अनुसार।
117	13.07.2022	श्री लाल बहादुर मुशीगंज, रायबरेली। 8423510266	प्रतापगढ़ रोड कोस करके आगे प्रयागराज रोड तक सड़क के दोनों ओर के भाग को व्यवसायिक क्षेत्र भू-उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-112 के निस्तारण के अनुसार।
118	13.07.2022	श्री तारिक इकबाल, खोया मण्डी, रायबरेली। 9919271877	खोया मण्डी रोड भू-उपयोग मास्टर प्लान के अन्तर्गत व्यवसायिक करने हेतु।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।
119	13.07.2022	श्री तारिक इकबाल, खोया मण्डी, रायबरेली। 9919271877	खोया मण्डी रोड जो कि 70-80 वर्षों से व्यवसायिक उपयोग में है, को जनहित महायोजना-2031 में व्यवसायिक भू-उपयोग में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-118 के निस्तारण के अनुसार।
120	13.07.2022	श्री सुधीर जायसवाल, श्री दुर्गेश जायसवाल 829905881 9450209415	लखनऊ-प्रयागराज रोड को डिडौली से त्रिपुला चौराहे तक दोनों तरफ महायोजना-2031 में व्यवसायिक घोषित करने के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया और पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग पर

121	13.07.2022	डा० अमिताभ पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवाजन सभा समाजवादी पार्टी, उ०प्र० 9415177371	रायबरेली महायोजना-2031 में त्रिपुला चौराहे से रतापुर होते हुए सिविल लाइन की ओर जाने वाली सड़क पर अमरेशपुरी कालानी से आगे राना नगर होते हुए रायबरेली से कानपुर को जाने वाली सड़क के बायीं ओर सुभाष नगर व उसके आगे तक भू-उपयोग स्थलीय स्थिति के अनुसार जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराने के सम्बन्ध में।	महायोजना-2031 में आवश्यकतानुसार व्यवसायिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। जिसे यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।
122	13.07.2022	डा० अमिताभ पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवाजन सभा समाजवादी पार्टी, उ०प्र० 9415177371	महायोजना-2031 में मुख्य मार्गों कैनाल रोड, जेल रोड, कचेहरी रोड, जहानाबाद चौकी से तिलिया कोट होते हुए त्रिपुला चौराहे तक त्रिपुला चौराहा से रतापुर होते हुए सारस होटल तिराहे तक जेल गार्डन मलिकमऊ रोड तक बेलीगंज का आन्तरिक क्षेत्र घटांघर से स्टेशन रोड होते हुए ईदगाह तक, ईदगाह से रतापुर चौराहे तक मुशीगंज में पुरानी रोड पर इलाहाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर डलमऊ रोड पर एम्स तक बस स्टेशन चौराहे से लालगंज रोड होते हुए बाजार स्ट्रीट करते हुए भू-उपयोग महायोजना-2031 में व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।
123	13.07.2022	डा० अमिताभ पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवाजन सभा समाजवादी पार्टी, उ०प्र० 9415177371	रायबरेली महायोजना-2031 में त्रिपुला चौराहे से रतापुर होते हुए सिविल लाइन की ओर जाने वाली सड़क पर अमरेशपुरी कालानी से आगे राना नगर होते हुए रायबरेली से कानपुर को जाने वाली सड़क के बायीं ओर सुभाष नगर व उसके आगे तक भू-उपयोग स्थलीय स्थिति के अनुसार जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।
124	13.07.2022	मा. मनोज कुमार पाण्डेय, विधायक उंचाहार रायबरेली मुख्य सचेतक विधान मण्डल दल 0535-3560663	रायबरेली महायोजना-2031 में वर्णित सड़क सिविल लाइन चौराहे से गन्दा नाला नगर पालिका सीमा तक दोनों ओर स्थानीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामी की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-63 के निस्तारण के अनुसार।

125	13.07.2022	मा. मनोज कुमार पाण्डेय, विधायक ऊँचाहार रायबरेली मुख्य सचेतक विधान मण्डल दल 0535- 3560663	सम्बन्ध में। रायबरेली महायोजना-2031 में वर्णित सड़क सिविल लाइन चौराहे से गन्दा नाला नगर पालिका सीमा तक दोनों ओर स्थानीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामी की भूमि की सीमा तक भू-उपयोग जनहित में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।
126	13.07.2022	श्री दशरथ चौधरी, चौधरी कामपलेक्स एवं अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उ0प्र0 युवा उद्योग व्यापार मण्डल 8090104290 941507129	सुपर मार्केट एवं आस-पास के क्षेत्र विगत कई वर्षों से व्यवसायिक निर्मित है, जिस महायोजना-2031 में इस रोड में जहाँ जहाँ सामुदायिक एवं आवासीय है, इसको हटाकर पुरी रोड व्यवसायिक किये जाने हेतु एवं आनन्द नगर (अमरेशपुरी कालोनी) को महायोजना-2031 में निर्मित क्षेत्र दर्शिये जाने के सम्बन्ध में तथा मास्टर प्लान 2021 में मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित किये गये हैं, इन मार्गों पर निर्माण हो चुका है। ऐसे मार्गों को 2031 महायोजना में समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।
127	13.07.2022	श्री शिव चौधरी, बुलेटकिंग शाप नं0-1, अतुल कुमार गुप्ता	सुपर मार्केट एवं आस-पास के क्षेत्र विगत कई वर्षों से व्यवसायिक निर्मित है, जिस महायोजना-2031 में इस रोड में जहाँ जहाँ सामुदायिक एवं आवासीय है, इसको हटाकर पुरी रोड व्यवसायिक किये जाने हेतु एवं आनन्द नगर (अमरेशपुरी कालोनी) को महायोजना-2031 में निर्मित क्षेत्र दर्शिये जाने के सम्बन्ध में तथा मास्टर प्लान 2021 में मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित किये गये हैं, इन मार्गों पर निर्माण हो चुका है। ऐसे मार्गों को 2031 महायोजना में समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत सुझाव/आपत्ति के सम्बन्ध में अन्य सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी है, जिससे इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है।

✓

✓

✓

✓

आक द्वारा प्राप्त 11 आपत्तियों
का विवरण (कं0सं. 128 से 138 तक)

क्रमांक	दिनांक	आपत्तिकर्ता/सुझावकर्ता का नाम, पता व मो0	आपत्ति/सुझाव का संक्षिप्त विवरण	सुनवाई समिति की संस्तुति
128	14.07.2022	श्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 0522-2239220	रायबरेली विकास प्राधिकरण को विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत परशदेपुर रोड पर सिविल लाइन चौरों से पी0एस0सी कार्यालय/कालोनी तक सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है, जबकि रायबरेली महायोजना-2031 (ग्रारूप) में उक्त वर्णित सड़क के सिविल लाइन चौराहे से पी0एस0सी गोद तक के दोनों ओर स्थलीय स्थिति के अनुसार भू-स्वामियों की भूमि की सीमा तक का भू-उपयोग में व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट कराये जाने के सम्बन्ध में।	सुनवाई समिति की संस्तुति आपत्ति संख्या-49 के निस्तारण के अनुसार।
129	14.07.2022	श्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 0522-2239220	रायबरेली विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत कचेहरी रोड स्थित रफी अहमद कदवाई पार्क का रायबरेली महायोजना-2031 प्रारूप 2031 में कैंटीन को समाहित करते हुए जनहित में उसका भू-उपयोग व्यवसायिक कराने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा यह पाया गया कि स्थल पर रफी अहमद कदवाई पार्क (हाथी पार्क) विद्यमान है, जिसमें व्यवसायिक उपयोग की अनुम्यता न होने के कारण समिति द्वारा विचारोपरान्त आपत्ति निरस्त की जाती है।
130	13.07.2022	श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय निर्माण खण्ड, प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) रायबरेली।	रायबरेली महायोजना-2031 के प्रारूप सम्बन्धी बुकलेट में विभाग से सम्बन्धित सुझाव:- रायबरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को जल निगम द्वारा चार जोनों में विभक्त कर उक्त जोनों हेतु चरणबद्ध रूप से सीबरेज सम्बन्धी कार्यों हेतु योजना बनाकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया तथा जल निगम द्वारा तैयार चार जोनों हेतु सीबरेज सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना प्राप्त होने पर प्रस्तावित महायोजना-2031 के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

131	13.07.2022	श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय निर्माण खण्ड, प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) रायबरेली।	रायबरेली महायोजना-2031 के प्रारूप सम्बन्धी बुकलेट में विभाग से सम्बन्धित सुझाव:- रायबरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को जल निगम द्वारा चार जोनों में विभक्त कर उक्त जोनों हेतु चरणबद्ध रूप से सीवरेंज सम्बन्धी कार्यों हेतु योजना बनाकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	आपत्ति संख्या-130 के निस्तारण के अनुसार।
132, 133	13.07.2022	श्री विनोद कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी, डूँडा रायबरेली।	मलिन बस्तियों की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे की संख्या से डूँडा कार्यालय का नाम हटाये जाने के सम्बन्ध में एवं मलिन बस्तियों का नाम संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सुझाव पर सम्यक विचार किया गया तथा सुझाव के अनुरूप रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) प्रतिवेदन में संशोधन किये जाने की संस्तुति की जाती है।
134	13.07.2022	श्री मा0 इमरान खॉं आदि 9838634949	कैनाल रोड पर मोटर कम्पनी के शोरूम आटो मोबाइल एयरटेल, वोडाफोन का क्षेत्रीय कार्यालय, सैकड़ों दुकानें दोनों व्यवसायिक कामप्लेक्स स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक आदि को जनहित में कैनाल रोड को महायोजना-2031 में व्यवसायिक उपयोग शामिल करने के सम्बन्ध में।	आपत्ति संख्या-32 के निस्तारण के अनुसार।
135	13.07.2022	श्री दिनेश प्रताप सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 0522-2239220	अस्पताल चौराहे से सेमरी कोठी तक इसे व्यवसायिक कर दिया जाये तथा छात्रावास परिसर को संस्थागत विकास हेतु आरक्षित कर दिया जाये, जिससे कालेज/सरकार अपने भविष्य की योजनाओं हेतु उपयोग कर सके और खेल मैदान जिसका विद्यालय लम्बे समय से उपयोग नहीं कर रहा है, जिसे पार्क के रूप में विकसित किया जाये।	समिति द्वारा महायोजना-2021 में दर्शित भू-उपयोग को यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।
136	13.07.2022	श्री निर्मल शुक्ल 475, सत्य नगर रायबरेली 9415523796	सुलतानपुर रोड से प्रारम्भ हो कर रुस्तमपुर, जैनपुर होते हुए जाती है, वही से सिंगरोड भी निकल रही है। उक्त सड़क के दोनों ओर घनी तथा सीवर लाइन भी पड़ चुकी है, परन्तु प्रस्तावित महायोजना में वह या तो लघु उद्योग या कृषि में डाला गया है। उक्त मार्ग के दोनों ओर आवासीय घोषित करवाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में।	आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया। महायोजना-2021 में दर्शित भू-उपयोग महायोजना-2031 में यथावत् रखे जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

137	14.07.2022	श्री डा0 अनुभव एस0 श्रीवास्तव 9839360199	बहुउद्देशीय खेल काम्पलेक्स का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। रायबरेली महायोजना-2031 प्रारूप में दर्शित रिंगरोड से मिला हुआ कोई भी आवासीय क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है इत्यादि।	आपत्ति/सुझाव कर्ता को विधिवत सुना गया। वर्तमान में कानपुर रोड पर स्टेडियम निर्मित है। इस परिसर के अन्तर्गत बहुउद्देशीय खेल काम्पलेक्स का प्राविधान कराये जाने का उत्तर दायित्व खेल विभाग का है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
138	11.07.2022	श्री दिनेश प्रताप सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 0522-2239220	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्ति/सुझाव, अवगत कराना है कि रायबरेली महायोजना-2001 में सुपर मार्केट तथा उसके सराउडिंग क्षेत्र को नगर क्षेत्र (व्यवसायिक) भू-उपयोग दर्शाया गया था, जिसे रायबरेली महायोजना-2021 में समाप्त कर दिया गया, जबकि उक्त क्षेत्र में लगभग 100 वर्ष पूर्व से ही व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं तथा उसमें और भी वृद्धि हुई है। अतः अनुरोध कि महायोजना-2031 लागू होने से पूर्व प्राप्ति की सेमरी कोठी से आच्छादित सम्पूर्ण भूमि का भू-उपयोग प्राप्ति के स्वामित्व की सीमा तक व्यवसायिक क्षेत्र अथवा बाजार मार्ग घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।	आपत्ति संख्या-5(1) के निस्तारण के अनुसार।

रायबरेली महायोजना-2021 में INTENT TO CHANGE के आधार पर प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण

क्र०सं०	रायबरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिये गये सुझाव	विवरण
1.	महायोजना-2021 में कतिपय मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में ऐसी प्रस्तावित सड़कों पर आवासीय निर्माण हो जाने के कारण भविष्य में ऐसी सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं है। ऐसी सड़कों को सर्वे के आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए।	2.1 महायोजना-2021 में चम्पा देवी पुल से कानपुर रोड तक बाईपास के रूप में प्रस्तावित 60 मी0 चौड़े मार्ग के मार्गाधिकार एवं हरित पट्टी में निर्माण हो जाने के कारण प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः समिति द्वारा उक्त मार्ग के स्थान पर चम्पादेवी पुल से जोहिनीपुर गांव के समीप से होते हुए कानपुर रोड पर डलमऊ जाने वाले मार्ग के तिराहे तक 60 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया। 2.2 उक्त मार्ग के समीप निर्मित क्षेत्र में स्थित चम्पादेवी पुल को जाने वाले वर्तमान मार्ग को 24.0 मी0 प्रस्तावित करते हुए महायोजना-2031 के

2.3	मानचित्र में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया है। रायबरेली महायोजना-2021 में ग्राम डिडौली में रायबरेली-लखनऊ मार्ग से महाराजगंज रायबरेली मार्ग तक प्रस्तावित 60 मी0 महायोजना मार्ग के स्थान पर ग्राम डिडौली में उक्त मार्ग के समीप एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रस्तावित 60 मी0 चौड़े मार्ग के दोनों तरफ 30 मी0 हरित पट्टी के साथ मार्ग को महायोजना-2031 में प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया।	रायबरेली महायोजना-2021 में प्रस्तावित बस टर्मिनल ट्रक टर्मिनल भू-उपयोग में आवासीय निर्माण हो जाने के कारण टी0टी एवं बी0टी0 का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। जिसे आवासीय में प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भू-उपयोग में हुए अनाधिकृत निर्माण के विनियमितीकरण की कार्यवाही शासन की नीतियों व उपविधि के अनुसार की जानी होगी।
2.	महायोजना-2021 में कतिपय क्षेत्रों/भूमि को यातायात नगर दर्शाया गया है, परन्तु मौके पर अधिकांश क्षेत्र में आवासीय निर्माण हो जाने के कारण यातायात नगर का निर्माण सम्भव नहीं है। मौके की स्थिति तथा सर्वे के आधार पर ऐसे क्षेत्रों के भू-उपयोग को परिवर्तित किया जाना चाहिए।	रायबरेली महायोजना-2021 में ग्राम डिडौली में रायबरेली-लखनऊ मार्ग से महाराजगंज रायबरेली मार्ग तक प्रस्तावित 60 मी0 महायोजना मार्ग के स्थान पर ग्राम डिडौली में उक्त मार्ग के समीप एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रस्तावित 60 मी0 चौड़े मार्ग के दोनों तरफ 30 मी0 हरित पट्टी के साथ मार्ग को महायोजना-2031 में प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा महायोजना-2021 में दर्शित मनोरंजन पार्क को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
3.	लखनऊ-प्रयागराज मार्ग (गोकुलपुर एवं डिडौली) पर कतिपय क्षेत्र को मनोरंजन (पार्क) महायोजना-2021 में दर्शाया गया है, परन्तु वर्तमान परिस्थिति के आधार पर इस भू-उपयोग को परिवर्तित किया जाना चाहिए।	रायबरेली महायोजना-2021 में छजलापुर के पीछे प्रस्तावित व्यवसायिक भू-उपयोग को समिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों एवं नियोजन की दृष्टि से रायबरेली महायोजना-2031 में यथावत् प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4.	महायोजना-2021 में छजलापुर के पीछे व्यवसायिक भू-उपयोग दर्शित है, जबकि इस क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में आवासीय भवन निर्मित हो चुके हैं तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु मौके पर कोई मार्ग/एप्रोच रोड नहीं है, जिस कारण इस क्षेत्र को आवासीय उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित महायोजना-2031 में दर्शाया जाना चाहिए।	रायबरेली महायोजना-2021 में छजलापुर के पीछे प्रस्तावित व्यवसायिक भू-उपयोग को समिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों एवं नियोजन की दृष्टि से रायबरेली महायोजना-2031 में यथावत् प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5.	सिविल लाइन चौराहे से परशदेपुर रोड पर स्थित पी0ए0सी0 के सामने 24मी0 रोड महायोजना-2021 में प्रस्तावित है, परन्तु इस रोड की स्थिति के अनुसार मास्टर प्लान में दर्शित नहीं है। इस रोड को मौके की स्थिति के आधार पर प्रस्तावित महायोजना-2031 में दर्शाया जाना चाहिए।	रायबरेली महायोजना-2021 में सिविल लाइन चौराहे से परशदेपुर रोड पर स्थित पी0ए0सी0 के सामने विद्यमान 24.0 मी0 चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग को एस0टी0पी0 होते हुए रायबरेली-प्रयागराज मार्ग तक प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया। रायबरेली महायोजना-2021 में रायबरेली-प्रयागराज मार्ग से परशदेपुर मार्ग तक प्रस्तावित 60.0 मी0 चौड़े बाई-पास मार्ग के मध्य में एस0टी0पी0 एवं एस0डब्ल्यू0एल0 प्रोजेक्ट का निर्माण हो जाने कारण उक्त मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है जिसके दृष्टिगत रायबरेली-प्रयागराज मार्ग से एस0टी0पी0 तक 60.0 मी0 चौड़े मार्ग एवं मार्ग की चौड़ाई 24.0 मी0 तथा रायबरेली-परशदेपुर मार्ग पर पी0ए0सी0 के सामने से एस0टी0पी0 को

✓

⊗

—

जाने वाले विद्यमान मार्ग की चौ0 24.0 मी0 प्रस्तावित कर महायोजना-2031 में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार, उद्योग अनुभाग-11 शासनादेश संख्या-967(3) भा उ/18-11-196-आ-73 लखनऊ, 9 फरवरी, 1976 द्वारा जिला रायबरेली में पुनियोजित औद्योगिक विकास तथा मेसर्स गंगा एक्स्प्रेसस सीमेंट लि0, गजियाबाद द्वारा एक्स्प्रेसस सीमेंट प्रेशर पाइप्स के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना के लिए अर्जित की गई भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 में दर्शित भू-उपयोग के आधार पर रायबरेली महायोजना-2031 में भी उक्त गजट के अनुसार प्रस्तावित / दर्शाये जाने तथा महायोजना-2021 में रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर प्रस्तावित हरित पट्टी को यथावत् महायोजना-2031 में दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है।
2. महायोजना-2031 के पूर्व में स्वीकृत किये गये तलपट मानचित्र तथा लीज पर दी गयी भूमि का भू-उपयोग क्रमशः स्वीकृत तलपट मानचित्र, लीज में दी गयी शर्तों के अनुरूप ही होगा। जब तक कि लीज की शर्तों में नियमानुसार परिवर्तन न हो जाये।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या: 96/स.नि.(कं)/अमृत विविध/2022-23 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 में नगरों में स्थित जलाशयों, वाटर बाडीज, तालाबों, ड्रेनेज लाइन्स, आदि का संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार राजस्व अभिलेख अनुसार तालाब, जलाशय को संरक्षित करने हेतु रायबरेली महायोजना-2031 में दर्शाये जाने की संस्तुति की जाती है।
4. रायबरेली महायोजना-2031 में दर्शित बाजार मार्ग पर स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे- शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पार्क एवं राजकीय/अर्द्ध राजकीय/स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा तथा रायबरेली महायोजना-2031 में प्रभावी होने के पूर्व महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सामान्यतः अनुमत्य एवं सशर्त अनुमत्य क्रियाओं/उपयोगों के अनुरूप हुए व्यवसायिक निर्माण पर नियमानुसार प्रभाव शुल्क/अन्य शुल्क लेने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही करायी जायेगी।

(एम0अहमद)
अधि0 अमि/प्र0नियोजन
रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

(डा0 आशीष सिंह)
अधिशालसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
रायबरेली।

(विशाल भारती)
सहयुक्त नियोजक
प्रतिनिधि
मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(अमित कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
प्रतिनिधि जिलाधिकारी
रायबरेली।

(शीलधर सिंह यादव)
अपर आयुक्त
प्रतिनिधि आयुक्त, लखनऊ
मण्डल, लखनऊ।

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

**रायबरेली विकास प्राधिकरण की 76वीं बैठक दिनांक
08.12.2022 का कार्यवृत्त**

बैठक का स्थान : मण्डलायुक्त कार्यालय स्थित समाकक्ष, लखनऊ।

तिथि : 08.12.2022

समय : 03.00 बजे अपरान्ह

76/3	रायबरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 26.05.2022 के मद संख्या-06 पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में दिनांक 14.06.2022 से 13.07.2022 के मध्य जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के पश्चात् आवास एवं शहरी नियोजन	रायबरेली महायोजना-2031(प्रारूप) पर जनता से प्राप्त आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा सुनवाई उपरान्त संस्तुति/अभिमत का समावेश करते हुए महायोजना-2031 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया व
------	--	---

अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4816(1)/9-आ-3-2003-9महा0/2002 दिनांक 20 दिसम्बर 2003 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर दी गयी संस्तुति एवं महायोजना-2031 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के सम्बन्ध में।	शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
---	--

उपाध्यक्ष, रा0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पल्लवी मिश्रा)
सचिव

(माला श्रीवास्तव)
उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी

अनुमोदित

(रोशन चौकब)
अध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।



रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली
इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी, इंदिरा नगर, रायबरेली,
उत्तर प्रदेश 229001

वेबसाइट: www.rdaup.in